समसामयिकी

फरवरी – 2016

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और प्रशासन 7

1.1. राष्ट्रपति शासन 7

1.2. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 8

1.3. मनरेगा के 10 साल - एक आकलन 8

1.4. स्वच्छ सर्वेक्षण 9

1.5. नगर पालिकाओं का वित्तीय प्रबंधन: 10

1.6. भारत के डिजिटल रूपांतरण के मार्ग की बाधाएं :विश्व विकास रिपोर्ट-2016 11

1.7. न्यायिक मानक और जवाबदेही 11

1.8. जनहित याचिका (पी.आई.एल.) 12

1.9. जस्टिस डिलीवरी: मुद्दे और सुधार 13

1.10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 13

1.11. एफबीआई बनाम एप्पल 14

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व 15

2.1. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टी.पी.पी) 15

2.2. भारत और ब्रुनेई 15

2.3. भारत और थाईलैंड 16

2.4. भारत और श्रीलंका 16

2.5. भारत और यूएई 17

2.6. भारत और नेपाल 18

2.7. भारत और पाकिस्तान 19

2.8. पाकिस्तान को एफ-16 की बिक्री 20

2.9. भारत-अमेरिका सौर विवाद 21

2.10. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) सुधार 22

2.11. नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति (Supplementary Compensation for Nuclear Damage) 22

3. अर्थव्यवस्था 24

3.1. तपन राय पैनल की सिफारिशें 24

3.2. राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 24

VISION IAS

3.3. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद 25
3.4. वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौता (Trade Facilitation Agreement in Goods/TFA) 25
3.5. पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 25
3.6. थोक औषधि (बल्क ड्रग्स) नीति मसौदा 26
3.7. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा (Market Economy Status) 27
3.8. गैर-कर राजस्व ई-पोर्टल 27
3.9. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी 28
3.10. मेक इन इंडिया: अक्षय ऊर्जा 28
3.11. एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface) 29
3.12. किसानों को जिंस वायदा बाजार से लाभ 30
3.13. एफटीआईएल (FTIL) के साथ एनएसईएल (NSEL) का विलय 30
3.14. इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष (Electronic Development Fund) 31
3.15. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक और भारत 32
3.16. आई. पी. आर. (राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा) नीति 32
3.17. अनिवार्य लाइसेंस 32
3.18. मुक्त स्रोत लाइसेंस 33
4. सामाजिक मुद्दे 34
4.1.राष्ट्रीय डिवार्मिंग पहल (National Deworming Initiative) 34
4.2. मलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क/(National Framework for Elimination of Malaria) 34
4.3. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण 34
4.4. नस्लीय असहिष्णुता 35
4.5. भ्रूण का लिंग परीक्षण 35
4.6. सरोगेसी (किराए की कोख) 36
4.7. देवदासी प्रथा 37
4.8. उत्तराधिकारी के रूप में बेटी 38
4.9. शनि-शिगनापुर मंदिर प्रवेश 38
4.10. जाट विरोध प्रदर्शन 38
4.11. भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली 39
4.12. भारत में मृत्यु के मुख्य कारण 40
4.13. राष्ट्र और राष्ट्रवाद 40

VISION IAS

4.14. पारंपरिक औषधि 41
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 42
5.1. गुरुत्वीय तरंगें 42
5.2. क्यूबसैट्स(CubeSats) 43
5.3. प्लेनेट- X 43
5.4. एस्ट्रोबायोलोजी मिशन 44
5.5. स्मार्ट ग्रिड 44
5.6. जीन एडिटिंग (CRISPR / CAS9) 45
5.7. रमन प्रभाव: उपयोग 45
5.8. आदित्य मिशन: अद्यतन 46
5.9. वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन - "गंतव्य भारत" 46
5.10. हिप्नोक्सिया और शीतदंश (frostbite) 47
6. आंतरिक सुरक्षा 48
6.1.सियाचिन का विसैन्यीकरण (Demilitarisation) 48
6.2. ISIS के खतरे से निपटने के लिए भारत की अतिवादी विचारधारा को कम करने की रणनीति (India's Deradicalisation Strategy to Counter ISIS Threat) 49
6.3. अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा/ International Fleet Review (IFR) 2016 49
6.4. आतंकवाद विरोधी सम्मलेन (Counter-Terrorism Conference), 2016 50
6.5. हिंसक चरमपंथ को रोकने के लिए कार्य योजना (Action Plan for Preventing Violent Extremism) 51
7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण 52
7.1. जैव संवर्द्धित (जेनेटकली मॉडिफाइड) सरसों 52
7.2. भारत में वेटलैंड (आर्द्र व अनूप भूमि) प्रबंधन 53
7.3. नासा का कोरल अभियान 53
7.4. जल मंथन-2 54
7.5. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 55
7.6. भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण 56
7.7. प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2015 [Compensatory Afforestation Fund (CAF) Bill 2015] 56
7.8. जल क्रांति अभियान: 57
7.9. कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान 57
8. संस्कृति 58

VISION IAS

8.1. नाडा कुश्ती 58
8.2. गंगा संस्कृति यात्रा 58
8.3. रुक्मणी देवी अरूंडेल 58
8.4. मुजीरिस विरासत परियोजना 58
9. सुर्खियों में 59
9.1. नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में ट्राई का निर्णय 59
9.2. विद्युत प्रणोदन प्रणाली (Electric Propulsion System) 59
9.3. जेनेटकली मॉडिफाइड (आनुवंशिक रूप से संशोधित) मच्छर 59
9.4. वी.पी.एम 1002 59
9.5. आईरिस (EYERISS) 60
9.6. भूकंपीय माइक्रोजोनेशन रिपोर्ट 60
9.7. राज्यपालों का 47वां सम्मेलन 60
9.8. सर्वोच्च न्यायालय: निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) शक्ति का प्रयोग 60
9.9. सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ 61
9.10. आईपीसी की धारा 295ए 61
9.11. संशोधन: परिसीमन अधिनियम एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 61
9.12. बाल अपराधियों के लिए नियमावली 62
9.13 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 62
9.14 विशेषाधिकार प्रस्ताव 62
9.15. वन रैंक वन पेंशन का कार्यान्वयन 62
9.16. बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक समान नीति 63
9.17. पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला स्मार्ट गांव 63
9.18. ई-पर्यटक वीजा 63
9.19. नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) 63
9.20. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानकों में छूट 64
9.21. मेजेनाइन निवेश (Mezzanine Investment) 64
9.22. 76 जीवन रक्षक औषधियों पर सीमा शुल्क छूट की समाप्ति 64
9.23. निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण एन्युटी मॉडल (BOT annuity) - रेलवे 65
9.24. सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार 65
9.25. कर नीति परिषद और कर नीति अनुसंधान इकाई 65

VISION IAS

9.26. वर्दीधारी सेवाएं: महिलाएं 66
9.27. भारत का पहला जेंडर पार्क 66
9.28. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध 66
9.29. पुनर्वास योजना का पुनर्गठन 67
9.30. सूर्योदय परियोजना (SUNRISE Project) 67
9.31. एन.पी.सी.डी.सी.एस. (NPCDCS) के साथ होम्योपैथी/योग का एकीकरण 67
9.32. रोहिंग्या समुदाय पर रिपोर्ट 67
9.33. जानबूझकर बैंक का कर्ज ना चुकाने वाले (Wilful Defaulters) 68
9.34. भारतीय बासमती चावल 68
9.35. भारत नेट परियोजना 69
9.36. अवेयर (AWARE) परियोजना 69
9.37. शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल का शोधन 69
9.38. विमानन सुरक्षा बल 70

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और प्रशासन

1.1. राष्ट्रपति शासन

सुर्खियों में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लगाये गए राष्ट्रपति शासन के कारण संविधान का अनुच्छेद 356 एक बार पुनः चर्चा के केंद्र में है।
- संविधान के इस अनुच्छेद का उत्तरोत्तर सरकारों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता रहा है, भले ही वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हों।

राष्ट्रपति शासन:

- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐसी परिस्थितियों में आरोपित किया जाता है, जब राज्य सरकार के द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन कार्य नहीं चलाया जा रहा हो।
- सामान्यतः राज्यपाल के द्वारा इस सन्दर्भ में एक रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। यह रिपोर्ट ही राष्ट्रपति शासन अर्थात् अनुच्छेद 356 लगाये जाने का मुख्य आधार होती है।
- एक बार राष्ट्रपति शासन आरोपित किये जाने के पश्चात राज्य का विधानमंडल कार्य करना बंद कर देता है तथा राज्य का संपूर्ण प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है। इस दौरान राज्य की विधानसभा सामान्यतः निलंबित अवस्था में रहती है।

राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक प्रावधान:

यदि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है तो राज्यपाल के समक्ष तीन विकल्प होते हैं:

- सरकार को संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत बर्खास्त कर देना ।
- अनुच्छेद 356 लगाये जाने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।
- अनुच्छेद 174 (1) के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाना।

अनुच्छेद 174 (1) इस संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं करता कि विधानसभा सत्र बुलाये जाने की तिथियों की घोषणा से पूर्व राज्य के मंत्रिमंडल से परामर्श आवश्यक है या नहीं। अतः सर्वोच्च न्यायलय की संविधान पीठ के द्वारा कुछ प्रश्नों का समाधान किया जाना शेष है।

महत्वपूर्ण निर्णय

एस आर बोम्मई वाद 1994

- न्यायालय केन्द्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को दी गयी सिफारिश की जाँच नहीं कर सकता, किन्तु राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के आरोपण के सन्दर्भ में प्रस्तुत जिन आधारभूत तथ्यों से संतुष्ट हैं न्यायालय इन आधारभूत तथ्यों की जाँच कर सकता है।
- अनुच्छेद 356 के आरोपण को तभी न्यायसंगत ठहराया जा सकता है जबकि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। प्रशासनिक तंत्र की विफलता को अनुच्छेद 356 के आरोपण का आधार नहीं बनाया जा सकता।

बूटा सिंह तथा बिहार विधान सभा विघटन वाद- 2006

- बिहार विधान सभा के विघटन को अमान्य एवं शून्य घोषित किया गया।
- राज्यपाल की रिपोर्ट को अंतिम आधार नहीं माना जाना चाहिए। इसे राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का मुख्य आधार मानने से पूर्व मंत्रिपरिषद के द्वारा इसे अवश्य प्रमाणित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण :

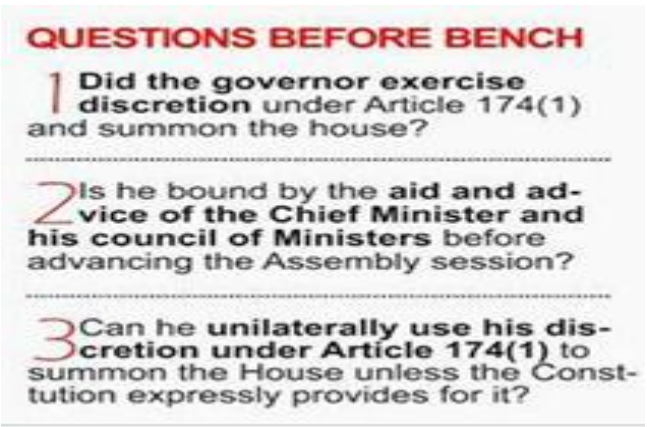

- राज्यपाल अपनी मान्यताओं के आधार पर मनमाने ढंग से किसी भी समय विधानमंडल के सत्र को नहीं बुला सकता।
- न्यायालय राज्यपाल के उस आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जिसमें राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उपयोग न करने को कहते हैं। दृष्टव्य है कि दसवीं अनुसूची में दल-बदल और इसके लिए विधानमंडल सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने संबंधी प्रावधान निहित हैं।

VISION IAS

वर्तमान स्थिति :

- अरुणाचल विधानसभा के अयोग्य करार दिए गए 14 सदस्यों के मामले को एकल सदस्यीय पीठ से उच्च न्यायालय की खंड पीठ को सौंप दिया गया।
- उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस सम्बन्ध में कोई भी कदम उसके समक्ष लंबित मामले के निपटारे के बाद ही उठाया जाना चाहिए। यद्यपि न्यायालय ने सरकार बनाने पर लगी रोक को हटा लिया।
- अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटाये जाने के पश्चात असंतुष्ट कांग्रेसी नेता कलिखो पुल ने नए मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

1.2. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

सुर्खियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभात नामक स्थान से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का शुभारंभ किया।
- रुर्बन मिशन पिछली सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के कार्यक्रम (PURA) से संबंधित प्रावधानों का स्थान लेगा।

उद्देश्य:

- इन क्लस्टरों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर तथा कौशल और स्थानीय उद्यमिता के विकास के माध्यम से समूचे क्षेत्र का विकास किया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।
- यह योजना रुर्बन क्लस्टरों के विकास के माध्यम से समूचे क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगी। इसके माध्यम से देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों को लाभ होगा।
- योजना के माध्यम से जहाँ एक ओर ग्रामीण विकास को सशक्त किया जायेगा वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों से अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति के द्वारा संतुलित क्षेत्रीय विकास किया जा सकेगा।

विशेषताएं:

- इस मिशन के अंतर्गत तीन वर्षों में 5100 करोड़ रुपये के निवेश के द्वारा 300 क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। इस साल ही 100 क्लस्टरों को परियोजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित किया गया है।
- इस योजना के तहत गांव के क्लस्टरों में 14 अनिवार्य घटकों से संबंधित विकास कार्यों को सुनिश्चित किया जायेगा। इन बिन्दुओं के अंतर्गत सभी क्लस्टरों में डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, नल-जल आपूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं विकसित की जाएँगी। यह योजना सामुदायिक परिसंपत्तियों जैसे सड़क, आश्रय स्थल, बिजली, पीने के पानी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुधार पर केन्द्रित होगी।
- ये क्लस्टर भौगोलिक दृष्टि से संबद्ध एक ग्राम पंचायत की भांति होंगे जहां की जनसँख्या मैदानी क्षेत्रों एवं तटीय क्षेत्रों में 25000 से 50000 तथा रेगिस्तानी, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 तक होगी।
- रुर्बन क्लस्टर के विकास के लिए धन इन क्षेत्रों में चल रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जुटाया जायेगा।
- मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रति परियोजना लागत की 30 प्रतिशत की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि तथा उपलब्ध धनराशि के बीच के अंतराल को भरा जा सके। इस प्रकार केंद्र इन क्लस्टरों के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेगा।
- मिशन के अंतर्गत समूचे कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र, दोनों ही स्तरों पर संस्थागत ढांचे के निर्माण की परिकल्पना निहित है।
- मिशन के अंतर्गत अनुसंधान, विकास और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए एक अभिनव कोष (innovation fund) की व्यवस्था की गयी है।

1.3. मनरेगा के 10 साल - एक आकलन

संक्षिप्त सारांश:

- मनरेगा किसी भी ग्रामीण परिवार से संबंधित वयस्क सदस्यों को, जो जनहित से जुड़े अकुशल काम करने के लिए तैयार हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। इसके लिए उन्हें वैधानिक तौर पर न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाती है।
- मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को दस प्रमुख कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जैसे- वाटरशेड, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन, कृषि और पशुधन से संबंधित कार्य, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन तथा इससे संबंधित कार्य, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्य आदि।
- विश्व विकास रिपोर्ट 2014 महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को "ग्रामीण विकास रुपी आकाश में चमकदार नक्षत्र" के रूप में परिभाषित करती है।

कार्यक्रम के लाभ:

- प्रारंभिक वर्षों में, मनरेगा समूचे परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने वाला सिद्ध हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पश्चात ग्रामीण मजदूरी की दरों में वृद्धि हुई। रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पश्चात शहरी केंद्रों के लिए प्रवास में गिरावट आयी है।
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER)) के वर्ष 2015 के एक अध्ययन से पता चला है कि अधिनियम के विधायन के पश्चात वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 के बीच लगभग 32 प्रतिशत गरीबी कम हुई है।

VISION IAS

- योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच क्रमशः 28 फीसदी और 38 फीसदी तक गरीबी के स्तर को कम करने में मदद मिली है।
- अब तक,योजना के माध्यम से 27.6 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सका है। इसके माध्यम से 19.86 अरब व्यक्ति-दिवस रोजगार उत्पन्न किया गया है। द्रष्टव्य है कि आधे से अधिक रोजगार महिला श्रमिकों को प्राप्त हुआ है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लगभग एक तिहाई रोजगार प्राप्त हुआ है।
- मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बाजार पुन: जीवित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध हुआ है। इसके माध्यम से वे अपने कार्य की उचित मजदूरी प्राप्त करने के लिए रोजगार दाताओं से सौदेबाजी कर सकते हैं।
- सभी श्रमिकों में 57% महिलाएं हैं। ध्यातव्य है कि कार्यक्रम के लिए न्यूनतम 33% महिला सदस्यों की भागीदारी की वैधानिक अनिवार्यता है। कुल श्रमिकों में महिलाओं की यह भागीदारी पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक है।
- यह ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है। अधिनियम पंचायतों को स्वयं विकास कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करता है और इसके लिए स्वतंत्र रूप से धनराशि की भी व्यवस्था करता है ।
- शोध बताते हैं कि मनरेगा के तहत बनाई गयी पानी से संबंधित परिसंपत्तियों से एक साल में उपलब्ध पानी की मात्रा में वृद्धि हुई है। इससे फसल पैटर्न में परिवर्तन तथा कुल कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

चुनौतियां:

- कैग की रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला है कि 2009-10 से 2011-12 के बीच बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां लगभग 46 प्रतिशत ग्रामीण गरीब निवास करते हैं, योजना के तहत आवंटित कुल राशि का केवल 20 प्रतिशत धन ही प्रदान किया गया है।
- कैग ने पाया कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है।
- कैग ने अपने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि 2,252 करोड़ रूपये का गैर-जरुरी कार्य मनरेगा के तहत संपन्न किये गए हैं, जिसमें कच्ची सड़कों व स्नान घाटों का निर्माण आदि शामिल है।
- इस योजना के तहत काम कर रहे लोगों का पर्याप्त कौशल विकास नही हो रहा है।
- इस योजना के तहत उत्पादक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है जो कि योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है।
- मजदूरी के भुगतान में बड़े पैमाने पर देरी होती है।

आगे की राह :

- उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए योजना को कृषि, सिंचाई, पशुपालन और सड़क परिवहन विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ-साथ सामजिक अंकेक्षण जैसे समुदाय आधारित जवाबदेही तंत्र का विकास किया जाना चाहिए।
- अधिनियम को सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि बेहतर लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- योजना के अंतर्गत सशक्त प्रशिक्षकों / विशेषज्ञों के समूह को तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा, जो इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध होंगे।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और एन.आर.एल.एम. (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के साथ संयुक्त रूप से मनरेगा मजदूरों को दक्ष बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए ताकि वे बाजार में कौशल युक्त रोजगार प्राप्त कर सकें एवं अकुशल शारीरिक रोजगार पर निर्भर न रहें।

1.4. स्वच्छ सर्वेक्षण

सुर्खियों में क्यों?

- स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय ने 75 शहरों के अध्ययन के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करने का फैसला किया है। शहरी विकास मंत्रालय की इस मुहिम को 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के नाम से जाना जायेगा।
- मिशन को क्रियान्वित करने का कार्य 'भारतीय गुणवत्ता परिषद' को सौंपा गया है।
- इसके अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों और 53 अन्य शहरों को कवर किया जाएगा।
- मूल्यांकन के लिए मापदंड :

VISION IAS

- स्वच्छता और सफाई के निम्न लिखित छह मानकों के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा:
- खुले-में-शौच मुक्त शहर और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रणनीति।
- सूचना, शिक्षा और संचार व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली संवाद प्रक्रिया।
- ठोस अपशिष्ट की साफ़-सफाई, प्रत्येक दरवाजे से इनका संग्रह तथा अपशिष्ट को उपयुक्त स्थल तक पहुचाने वाली व्यवस्था।
- ठोस कचरे का प्रसंस्करण और निपटान।
- सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था।
- प्रत्येक घर के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण।

रैंकिंग की गणना:

75 शहरों के प्रयासों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कुल 2000 अंकों में से निम्न प्रकार से अंक प्रदान किये जायेंगे:-

- 60 प्रतिशत अंक ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित मापदंडों के लिए प्रदान किये जायेंगे।
- शौचालयों के निर्माण के लिए 30 फीसदी अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 5 फीसदी अंक शहर स्वच्छता रणनीति और व्यवहार में बदलाव लाने वाली संवाद प्रक्रिया के लिए दिए जायेंगे।
- उपर्युक्त मानकों के आधार पर मैसूर को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात चंडीगढ़ और तिरूचि का स्थान है।
- सर्वेक्षण किये गए इन 75 शहरों में से 32 शहरों ने पिछले सर्वेक्षण की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार की है। इनमे से 17 शहर उत्तर भारत के हैं।

भारतीय गुणवत्ता परिषद:

- भारतीय गुणवत्ता परिषद को 1997 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- इसे स्थापित करने का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्ता संवर्धन के क्षेत्र में एक समान मूल्यांकन ढांचे की स्थापना करना था।
- यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001 श्रृंखला) तथा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानकों को बढ़ावा देने तथा उत्पादों के प्रमाणन और निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करती है।
- इसे राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान की निगरानी और इसे संचालित करने का दायित्व सौपा गया है। साथ ही इसे राष्ट्रीय सूचना और पूछताछ प्रणाली से संबंधित सेवाओं को सँभालने का भी दायित्व प्रदान किया गया है।

1.5. नगर पालिकाओं का वित्तीय प्रबंधन:

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के समक्ष अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए धन का अभाव उत्पन्न हो गया था।
- वेतन न प्राप्त होने के प्रतिक्रियास्वरूप, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गये जिससे दिल्ली की सड़कों पर गंदगी का अंबार लग गया।

आवश्यकता:

- राज्य सरकारों ने लगातार शहरों और नगर पालिकाओं में संस्थागत सुधारों की उपेक्षा की है।
- भारत में 4041 शहरों में 40 करोड़ से अधिक आबादी निवास करती है, लेकिन उनकी नगर पालिकाओं का राजस्व अपर्याप्त हैं।
- इसलिए नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर तथा जवाबदेह बनाने के लिए एक सशक्त रूपरेखा की तत्काल आवश्यकता है।

नगर पालिकाओं के साथ जुड़े मुद्दे:

- नौकरी, निवेश या कर संग्रह से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है।
- नगर पालिकाओं के पास राजस्व के सीमित स्रोत हैं।
- जहां नगर पालिकाओं के पास धन के पर्याप्त स्रोत हैं वहीं इन स्रोतों अथवा कर की दरों को निर्धारित करने पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उदाहरण के लिए संपत्ति कर।
- नगर पालिकाओं के वित्त और राजस्व विभागों में कुशल कर्मचारियों की भारी कमी है।

सुझाव

- राज्यों को संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का एक उचित प्रतिशत शहरों को अवश्य प्रदान करना चाहिए।
- मनोरंजन कर और व्यवसाय कर नगर पालिकाओं को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए।
- नगर निगम द्वारा जारी बांड में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे निवेश पर करों में छूट प्रदान करना चाहिए।
- संघ, राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं को एक साथ मिलकर नगर की समस्त भूमि की एक सूची बनाना चाहिये और एक ऐसी रणनीति तैयार करना चाहिए जिससे खाली भूमि का ऐसा उपयोग किया जाये जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो।
- नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने के लिए, नगर पालिकाओं में राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन पर राज्य द्वारा एक कानून बनाया जाना चाहिए।

VISION IAS

- खातों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा नगरपालिकाओं के खातों का वार्षिक ऑडिट किया जाना चाहिए।
- कर संग्रह और वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने के लिए और अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

1.6. भारत के डिजिटल रूपांतरण के मार्ग की बाधाएं : विश्व विकास रिपोर्ट-2016

सुर्खियों में क्यों?

- विश्व बैंक ने हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट: डिजिटल लाभांश जारी किया।
- रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि विकासशील देशों के संदर्भ में आईटी सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक और कुशल जनशक्ति से संपन्न होने के बावजूद भारत अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था के डिजिटल रूपांतरण के मामले में चीन से काफी पीछे है।
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ :
- भारत में डिजिटल पहुँच अंतराल और डिजिटल क्षमता अंतराल दोनों ही उच्च स्तर पर है। रिपोर्ट के अनुसार क्षमता अंतराल समग्र व्यावसायिक परिवेश और मानव संसाधन की गुणवत्ता के कारण है।
- एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक, भंडारण, डाक वितरण प्रणाली और बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार की धीमी गति डिजिटल रूपांतरण के मार्ग की प्रमुख बाधा है
- मोबाइल मनी या राइड शेअरिंग सर्विस जैसे चुनौतीपूर्ण नवीन क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं के रूप में प्रौद्योगिकीय नवाचारों के प्रति भारतीय नियामकों का जरूरत से ज्यादा सतर्क दृष्टिकोण,डिजिटल स्टार्ट-अप कंपनियों के नए बाजारों में प्रवेश और बेहतर प्रदर्शन करने के मार्ग की प्रमुख बाधा है।
- कौशल और शिक्षा का निम्न स्तर: भारत की वयस्क आबादी का लगभग 25 प्रतिशत अभी भी पढ़- लिख पाने में सक्षम नहीं हैं जबकि चीन में यह आंकड़ा मात्र 5 प्रतिशत है।
- शिक्षा की निम्न गुणवत्ता: ग्रामीण भारत में हाल हीं के ASER (एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट) सर्वे के अनुसार 16 वर्ष और उससे नीचे के 10 प्रतिशत बच्चे एकल अंकों की संख्या की लगातार सटीक पहचान करने में सक्षम नहीं हैं।

आगे की राह :

- डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया तथा आधार के नवोन्मेषी अनुप्रयोगों जैसे- जैम त्रयी (जन धन योजना-आधार-मोबाइल) तथा डिजिटल लॉकर्स जैसे कार्यक्रमों की सफलता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऐसी योजनाओं से संबधित कार्यक्रमों को तीव्र गति से संपन्न किया जाना चाहिए।
- सभी भारतीयों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने तथा सभी की पहुँच सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत की अधिकांश आबादी की सस्ते मोबाइल फ़ोन तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करने के साथ ही स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के संबंध में सरकार को अनुकूल वातावरण का निर्माण करने वाली नीति का निर्माण करना होगा।
- विश्व विकास रिपोर्ट से इस महत्वपूर्ण तथ्य का पता चलता है कि अत्यंत विकसित तकनीकी के होते हुए भी भारत में व्याप्त परंपरागत चुनौतियों, विशेष रूप से बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा और नियामक मान्यताओं से संबंधित चुनौतियों, का समाधान दुष्कर है। दृष्टव्य है की इन समस्याओं का समाधान किये बिना प्रतिस्पर्धा और उद्यम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों के प्रकाश में यह समझा जा सकता है सबसे अधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकियों का होना भी अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही कमियों में सुधार का विकल्प नहीं है।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि डिजिटल निवेश के पूरक, एनालॉग तत्वों अर्थात वास्तविक और नीति से जुड़े विषयों पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।

(WDR 2016 पर अधिक जानकारी के लिए विजन जनवरी करंट अफेयर्स को देखें

यूपीएससी 2002

"विश्व विकास रिपोर्ट" निम्नलिखित में से किस संगठन का वार्षिक प्रकाशन है?

(a) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

(b) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

(c) विश्व व्यापार संगठन

(d) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

1.7. न्यायिक मानक और जवाबदेही

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति करणन की कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थानांतरण की सिफारिश की थी। ध्यातव्य है कि अपने स्थानांतरण संबंधी वाद की सुनवाई उन्होंने स्वयं की और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

भारत के संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रावधान :

- अनुच्छेद 124 (4) के तहत सर्वोच्च न्ययालय के न्यायाधीश को उनके पद से राष्ट्रपति द्वारा 'सिद्ध कदाचार' या 'दुर्व्यवहार' के आधार पर केवल तभी हटाया जा सकता है, जब इस संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया हो।

VISION IAS

- संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह अनिवार्य है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता को एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल की जाँच के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार के ट्रिब्यूनल का गठन न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार, अनुच्छेद 217B में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गयी है।
- अधिनियम के प्रयोग की अतीत में तीन बार परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई किन्तु आज तक किसी भी न्यायाधीश को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हटाया नहीं जा सका है।

महाभियोग प्रक्रिया के साथ जुड़े मुद्दे:

- केवल संसद ही किसी दागी न्यायाधीश के मामले का संज्ञान ले सकती है। किसी आम आदमी के द्वारा की जाने वाली शिकायतों के सन्दर्भ में कोई भी व्यवस्था नहीं है।
- कानून 'दुर्व्यवहार' शब्द को परिभाषित नहीं करता और इसलिए अंततः 'दुर्व्यवहार' से संबंधित प्रावधान का प्रयोग कब किया जाना चाहिए इस संबंध में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है।
- महाभियोग की प्रक्रिया बहुत लंबी है और राजनीतिक कारण इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
- जिस न्यायाधीश के खिलाफ जांच प्रक्रिया चल रही होती है उसे किसी न्यायालय में कर्तव्यों के निर्वहन से रोका नहीं गया है।

आगे की राह:

- न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2012 को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इससे पहले यह विभिन्न मुद्दों पर मतभेद की वजह से पारित नहीं किया जा सका था।
- विधेयक कानूनी रूप से लागू होने वाले मानकों को समाहित करता है। इसके माध्यम से ऐसे मानदंडों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के साथ ही जनता की न्यायाधीशों के संबंध में की गयी शिकायतों पर कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रश्न: <u>सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है?</u> (20 शब्द) (यूपीएससी 2005 साधन)

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (UPSC 2007 प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की विधि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के सामान है।
2. सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश किसी अन्य न्यायालय में अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

1.8. जनहित याचिका (पी.आई.एल.)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठनो के "क्षद्म वादी" अथवा कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता या व्यक्तिगत हितों का माध्यम बनने पर चिंता जताई।
- न्यायालय के द्वारा यह चिंता रिलायंस जियो के लिए 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए व्यक्त की गयी।

वर्तमान स्थिति:

- जनहित याचिका में उठाए जाने वाले मुद्दों का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चूका है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, उद्योगों का स्थानांतरण, सुशासन, सरकारी जवाबदेही आदि से संबंधित मुद्दे उठाये गये हैं।
- हाल के वर्षों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी विषय पर याचिका दायर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारतीय क्रिकेट टीम को वापस बुलाने से संबंधित जनहित याचिका भी दायर की गयी थी।
- यह जनहित याचिका के उस मूल उद्देश्य के विपरीत है जिसके अनुसार यह अधिकार उन लोगो को न्याय प्रदान करने के लिए दिया गया था जो गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण अदालत तक नहीं पहुच पाते हैं।

जनहित याचिका का सकारात्मक योगदान:

- जनहित याचिका संवैधानिक साधनों के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाने का माध्यम बन गयी है।
- इसके माध्यम से न्यायपालिका तक कैदियों, बेसहारा, बच्चे या बंधुआ मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि समाज के वंचित वर्गों की पहुँच में वृद्धि हुई है।
- यह भारत में मूल अधिकारों और मानव अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत करने तथा आम जनता तक इन्हें पहुचाने में सहायक सिद्ध हुई है।
- जनहित याचिका कानून के शासन को बढ़ावा देने, निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने, प्रशासन में भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकारी एजेंसियों की समग्र जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक साधन बन गयी है।
- जनहित याचिका के माध्यम से, न्यायपालिका भी विधायी सुधारों के क्षेत्र में पहल कर सकी है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विधायी अंतराल को दूर कर पाने में सक्षम हुई। विशाखा वाद जिसमे न्यायपालिका के द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए है, जनहित याचिका के सार्थक प्रयोग का ज्वलंत उदाहरण है।
- जनहित याचिका के सशक्त प्रयोग ने भारतीय न्यायपालिका में जनता के विश्वास में वृद्धि की है और यह न्यायपालिका की समाज में वैधता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है।

VISION IAS

चुनौतियां

- अधीनस्थ न्यायलय के काम के बोझ में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
- सीमित न्यायिक संसाधनों का अकुशल प्रयोग।
- तथ्यात्मक मामलों के निर्धारण के सन्दर्भ में न्यायिक बुनियादी ढांचे का अभाव।
- जनहित याचिका के प्रस्तावित उद्देश्य और वास्तविकता के बीच अन्तराल।
- प्रक्रिया का दुरुपयोग।
- सरकार के अन्य अंगो के साथ संघर्ष और टकराव ।

आगे की राह:

- वैध जनहित याचिकाओं को स्वीकृत कर और निहित स्वार्थों पर आधारित जनहित याचिकाओं को अस्वीकृत कर एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जनहित याचिका को मुख्य रूप से उन मामलों तक सीमित कर देना चाहिए जहां न्याय प्राप्ति में सामाजिक आर्थिक अक्षमता बाधक हो।
- निहित स्वार्थों की उद्देश्य पूर्ति हेतु दायर की जाने वाली जनहित याचिका के लिए आर्थिक दंड आरोपित किया जाना चाहिए।

1.9. जस्टिस डिलीवरी: मुद्दे और सुधार

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, जस्टिस डिलीवरी और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद की नौवीं बैठक आयोजित की गई थी।

न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे:

- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले के बावजूद न्यायपालिका ने सूचना के अधिकार के पूर्वावलोकन से खुद को बाहर रखा है।
- सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा निचली अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित है।
- न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या।
- उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने में देरी।
- उच्च न्यायालयों से संबद्ध कर्मचारियों की अपर्याप्तता।
- न्यायधीशों की नियुक्ति की असंतोषजनक अवस्था ।
- पुराने मामलों के निपटान के लिए प्राथमिकता का अभाव।
- पुराने और निरर्थक कानून जिनकी समकालीन समय में जरूरत नहीं है।
- न्यायपालिका के लिए वित्तीय स्वायत्तता: न्यायपालिका के खर्च संबंधी बजट और योजना निर्माण न्यायपालिका के परामर्श के बिना किया जा रहा है ।
- चुनाव याचिकाओं के कारण न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ।

सुधारों की जरूरत:

- फास्ट ट्रैक न्यायालयों, अतिरिक्त न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना करनी होगी।
- अदालतों की सूचना और संचार संबंधी क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता है।
- लोक अदालत जैसी व्यवस्थाओं के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- न्यायिक डेटा संग्रह करने और अदालत से संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया देश भर के सभी न्यायालयों के लिए एक होनी चाहिए।
- न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, न्यायपालिका को सूचना के अधिकार के दायरे में खुद को लाना चाहिए।
- संसद में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक लाया जाना चाहिए।
- सरकार के द्वारा भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन कर कानून में पुराने और निरर्थक तत्वों को दूर करने के लिए काम किया जाना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति की आयु संबंधी प्रावधान करने के लिए नियमों को परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायाधीशों के द्वारा सरकार में कोई भी नया पद ग्रहण करने से पूर्व एक समयांतराल (कूलिंग आफ पीरियड) निर्धारित किया जाना चाहिए।

1.10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तु को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल ने इस पद के लिए उन्हें चुना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत का एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के अंतर्गत की गयी है।
- इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा सांविधिक आधार दिया गया है।
- इसका गठन मानव अधिकारों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मानवाधिकार अधिनियम में मानवाधिकारों को "जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानव की गरिमा से संबंधित अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किये गए

VISION IAS

हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में परिकल्पित किये गए हैं" के रूप में परिभाषित किया गया है।

अध्यक्ष की नियुक्ति:

- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं :
  - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  - गृह मंत्री
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - राज्यसभा में विपक्ष के नेता
  - लोक सभा के अध्यक्ष
  - राज्यसभा के उप सभापति

पूर्व वर्षों में पूछें गये प्रश्न : प्रारंभिक परीक्षा 2004

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है?

(a) उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश

(b) उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश

(c) भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

(d) केवल एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति

1.11. एफबीआई बनाम एप्पल

मुद्दा

- एफबीआई और एप्पल हाल ही में एक कानूनी विवाद में उलझ गए थे। विवाद का बिंदु यह था कि क्या संघीय अदालत एप्पल को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मजबूर कर सकती है, जिसके द्वारा एफ.बी.आई. एप्पल के आईफोन 5C को अनलॉक कर सके। यह फोन दिसंबर 2015 में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी से बरामद किया गया था।
- आईफोन मजबूत एन्क्रिप्शन के साथ उपलब्ध होता है। यहां तक कि एप्पल कंपनी भी एक एन्क्रिप्टेड फोन को अनलॉक करने के लिए "कुंजी" का उपयोग नहीं कर सकती, केवल उपयोगकर्ता ही उन्हें नियंत्रित करते हैं।
- इस विवाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम डेटा गोपनीयता पर बहस को फिर से सुर्ख़ियों में ला खड़ा किया है।

अमेरिकी न्यायपालिका का रुख:

- न्यायालय ने जांचकर्ताओं को "उचित तकनीकी सहायता" प्रदान करने के लिए एप्पल को निर्देश दिया है।
- एक निश्चित प्रयासों से अधिक बार गलत पिन या पासवर्ड डालने पर मोबाइल फोन में आटो इरेज प्रणाली स्वयं ही सक्रिय हो जाती है। इससे महत्व पूर्ण जानकारी मिट जाती है | अत: इस आटो-इरेज प्रणाली के स्वतः सक्रिय होने की परिघटना से बचने के लिए एफ.बी.आई. को एप्पल द्वारा सहायता उपलब्ध कराना है ।
- एफबीआई को किसी कंप्यूटर या किसी प्रोग्राम या ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल जो वे चाहें, के मध्यम से उन्हें अनगिनत बार पासकोड प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए।
- यह सुनिश्चित करना कि डिवाइस अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने पर एप्पल सॉफ्टवेयर जानबूझ कर कोई व्यवधान पैदा न कर सके।

अन्य हितधारकों के विचार:

- **एप्पल का रुख:**
  एप्पल का कहना है कि वह अपने आईफोन उपभोक्ताओं की निजता व सुरक्षा की अनदेखी नहीं कर सकता, पुनः अगर वह ऐसा करता है तो इसका मतलब होगा कि एप्पल के उपभोक्ताओं के विश्वास को तोड़ना। इसके अतिरिक्त इससे हैकर्स तथा अपराधियों से भी आईफोन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा।
- फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी तकनीकी कम्पनियों के प्रमुखों ने इस मुद्दे पर एप्पल का समर्थन किया
  - सरकार के अनुरोध को मान लेने पर अंततः डेटा की गोपनीयता कमजोर होगी।
  - एफबीआई को आतंकवादी के आईफोन से जानकारी हासिल करने की तकनीकी देने का अर्थ सभी आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा से समझौता करना होगा।
- अमेरिकी सरकार ने अदालत को बताया कि जांच प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए विशेष तौर निर्मित किये गये iOS साफ्टवेयर का स्वामित्व एप्पल के पास ही रहेगा तथा आवश्यक जानकारियों की प्राप्त के पश्चात कंपनी इसे नष्ट भी कर सकेगी।
- सैन बेर्नार्दिनो हमले के कुछ पीड़ितों ने एन्क्रिप्टेड आईफोन को अनलॉक करने के लिए जाँच एजेंसी को एप्पल द्वारा सहयोग दिए जाने के लिए अमेरिकी सरकार की मांग के समर्थन में कानूनी पत्र दाखिल करने का निर्णय लिया है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- वर्तमान एप्पल बनाम एफबीआई मामले का भारत के संदर्भ में सुरक्षा और गोपनीयता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हमारे डिजिटल भविष्य के सन्दर्भ में यह तथ्य गंभीर चिंतन का विषय है।
- भारतीय नियामकों को राष्ट्र की रक्षा के लिए कानूनी एजेंसियों को आवश्यक जानकारी हासिल करने की अनुमति देने के साथ ही उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा को भी महत्व देना होगा अन्यथा देश में आइफोन जैसे तकनीकी का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।
- इसके अलावा, विदेश आधारित इंटरनेट कंपनियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ डेटा प्राप्ति के वैध अनुरोधों पर सहयोग करने की जरूरत है।
- भारत में डेटा की रक्षा के लिए उच्च सुरक्षा युक्त डिवाइस तथा एक ऐसी कानून प्रवर्तन एजेंसी जो प्रभावी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक जानकारी प्राप्त कर सके, की आवश्यकता पर बल दिए जाने की जरुरत है।

VISION IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

2.1. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टी.पी.पी)

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टी.पी.पी) प्रशांत महासागर **की परिधि में अवस्थित 12 देशों** के बीच एक व्यापार समझौता है। इस पर 4 फ़रवरी 2016 को हस्ताक्षर किया गया। इन 12 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम सम्मिलित हैं।

- इस समझौते का उद्देश्य इन देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को सरल बनाना और श्रम मानकों, पर्यावरण के मुद्दों, मूलोत्पत्ति के मानदंडों और बौद्धिक संपदा पर नियमों को मजबूत बनाना है।
- टी.पी.पी, के दायरे में **विश्व अर्थव्यवस्था का 40 प्रतिशत** हिस्सा होगा।
- इस मेगा व्यापार समझौते को **चीन की बढ़ती वैश्विक आर्थिक शक्ति का प्रतिस्पर्धी** माना जा रहा है।
- अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय द्वारा कहा गया है कि इस साझेदारी से अंततोगत्वा **18,000 से भी अधिक टैरिफ समाप्त हो जाएंगे**। वर्तमान में ये साझेदार देशों द्वारा आरोपित हैं।
- टी.पी.पी में श्रम, निवेश, पर्यावरण, ई-कॉमर्स, प्रतिस्पर्धा और सरकारी खरीद जैसे तथाकथित नए मुद्दों पर विस्तृत दायित्व सम्मिलित हैं।

टी.पी.पी का इसमें सम्मिलित देशों पर प्रभाव: विश्व बैंक के अनुसार इस समझौते से 2030 तक सदस्य-देशों के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में **1.1 प्रतिशत तक** वृद्धि हो सकती है।

भारत पर प्रभाव:

- भारत टी.पी.पी का सदस्य राष्ट्र नहीं है।
- विश्व बैंक का अनुमान है कि 2030 तक समग्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.1 प्रतिशत घाटे सहित गैर-सदस्यों पर सीमित **'ट्रेड डाइवर्जन'** प्रभाव पड़ेगा।
- वरीयता क्षरण के परिणामस्वरूप निर्यात की कुछ विशेष श्रेणियों में भारत को बाजार हिस्सेदारी में हानि का सामना करना पड़ सकता है।
- ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टी.पी.पी) द्वारा परोक्ष रूप से **वस्त्र, प्लास्टिक, चमड़ा, कपड़ा, कपास और धागे** जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों में भारत का **निर्यात प्रभावित (हिस्सेदारी में कमी)** होने की संभावना है।
- **इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लिए बहुत-ही उच्च मानकों का निर्धारण किया है** जिससे टी.पी.पी देशों को होने वाले भारत के निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के संचालन और उत्पादन के तरीके भी टी.पी.पी के कारण बाधित हो सकते हैं।
- निवेश, श्रम मानकों, **बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर),** सरकारी खरीद और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के मामलों में देश की व्यवस्था भी प्रभावित होगी।
- बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंट की संभावित एवरग्रीनिंग सहित **टी.पी.पी के कुछ मानक विश्व व्यापार संगठन के मापदंडों की तुलना में उच्च हैं** जिससे भारत के **औषध क्षेत्र को चोट** पहुंच सकती है।

टी.पी.पी के प्रभाव को कम करने हेतु:

भारत के दृष्टिकोण से टी.पी.पी के बाहर बने रहने से निश्चित रूप से ट्रेड डाइवर्जन (व्यापार दिक्परिवर्तन) की स्थिति पैदा होगी, लेकिन टी.पी.पी की सदस्यता समनुरूप लाभ के बिना भारी लागत आवश्यक बना सकती है।

उच्च मानक और कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के कारण भारत को कुछ लाभ, विशेषकर औषध क्षेत्र में, खोने पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, दवाओं की कीमत में तीव्र वृद्धि दिखाई देगी। इसलिए, निम्नलिखित उपाय अपनाकर टी.पी.पी के प्रभाव को कम करना आवश्यक हो जाता है।

- भारत को प्राथमिकता आधार पर वर्तमान में जारी अपनी मुक्त व्यापार वार्ताओं को संपन्न कर लेना चाहिए। इसमें भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता और मेगा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आर.सी.ई.पी) सम्मिलित हैं।
- भारत को लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों की बाजारों में पहुँच बढ़ाकर **निर्यात गंतव्यों में विविधता** लानी चाहिए।
- भारत को घरेलू मोर्चे पर **अपने उत्पादों को और अधिक लागत प्रतिस्पर्धी** बनाने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।
- भारत के **निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन** करने के लिए देश के भीतर प्रयास किया जाना चाहिए।
- न केवल आयात बाजारों में प्रचलित मानकों का अनुपालन करने के लिए, बल्कि उचित अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुपालन का प्रदर्शन करने के लिए भी भारतीय निर्यातकों को सक्षम बनाने के लिए सरकार को व्यापक पहल का शुभारंभ करना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय के साथ-साथ घरेलू मोर्चे पर भी सशक्त व्यापार नीति दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य भारत के व्यापार हितों की रक्षा करना और बढ़ावा देना हो।

2.2. भारत और ब्रुनेई

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ब्रुनेई का दौरा किया। ब्रुनेई की उनकी यह यात्रा मई 1984 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत की ओर से पहली उच्चस्तरीय यात्रा थी। उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और ब्रुनेई ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा सहयोग:

- विभिन्न स्तरों पर यात्राओं के आदान-प्रदान; अनुभव, जानकारी, प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के आदान-प्रदान; संयुक्त सैन्य अभ्यास के संचालन, सेमिनार और विचार विमर्श; और रक्षा उद्योगों के

VISION IAS

बीच सहयोग के माध्यम से दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की।

- नौसैनिक जहाजों की यात्राओं, स्टाफ कॉलेजों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण और अनुभव के आदान-प्रदान के रूप में भारत और ब्रुनेई के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही विद्यमान है।
- रक्षा सहयोग समुद्री सुरक्षा पर अधिक सहयोगात्मक कार्य के लिए और भारत के ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करने के लिए दोनों पक्षों को संस्थागत आधार प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य:

- स्वास्थ्य पर समझौते का उद्देश्य, तकनीकी, वैज्ञानिक, वित्तीय और मानव संसाधनों की पूलिंग करके सहयोग स्थापित करना और दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान का उन्नयन करना है।

युवा और खेल मामले

- युवा और खेल मामलों के क्षेत्र में, यह समझौता खिलाड़ियों और खेल टीमों के आदान-प्रदान के लिए ढांचा प्रदान करता है; युवा मामलों के क्षेत्र में कोचिंग, खेल प्रतिभाओं की पहचान, खेल प्रबंधन और प्रशासन और सूचना के आदान-प्रदान के मामले में विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

ब्रुनेई का महत्व:

- ब्रुनेई आसियान में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने के अतिरिक्त यह **भारतीय समुदाय के 10,000 लोगों** का घर है।
- ब्रुनेई **विश्व में तरल प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
- भारत ब्रुनेई से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। इस प्रकार भारत ब्रुनेई के लिए तीसरा सबसे बड़ा आयातक है।
- ब्रुनेई आसियान में एक महत्वपूर्ण भागीदार और भारत के लिए सहयोगी बन चुका है।
- **दक्षिण चीन सागर में सामरिक अवस्थिति:** दक्षिण चीन सागर एक प्रमुख जहाजरानी मार्ग है। विश्व का आधे से भी अधिक वाणिज्यिक माल भारत-प्रशांत जलमार्ग से होकर गुजरता है।

2.3. भारत और थाईलैंड

उपराष्ट्रपति ने थाईलैंड का भी दौरा किया। थाईलैंड भारत की **'एक्ट ईस्ट' नीति** (Act East Policy) का महत्वपूर्ण स्तंभ है।

इस यात्रा के मुख्य आकर्षण:

रक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए भारत और थाईलैंड ने रूपरेखा बनाई, क्योंकि दोनों देशों ने **अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों** को सुरक्षित बनाने में अपनी साझा रुचि व्यक्त की है।

रक्षा सहयोग:

- **कोबरा गोल्ड 2016:** भारत कोबरा गोल्ड 2016 [बहुपक्षीय जल तथा स्थल अभ्यास] और **ऑपरेशन मैत्री** [आतंकवाद विरोधी] आपरेशन में भाग लेगा।
- भारत और थाईलैंड शीघ्र ही अंडमान समुद्र में नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगे।
- आतंक के संचालकों द्वारा नशीले पदार्थों और मानव तस्करी के नेटवर्क के संभावित उपयोग को लेकर चिंतित, भारत और थाईलैंड ने कैदियों के आदान प्रदान पर बातचीत आरंभ कर दी है। यह पारस्परिक हित में है।

थाईलैंड का महत्व:

- सुरक्षा सहयोग के अतिरिक्त, थाईलैंड 3,200 किलोमीटर के आई.एम.टी **(भारत-म्यांमार-थाईलैंड) राजमार्ग** के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जो भारत के पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ेगा।
- थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- भारत को 5.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थाई निर्यात और थाईलैंड को 3.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात के साथ वर्ष 2014 में **दो-तरफा व्यापार, कुल 8.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।
- समुद्री पड़ोसी के रूप में, भारत और थाईलैंड के अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा में साझा हित हैं।
- **प्रत्यर्पण संधि:** कैदियों के आदान-प्रदान की गति तेज करने की नवीनतम योजना द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि, 2013 और पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, 2004 पर आधारित है जो दोनों पक्षों हेतु बातचीत के लिए कानूनी आधार प्रदान करती हैं।
- **थाईलैंड से प्रमुख प्रत्यर्पण:** जनवरी 2015 में, थाईलैंड ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जगतार सिंह को प्रत्यर्पित करने के बाद दिसंबर 2015 में थाई हथियार तस्कर "विली नारू", वुथीकोर्न नारूएनर्टवानिच को प्रत्यर्पित किया।

2.4. भारत और श्रीलंका

भारत के विदेश मंत्री ने प्रमुख द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए **संयुक्त आयोग के 9वें सत्र की बैठक** में भाग लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक प्रणाली के रूप में 1992 में संयुक्त आयोग की स्थापना की गयी थी।

संयुक्त आयोग के महत्वपूर्ण आकर्षण:

आर्थिक सहयोग में विचार-विमर्श, व्यापार, विद्युत और ऊर्जा, तकनीकी और समुद्री सहयोग, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मामलों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क से संबंधित सभी पहलुओं का समावेश किया गया।

VISION IAS

- श्रीलंका ने **त्रिंकोमाली में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)** की स्थापना करने और विमानन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव रखा।
- दोनों पक्षों ने वैमानिकी अनुसंधान और श्रीलंका द्वारा **भारतीय उपग्रह प्रणाली 'गगन' के उपयोग के संबंध में सहयोग बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा** की।
- श्रीलंका ने त्रिंकोमाली में स्थापित किये जा रहे तेल भण्डारण स्थलों पर सहयोग का प्रस्ताव रखा।
- **पर्यटन: लंका में रामायण सर्किट के विकास और भारत में बौद्ध सर्किट के विस्तार पर सहयोग** को आगे ले जाने के लिए पर्यटन पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक वर्ष 2016 के मध्य में आयोजित की जाएगी।
- श्रीलंका ने भारत से **लघु विकास परियोजना** मॉडल के अंतर्गत नई परियोजनाओं पर विचार करने के लिए अनुरोध किया।
- संयुक्त आयोग भारत से श्रीलंकाई शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया के सरलीकरण पर नज़र रखेगा।
- प्रस्तावित आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर श्रीलंका की चिंताओं का समाधान करने के लिए भारत कोलंबो में कार्यशाला की मेजबानी करने के लिए आगे आया है ।
- भारत ने श्रीलंका की मेल-मिलाप और विकास की नीतियों का समर्थन किया है।
- बैठक के बाद दो सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए - एक तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में 27 विद्यालयों के पुनरूद्धार पर और दूसरा पूर्व में बट्टीकोला टीचिंग अस्पताल में सर्जिकल वार्ड बनाने और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने पर।
- **शम्पूर परियोजना:** 500 मेगावाट की शम्पूर ताप विद्युत परियोजना, जो श्रीलंका और भारत का एक संयुक्त उपक्रम है, को पर्यावरण संबंधी स्वीकृत प्रदान की गई।

मछुआरों का मुद्दा:

मछुआरों का मुद्दा भारत-श्रीलंका संबंधों में एक **बड़ी अड़चन** बना हुआ है।

- विशेष रूप से **एक छोटे से टापू (कच्चाथीवू** - जिसे 1974 में कोलंबो को सौंपा गया था) के आसपास श्रीलंका भारतीय मछुआरों पर अपने जल क्षेत्र में भटक कर आने का आरोप लगाता है, जबकि भारत का दावा है कि वे केवल अपने पारंपरिक क्षेत्रों में मछली पकड़ रहे होते हैं।
- भारत का कहना है मछुआरों के मुद्दे का संबंध सामाजिक-आर्थिक, आजीविका और मानवीय पहलुओं से है अतः वह समस्या का दीर्घकालिक समाधान चाहता है।

डिजिटल इंडिया का उदय:

- भारतीय मंत्री ने "संगम - श्रीलंका में भारत महोत्सव 2015-16" के एक भाग के रूप में "डिजिटल इंडिया का उदय" प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- विदेश मंत्री ने श्रीलंका में आई.टी. पार्क स्थापित करने के भारतीय प्रस्ताव की घोषणा की।

2.5. भारत और यूएई

संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 10 फरवरी से 12 फरवरी, 2015 तक भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। उनकी यात्रा के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच **मुद्रा विनिमय, संस्कृति, अवसंरचना क्षेत्र में निवेश तथा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते किये गए**। इन समझौतों के अंतर्गत **अंतरिक्ष अनुसंधान, बीमा पर्यवेक्षण, साइबर सुरक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक जानकारी साझा करने के क्षेत्रों में सहयोग** सहित कुल नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौतों की सूची:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) ने **दिरहम और भारतीय रुपए की द्विपक्षीय अदला-बदली (स्वैपिंग)** के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में पहली बार **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विज्ञान और सुदूर संवेदन अनुप्रयोग के क्षेत्र में समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नेविगेशन में सहयोग जैसे मुद्दे** समझौता ज्ञापन में शामिल किये गए।
- एक समझौता ज्ञापन का शीर्षक - 'संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत सरकार के बीच **सांस्कृतिक सहयोग** के लिए कार्यकारी कार्यक्रम (2016-2018)' है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना और बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा करना और आपसी हित के प्रकाशनों का आदान-प्रदान करना है।
- एक समझौता ज्ञापन **संयुक्त अरब अमीरात के बीमा प्राधिकरण और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.आई) के बीच किया गया** है जिसका उद्देश्य बीमा विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा निवेश फंड के माध्यम से भारत की अवसंरचना ढांचे में निवेश करने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन; जिसका उद्देश्य भविष्य में आर्थिक, व्यापारिक और निवेश संबंधी सहयोग प्राप्त करना है।
- संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय योग्यता प्राधिकरण और भारत **के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच** एक प्रपत्र(लेटर ऑफ़ इंटेंट) के द्वारा कौशल विकास और योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कुशल श्रम के स्थानांतरण संबंधी सहयोग सुनिश्चित करने तथा समानता और आपसी लाभ के सिद्धांतों को अपने संबंधों में मान्यता देने की नींव डाली गई।
- एक समझौता ज्ञापन **इलेक्ट्रॉनिक अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में** सहयोग के लिए है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य

VISION IAS

इलेक्ट्रॉनिक अपराध, जिनसे समाज की स्थिरता को खतरा हो सकता है, के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।

- संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय और भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच संपन्न एक जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट (सामान्य फ्रेमवर्क समझौता) के तहत **नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में** दोनों देशों के बीच निवेश, संयुक्त अनुसंधान और विकास प्रयासों के क्षेत्र में विशेष तौर पर **सहयोग की स्थापना** पर बल दिया गया है।
- संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय तेल कंपनी ऐडनॉक भारत के पहले रणनीतिक भंडारण में कच्चा तेल भण्डारित करने और भारत को दो-तिहाई तेल नि:शुल्क देने के लिए सहमत हो गयी है।

संयुक्त अरब अमीरात का महत्व:

भारत और संयुक्त अरब अमीरात सभ्यतामूलक संपर्कों, सदियों पुराने समुद्री व्यापार और लोगों से लोगों के बीच जीवंत संपर्कों के आधार पर मित्रता के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं।

- **भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा और रेमिटेंस (विप्रेषण):** 2.6 लाख जनसंख्या का मजबूत भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात की आबादी के लगभग 30 प्रतिशत का गठन करता है।
- **व्यापार संबंध:** वित्तीय वर्ष 2014-15 में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात 33.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत को संयुक्त अरब अमीरात का निर्यात 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इस प्रकार संयुक्त अरब अमीरात भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक बन जाता है।
- संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत के कच्चे तेल के आयात का छठा सबसे बड़ा स्रोत भी है।
- **निवेश:** अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा, जो 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के अवसंरचना क्षेत्र में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जतायी।
- **सामरिक और रक्षा सहयोग:** प्रधानमंत्री की यात्रा ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच **"व्यापक सामरिक भागीदारी,"** संबंधी समझौते को संपन्न कर संबंधों को नई उचाई प्रदान की है। इसके अंतर्गत दोनों देशो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच **"सामरिक सुरक्षा संवाद"** सहित पारस्परिक सहयोग शामिल हैं। नौसेना, वायु, भूमि और विशेष बलों के प्रशिक्षण, और तटीय सुरक्षा के क्षेत्र में नियमित रूप से अभ्यास किया जाएगा।

खाड़ी क्षेत्र का सामरिक महत्व:

संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण देश है। खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता में भारत के व्यापक हित निहित हैं।

- नई दिल्ली के वर्तमान आर्थिक हितों ने **खाड़ी के तेल और गैस पर बढ़ती निर्भरता** के साथ सामरिक आयाम प्राप्त कर लिया है।
- क्षेत्र में केंद्रीय भू-राजनीतिक परिवर्तनों से अमेरिका के हितों और प्रभाव का ह्रास हुआ है, जिससे मध्य पूर्व और अधिक बहुध्रुवीय बन रहा है।
- व्यापक मध्य पूर्व में **तेल सुरक्षा परिदृश्य** महत्वाकांक्षी भारत के लिए नए अवसर प्रदान करता है। खाड़ी देश अपने तेल व्यापार के गारंटरों में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं और कई रणनीतिक भागीदारों के साथ काम करके लाभ बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं।
- खाड़ी क्षेत्र, जो **सत्तर लाख प्रवासी** भारतीयों का घर है और रेमिटेंस का महत्वपूर्ण स्रोत है, का भारत की सुरक्षा और उसके पड़ोस में स्थिरता पर मजबूत प्रभाव है।
- खाड़ी देश हिंद महासागर की पश्चिमी परिधि पर स्थित हैं जो दिल्ली के भविष्य के सामरिक प्रभाव का कथित क्षेत्र है।

2.6. भारत और नेपाल

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की। परंपरानुसार श्री ओली ने अक्टूबर 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को अपनी पहली विदेश यात्रा का गंतव्य बनाया। श्री ओली की इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

समझौतों की सूची:

- नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण सहायता के लिए भारत सरकार के सहायता पैकेज के 250 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान घटक के उपयोग पर समझौता ज्ञापन:
- इस समझौता ज्ञापन में चार क्षेत्र सम्मिलित हैं - आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत ।
- नेपाल के तराई क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को मजबूत बनाने पर समझौता ज्ञापन;
- नेपाल की नाटक और संगीत अकादमी और भारत की संगीत नाटक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन| इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेषज्ञों, कलाकारों, नर्तक-नर्तकियों, विद्वानों और प्रबुद्धजनों के आदान-प्रदान के माध्यम से कला प्रदर्शन के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है।
- पारगमन मार्गों पर विनिमय पत्र:
- काकादभिट्टा-बंग्लाबंध गलियारे के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश के बीच पारगमन संबंधी सुविधाओं का विकास जिसका उद्देश्य काकादभिट्टा (नेपाल) और बंग्लाबंध (बांग्लादेश) गलियारे के माध्यम से भारत से होकर पारगमन करते हुए नेपाल और बांग्लादेश के बीच वस्तुओं के यातायात के लिए तौर तरीकों का सरलीकरण करना है।
- विशाखापत्तनम बंदरगाह के सुचारू संचालन से नेपाल के लिए पारगमन सुविधा उपलब्ध होगी।
- मुजफ्फरपुर-ढल्केबर पारेषण लाइन का उद्घाटन।
- प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की स्थापना

VISION IAS

- जुलाई 2014 में काठमांडू में आयोजित भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह (ई.पी.जी) की स्थापना करने का निर्णय किया गया था। इसका अधिकारक्षेत्र व्यापक रूप से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए संस्थागत रूपरेखाओं सहित अन्य उपायों की अनुशंसा करना होगा।

यात्रा का महत्व:

अगस्त **2015** में, जब से नेपाल ने नया संविधान अपनाया है, मधेशियों द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर निरंतर नाकाबंदी की जा रही है। नए संविधान की उदघोषणा के साथ ही नेपाल-भारत तनाव चरम पर पहुँच गया था **क्योंकि** इस संविधान को मधेशी और थारू जैसे जातीय समूह के लिए गैर-समावेशी माना गया।

- नेपाल सरकार ने भारत पर नाकाबंदी करने का आरोप लगाया, नाकाबंदी से नेपाल में गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया। नेपाली सरकार ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने संविधान के प्रावधानों में सुधार के लिए काठमांडू पर दबाव बनाने के लिए नाकाबंदी को प्रोत्साहित किया है।
- भारत ने इन आरोपों का खंडन इस बात पर बल दे ते हुए किया कि सीमा पर तनाव **मधेशी दलों** के कारण था और यह नेपाल के आंतरिक विरोध प्रदर्शनों का परिणाम था। भारत ने नेपाल पर 'भारत विरोधी' भावना भड़काने का आरोप लगाया और 'चीन' कार्ड का उपयोग करने के नेपाल के प्रयास के संदर्भ में अपनी नाराजगी जाहिर की।
- ऐसी परिस्थिति में, नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा ने गलतफहमियों को कम करने के लिए दोनों पक्षों को अवसर प्रदान किया। इस यात्रा के दौरान, भारत ने अवगत कराया कि काठमांडू को तराई क्षेत्र में **"सुरक्षा और सद्भाव" की भावना पैदा करने और "निर्बाध वाणिज्य" सुनिश्चित करने के लिए** इस मुद्दे को तत्काल हल करना चाहिए।
- नेपाल में **शांति और स्थिरता** भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नेपाल में लंबे समय तक संघर्ष का प्रभाव विशेष रूप से नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश में होगा।
- नेपाल में भारत विरोधी भावना इस अस्थिर स्थिति का लाभ उठाने के लिए चीन को अवसर उपलब्ध करा सकती है।

2.7. भारत और पाकिस्तान

सियाचिन विवाद:

- सियाचिन (जिसका अर्थ गुलाबों की भूमि है) को विश्व को उच्चतम युद्धक्षेत्र के रूप में भी पहचान प्राप्त है।
- यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान द्वारा चीनियों को हस्तांतरित भूमि के बीच स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र है।

- सियाचिन विवाद जुलाई 1949 के कराची युद्धविराम समझौते में व्याप्त अस्पष्टता का एक प्रत्यक्ष परिणाम है।
- 1947-1948 के युद्ध के अंत में जिस समझौते के द्वारा दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध विराम रेखा की स्थापना हुई, उसमे **ग्रिड संदर्भ NJ 9842** (जो कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण की ओर अवस्थित है) से चीनी सीमा तक के बीच की सीमा रेखा का निरूपण नहीं किया गया, तथा इसे "चालुन्का (श्योक नदी पर), खोर, और तदंतर **ग्लेशियरों के उत्तर (thence North to the glaciers)** तक ऐसे हीं छोड़ दिया गया।

कराची युद्धविराम समझौते की व्याख्या:

"इसके बाद **thence North to the glaciers** " वाक्यांश की भारत और पाकिस्तान पक्षों ने बिल्कुल भिन्न प्रकार से व्याख्या की है।

- पाकिस्तान इसका अर्थ यह बताता है कि **यह रेखा NJ 9842 से सीधी भारत-चीन सीमा पर स्थित काराकोरम दर्रे की ओर जानी चाहिए।**
- हालांकि, भारत इस बात पर जोर देता है कि यह रेखा चीन के साथ लगने वाली सीमा के साथ सल्टोरो पर्वतश्रृंखला के साथ **NJ** 9842 से उत्तर की ओर आगे बढ़नी चाहिए।

रणनीतिक अवस्थिति:

- सियाचिन एक ऐसे रणनीतिक स्थान पर अवस्थित है जिसके बायीं ओर पाकिस्तान और दाहिनी ओर चीन है। इसलिए पाकिस्तान ने इसकी पुनर्व्याख्या कर इसे उत्तर-पूर्व की ओर बताया जिससे यह सल्टोरो रिज एवं सियाचिन से आगे के स्थान को अपना बताकर दावा प्रस्तुत कर सके।
- इससे पाकिस्तान को चीन के साथ सीधा संपर्क प्राप्त होने के साथ ही साथ लद्दाख क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण लेह-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रणनीतिक निगरानी रखना संभव होगा, जिससे भारत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

VISION IAS

ऑपरेशन मेघदूत:

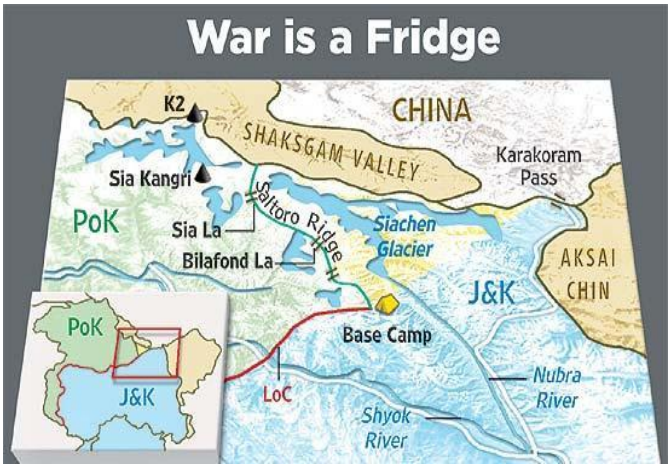

- 1983 में, पाकिस्तानी जनरलों ने सियाचिन ग्लेशियर पर सेना तैनात कर अपना दावा करने का निर्णय किया। पाकिस्तान को रोकने के लिए भारत ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत आरंभ किया और ग्लेशियर के उच्च स्थलों पर अपना अधिकार कर लिया।
- वर्तमान में भारतीय सेना का 70 किलोमीटर लंबे सियाचिन ग्लेशियर,इसके सभी उप-ग्लेशियरों, और साथ ही साथ ग्लेशियर के ठीक पश्चिम की ओर सल्टोरो रिज के तीन मुख्य दर्रों सिया ला, बिलाफोन्ड ला और ग्योंग ला पर नियंत्रण है, इस प्रकार इसे उच्च भूमि के सामरिक लाभ प्राप्त हैं।

विस्तृत विवरण के लिए आंतरिक सुरक्षा शीर्षक के अंतर्गत आलेख *6.1* देखें।

2.8. पाकिस्तान को एफ-16 की बिक्री

संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन पाकिस्तान को आठ एफ-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री की अपनी योजना पर अमल करने जा रहा है।

बिक्री के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका के तर्क:

- पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू जेट विमानों की आपूर्ति आतंकवाद से संघर्ष करने में सहयोग करेगी।
- इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी सेना की सटीक आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाया है।

इस सौदे का विरोधी मत:

- भारत ने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री किए जाने का विरोध किया है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादी संगठनों को शरण दे रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
- पाकिस्तानी और तालिबान से जुड़ा आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद भारत के पठानकोट में स्थित वायुसेना बेस पर हाल ही में हुए हमले के उत्तरदायी माना जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के कई कानून निर्माताओं ने इस आधार पर इस सौदे का विरोध किया है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना जारी रखे हुए है। कुछ ने यह बिंदु भी उठाएं हैं कि परमाणु अस्त्रों को वहन करने में सक्षम विमानों का प्रयोग भारत को धमकी देने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है।

भारत-पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका की डि-हाइफनेशन (de-hyphenation) नीति:

राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी सरकार ने **'डि-हाइफनेशन' (de-hyphenation)** नीति की कार्य-योजना निर्मित की थी लेकिन ओबामा के सत्ता में आने के बाद इस पर मुहर लगायी गयी थी।

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न विभागों के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान को, उनके द्विपक्षीय संबंधों को संदर्भित किए बिना दो पृथक भागों के रूप में देखने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाभदायक रही है क्योंकि इस नीति से यह पाकिस्तान की ओर से किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बिना ही भारत के साथ रणनीतिक और सैन्य संबंधों में सुधार करने में सक्षम था।
- इसने उन्हें भारत को संदर्भित किये बिना अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की सेना के साथ अपना सहयोग जारी रखने की रणनीति में सहयोग किया है।
- **अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि (एस.आर.ए.पी.)** संबंधी प्रावधान 2009 में किया गया था, जिसने डी-हायफ़नेशन नीति के प्रारंभ का स्वागत किया।
- नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से अपने संबंधों को पृथक-पृथक परिभाषित कर, वर्ष 2008 से दोनों देशों के संबंध में प्रश्न उठने पर अमेरिका अत्यधिक लाभ प्राप्त करता रहा है।

नीति उल्क्रमण:

- 2009 के ओबामा प्लान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को "डी-हाइफेनेट" रखता था; अब सात वर्ष बाद प्रशासन उसे बदलने के विषय में सक्रियतापूर्वक विचार कर रहा है। ओबामा सरकार **अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि (एस.आर.ए.पी.)** कार्यालय को भारत संबंधी मामले देखने वाले **दक्षिण एवं मध्य एशिया (एस.सी.ए.)** ब्यूरो के साथ पुन: मिलाना चाहता है।

इस प्रकार के निर्णय का प्रभाव:

री-हाइफनेशन (re-hyphenation) का निहितार्थ यह है कि वाशिंगटन के साथ संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत और पाकिस्तान दोनों से एक समान नीतिगत निर्णयों के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ हायफ़नेशन को अस्वीकृत किया।

- ऐसे निर्णय से भारत-पाकिस्तान संबंधों में अमेरिका के हस्तक्षेप की संभावनाओं में काफी वृद्धि होगी।

VISION IAS

- एस.आर.ए.पी. को सम्मिलित करने से भारत-पाकिस्तान विवाद में संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा पक्ष बन जाएगा।
- भारत-पाकिस्तान संबंधों की वर्तमान डि-हाइफनेट स्थिति दोनों देशों के बीच आपसी समस्याओं के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना ही द्विपक्षीय समाधान की अनुमति देती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना में भारत-पाकिस्तान संबंधों का रि-हायफ़नेशन भारत के लिए वांछित नहीं है क्योंकि इससे भारत की अफ़ग़ानिस्तान नीति प्रभावित होने की संभावना है।
- भारत की अफ़ग़ानिस्तान नीति को इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वयं की कुछ नीतियों का समर्थन करने के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है।
- यह अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए भारत को अप्रत्यक्ष रूप से विवश करेगा।

2.9. भारत-अमेरिका सौर विवाद

सौर विवाद:

राष्ट्रीय सौर मिशन:

- मिशन का उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक ग्रिड संपर्क के साथ 20,000 मेगा वाट की सौर ऊर्जा अवसंरचना स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 2015 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के अंतर्गत भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2022 तक पांच गुना बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की है।
- सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं के बीच निविदाएं प्रस्तुत कर, सौर ऊर्जा क्षमता संपन्न बड़े संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तक की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी दिया है।

अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन का विरोध:

संयुक्त राज्य ने विश्व व्यापार संगठन **(डब्ल्यू.टी.ओ.) में** देश के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत भारत की **घरेलू सामग्री आवश्यकता (डी.सी.आर.)** के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई है।

- अमेरिका ने दावा किया है कि डी.सी.आर. **राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत** एवं **व्यापार संबंधित निवेश उपायों** (ट्रिम्स) पर समझौते जैसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समझौतों का उल्लंघन करता है।
- अमेरिका की व्यापार संबंधी शिकायत ने 2013 में आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की सब्सिडियाँ, डेवलपर्स (विकासकर्ताओं) द्वारा केवल भारत में निर्मित उपकरणों का प्रयोग करने पर ही उपलब्ध थीं। यह प्रतिबंध वैश्विक व्यापार के एक मूलभूत नियम का उल्लंघन करता था।

अमेरिका के लिए भारत का प्रस्ताव:

भारत इस तथ्य के प्रति आश्वस्त है कि डी.सी.आर. संधारणीय विकास को सुसाध्य करने की एक व्यवस्था है।

- भारत का प्रस्ताव है कि यह स्वयं के उपभोग जैसे रेलवे और रक्षा हेतु सोलर पैनल खरीदने के लिए घरेलू सामग्री आवश्यकता (डी.सी.आर.) उपायों का प्रयोग करेगा और ऐसे रियायती पैनलों से उत्पन्न विद्युत को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विक्रय नहीं करेगा।

विश्व व्यापार संगठन के निर्णय:

अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध उठाये गए विवाद तथा नई दिल्ली द्वारा अपने सौर ऊर्जा कार्यक्रम में सुझाए गए परिवर्तनों पर सहमति नहीं बनने के बाद, अब 3 वर्षों बाद विश्व व्यापार संगठन का निर्णय आया है। विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- भारत की प्रश्नाधीन घरेलू सामग्री आवश्यकताएँ, ट्रिम्स समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित निदर्शी सूची के लिए व्यापार-संबंधित निवेश उपाय हैं अतः ये ट्रिम्स समझौते के अनुच्छेद 2.1 के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।
- पैनल ने यह भी पाया कि **घरेलू सामग्री आवश्यकताएँ (डी.सी.आर.)** जिन पर कि प्रश्न उठाया गया था वे निश्चय ही GATT 1994 के अनुच्छेद III के अनुसार "कम अनुकूल व्यवहार" प्रदान करती थीं।
- हालांकि, पैनल ने भारत द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सब्सिडी पर कोई निर्णय नहीं दिया।

विश्लेषण:

इस महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा कार्यक्रम से सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणामों की संभावना को देखते हुए, भारत अपीलीय निकाय के समक्ष डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्णय का विरोध करने के लिए विवश हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल के निर्णयों को विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में चुनौती दी जा सकती है।

- कई विश्लेषक यह अनुभव करते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्णय के न केवल भारत बल्कि ऐसे कई विकासशील देशों के लिए व्यापक निहितार्थ होगें जो हरित (पर्यावरण संरक्षी) अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घरेलू सामग्री आवश्यकता (डी.सी.आर.) द्वारा लाखों लोगों को घोर गरीबी से उबारने के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त **पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते** के बाद, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने हेतु पर्यावरण संरक्षी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है।
- अंतिम निर्णय पेरिस जलवायु समझौते के तुरंत बाद ही दिए गए हैं जिसमें विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के लिए **तकनीकी एवं वित्तीय सहायता** प्रदान करने का वादा किया था।

VISION IAS

- पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विकास के लिए **देशों को "सनशाइन नेशन" बनाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन** का आरंभ किया।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु दबाव निर्मित करने वाले वैश्विक समूहों ने विश्व व्यापार संगठन के निर्णय की आलोचना की है और विकासशील देशों से निवेदन किया है कि वे इन मुक्त व्यापार नियमों को लागू न करें जो स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिये संकट उत्पन्न करते हैं और जलवायु संकट से निपटने की कार्रवाई के महत्व को कम करते हैं।

2.10. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) सुधार

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने काफी समय से लंबित अपने कोटा सुधारों को कार्यान्वित करने की घोषणा कर दी है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

सुधारों के मूलभूत तथ्य:

- **कोटे के 6% से अधिक पॉइंट्स**, जिसमें आइ.एम.एफ. की पूंजी और उसके अनुपातिक मताधिकार सम्मिलित हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील अर्थव्यवस्थाओ को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के प्रशासनिक ढांचे में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने अधिक प्रभाव प्राप्त किया है।
- **भारत का मताधिकार वर्तमान के 2.3 से बढ़कर 2.6 प्रतिशत** एवं चीन का 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है।
- पहली बार उभरते बाजार वाले चार देश (ब्राजील, चीन, भारत और रुस) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 10 सबसे बड़े सदस्यों में होंगे।
- इन सुधारों से सर्वाधिक लाभ स्वयं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्राप्त होता है, क्योंकि इसके 188 सदस्य देशों द्वारा योगदान की जाने वाली सम्मिलित पूंजी 329 बिलियन पौंड (238.5 बिलियन एस.डी.आर.) से बढकर लगभग 668 बिलियन पौंड (477 बिलियन एस.डी.आर.) हो जाएगी।
- संयुक्त राज्य का मत-भाग भले ही कम होकर 16.7% से 16.5% हो जाएगा। किन्तु इसके अधिकार में वीटो शक्ति अभी भी रहेगी।
- इसके अतिरिक्त पहली बार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोर्ड संपूर्ण रूप से, निर्वाचित कार्यकारी अधिकारियों से मिलकर निर्मित होगा, इस प्रकार इसमें नियुक्त किए गए (appointed) कार्यकारी अधिकारियों के संबंध में निवर्तमान प्रावधान समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक कोटा वाले पांच सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य एक कार्यकारी अधिकारी की नियुक्त करता है।

एस.डी.आर. क्या है?

एस.डी.आर. एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, जिसका निर्माण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के सरकारी भंडार के पूरक के रूप में किया गया था। इसका मूल्य वर्तमान में चार मुख्य मुद्राओं (संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, यूरो, जापानी येन, एवं पौंड स्टर्लिंग) के समूह पर आधारित है, और इस समूह को पांचवीं मुद्रा के रूप में चीनी रॅन्मिन्बी (आर.एम.बी.) को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगा।

2.11. नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति (SUPPLEMENTARY COMPEN-SATION FOR NUCLEAR DAMAGE)

भारत ने नाभिकीय क्षति के लिए अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन (सी.एस.सी.) पर हस्ताक्षर करने के पांच वर्ष के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना में इसका अनुमोदन किया।

भारत के लिए लाभ:

- **यह विदेशी परमाणु उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की चिंताओं** को संबोधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निर्माता घरेलू दायित्व कानून, 2010 के कारण भारत में संयंत्रों की स्थापना करने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं, यह कानून वैश्विक मानकों से इस रूप में भिन्न है कि यह संयंत्रों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए संयंत्र के संचालकों को नहीं वरन् उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को उत्तरदायी ठहराता है।
- यह परमाणु ऊर्जा के विकास की प्रेरणा देगा।
- भारत एक ऐसे **वैश्विक विधिक शासन** का भाग बन गया है जिन्होंने किसी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों हेतु क्षतिपूर्ति के लिए एक मानक स्थापित किया है।
- भारत के लिए **अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण** उपलब्ध हो जायेगा।

इस कन्वेंशन के संबंध में:

अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन (सी.एस.सी.) को 12 सितम्बर 1997 को, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल के साथ अंगीकृत किया गया था और यह 15 अप्रैल, 2015 को लागू हुआ।

- अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जो **किसी परमाणु घटना की स्थिति में** अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा स्वयं स्थापित की गई परमाणु संयंत्रों की क्षमताओं के आधार पर जमा किए गए **सार्वजनिक धन के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाने** की अनुमति देती है।
- परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर वियना कन्वेंशन, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तृतीय पक्ष दायित्व पर पेरिस कन्वेंशन से संबंधित **राज्यों के बीच संधि संबंध स्थापित करने** का भी लक्ष्य रखती है।
- यह परमाणु दुर्घटना की असम्भाव्य घटना की स्थिति में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए एक **समान वैश्विक विधिक प्रशासन स्थापित करना** चाहता है।
- अनुपूरक क्षतिपूर्ति कन्वेंशन पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु उपलब्ध राशि को बढ़ाने के लिए एक **अंतरराष्ट्रीय कोष** की स्थापना का प्रावधान करता है और **किसी राज्य के विशेष आर्थिक जोन के अंतर्गत पर्यटन की हानि या मत्स्य पालन से**

VISION IAS

संबंधित आय की हानि सहित नागरिक सम्पत्ति होने वाली किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति देता है।

- यह परमाणु **संयंत्र के संचालक के वित्तीय उत्तरदायित्व के मानदण्डों, संभाव्य विधिक कार्रवाई को शासित करने वाली समय-सीमा** की स्थापना भी करता है और इसके अंतर्गत यह वांछित है कि नाभिकीय संचालक बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा उपायों को बनाए रखें एवं इस हेतु दावों की सुनवाई करने के लिए एकल सक्षम न्यायालय का प्रावधान करें।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के अनुसार इस कन्वेंशन में **सभी राष्ट्र भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं** चाहे वे वर्तमान में जारी नाभिकीय दायित्व कन्वेंशन में सम्मिलित हों या उनके अधिकार क्षेत्रों पर नाभिकीय प्रतिष्ठानों की उपस्थिति हो।

भारत के कदम की आलोचना:

कई परमाणु विशेषज्ञ अनुभव करते हैं कि यह कदम नाभिकीय क्षति के लिए घरेलू नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act), 2010, खंड 17(1) (B) और 46 का उल्लंघन करता है।

- अनुच्छेद 17(b) के अंतर्गत, विशेष रूप से जब दुर्घटना आपूर्तिकर्ता या उसके किसी कर्मचारी के कृत्य के कारण हुई हो तो नाभिकीय **दुर्घटना के दायित्व को संचालनकर्ता से नाभिकीय सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं पर स्थानांतरित** किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 46 नाभिकीय घटना के पीड़ितों को संचालक या आपूर्तिकर्ता पर क्षतिपूर्ति हेतु क्षति कानून का प्रयोग कर मुकदमा करने की अनुमति देता है।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

3.1. तपन राय पैनल की सिफारिशें

2013 के कंपनी अधिनियम की समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित किये गए तपन राय पैनल ने 2000 से अधिक सुझाव और सिफारिशें दी हैं। इनका उद्देश्य 1956 के कंपनी अधिनियम से 2013 के कंपनी अधिनियम की ओर परिवर्तन को सुगम बनाना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा स्टार्ट-अप के लिए बेहतर माहौल प्रदान करना है।

मुख्य सिफारिशें:

- 2013 के अधिनियम के अनुसार, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अगर अपने शुद्ध लाभ का 11% से अधिक प्रबंधकीय प्रतिफल के रूप में देना चाहे तो उसे इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। पैनल ने सिफारिश में इस प्रावधान को ख़त्म करने की माँग की है।
- सेबी और कंपनी अधिनियम के डिसक्लोजर मानकों के बीच सामंजस्य- स्वतंत्र निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- "सहायक कंपनी" को नियंत्रक कंपनी की "कुल शेयर पूंजी" के बजाय नियंत्रक कंपनी के मताधिकार के सन्दर्भ में परिभाषित करना।
- धारा 2(87) के तहत प्रावधान को हटाना, जो कंपनियों को दो स्तर से अधिक सहायक कंपनियों बनाने से रोकता है।
- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority) के रूप में एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करना, जो लेखा और लेखा मानकों से संबंधित मामलों के लिए सेवा प्रदान करेगी। इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
- स्टार्ट-अप को प्रदत्त पूंजी का 50% स्वीट इक्विटी के रूप में जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए; मौजूदा प्रावधान में यह 25% है।
- स्टार्ट-अप को उन प्रमोटरों के लिए कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (employee stock ownership plan) जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कर्मचारी या कर्मचारी निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।
- केवल वही धोखाधड़ी मामले जो 10 लाख रूपए या उससे ज्यादा के हो, या कंपनी के कुल व्यापरावर्त (टर्नओवर) का एक फीसदी या उस से ज्यादा हो (दोनों में से जो भी कम हो), ही धारा 447 के तहत दंडनीय हो सकते है।

3.2. राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति

- पहली बार प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना है।
- पूंजीगत वस्तुओं का क्षेत्र 14 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तथा 1.1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है।
- इस नीति में मौजूदा निर्यात को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने और भारत की कुल मांग में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी 60 फीसदी से 80 फीसदी करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार भारत पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बन जायेगा।
- यह नीति वित्त की उपलब्धता, कच्चे माल, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, गुणवत्ता और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण गतिविधियाँ, निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू मांग सृजन जैसे प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित है।

राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति के प्रमुख बिंदु:

- पूंजीगत वस्तु के उप-क्षेत्रों जैसे कपड़ा, अर्थ मूविंग और प्लास्टिक मशीनरी को मेक इन इंडिया पहल के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रूप में एकीकृत करना।
- उप-क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी पहुँच में सुधार, कौशल उपलब्धता में वृद्धि आदि।
- भारी उद्योग विभाग में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना।
- भारत में बनी पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात को "भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता योजना" (Heavy Industry Export & Market Development Assistance scheme- (HIEMDA) के माध्यम से बढ़ाना।
- प्रौद्योगिकी विकास कोष आरंभ करने के लिए प्रावधान।
- नए परीक्षण और प्रमाणन सुविधा (Testing & Certification Facility) की स्थापना तथा मौजूदा सुविधा का उन्नयीकरण करने के साथ-साथ मानकों को अनिवार्य बनाना ताकि घटिया गुणवत्ता की मशीनों का आयात हतोत्साहित किया जाए।
- संस्थापित क्षमता (Installed Capacity) का उपयोग करके स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को अवसर प्रदान करना।

आगे की राह:

वर्तमान नीति में इस क्षेत्र के मुद्दों को व्यापक रूप से हल करने की कोशिश की गयी है, लेकिन नीति को एक उचित वातावरण की जरुरत होगी जिसमें इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुलभ बनाना, अवसंरचना, नियामक सुधारों सहित कई संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

3.3. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद

- चौदहवें वित्त आयोग के सदस्यों ने स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन करने की उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई न करने के लिए सरकार पर सवाल उठाए हैं।
- प्रस्तावित परिषद बजट घोषणाओं और पूर्वानुमानों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करेगी और संसद को अपनी रिपोर्ट देगी। यह वित्तीय प्रबंधन पर सरकार की साख में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

राजकोषीय परिषद का महत्व:

- केंद्र सरकार राज्यों के राजकोषीय लक्ष्य पर निगरानी रखती है, परंतु स्वयं केंद्र के वित्तीय फैसलों का निरीक्षण कोई नहीं कर सकता। राज्य वित्त प्रबंधन में अकसर दबाव महसूस करते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक उनके घाटे को नियंत्रित करता है तथा केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना राज्य की ओर से बांड जारी नहीं कर सकता।
- विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र रचनात्मक लेखांकन (Creative Accounting) का चुनाव करता है, तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत संसद में प्रस्तुत लक्ष्यों को पूरा नहीं करता।
- 2003 से अर्थात जब से यह अधिनियम प्रभाव में आया है, इसमें निहित घाटे के लक्ष्य में चार बार बाधा उत्पन्न हुई है तथा कई बार लक्ष्यों का उल्लंघन भी हुआ है।
- लघु और मध्यम अवधि में, यह वित्तीय लक्ष्यों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आशंका को दूर करेगा।
- महालेखा परीक्षक राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पर निगरानी रखता है, परंतु यह एक कार्योत्तर आकलन होता है।
- पिछले आठ में से छह वर्षों में, अधिमूल्यांकन के कारण सरकारी राजस्व के अनुमान में करीब 10 फीसदी तक की कमी हुई है। इस वजह से वित्तीय वर्ष के मध्य में सभी योजनाओं और परियोजनाओं के धन में कटौती की गयी है।
- सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा दबाव में रहती है। आरबीआई का भी मुख्य ध्यान मौद्रिक नीति पर होता है। इस प्रकार राजकोषीय परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद् होगी विशेष रूप से तब, जब राजकोषीय घाटे की सीमा जैसे मुद्दों पर विवाद पैदा होता है।

3.4. वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौता (TRADE FACILITATION AGREEMENT IN GOODS/TFA)

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में वस्तुओं में व्यापार सुविधा समझौते को मंजूरी दे दी है और व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (NCTF) का प्रस्ताव रखा है।
- इसमें वस्तुओं के आयात के संबंध में शीघ्र क्लीयरेंस, प्रवेश और आवाजाही में तेजी लाने के संदर्भ में प्रावधान है।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क अनुपालन जैसे मुद्दों पर सीमा शुल्क और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के मध्य प्रभावी सहयोग के लिए उपायों का प्रावधान करता है।

भारत के लिए लाभ:

- यह भारत के इज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के अनुरूप है।
- सहज व्यापार प्रवाह के लिए सीमा शुल्क नियमों में ढिलाई भी इसका उद्देश्य है।
- व्यापार की लागत में औसत 14.5% की कटौती होने का अनुमान है।
- खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे पर स्थायी समाधान भी प्रदान कर सकता है।
- कृषि उत्पादों के आयात में अचानक वृद्धि से गरीब किसानों की रक्षा के लिए तंत्र भी विकसित करता है।

नकारात्मक निहितार्थ:

- समझौते को शीघ्र मंज़ूर करने से भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक सौदेबाजी का मौका खो देगा।

आगे की राह:

- समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में बदलाव की जरूरत है।
- कई क्षेत्रों में नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी।
- भारत पहले से ही सेवाओं में व्यापार सुविधा समझौते को अनुसमर्थन दे चूका है।

संघ लोक सेवा आयोग: मुख्य परीक्षा 2013

- खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख और कुपोषण के विलोपन की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। साथ ही यह भी बताएं कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे कौन सी चिंताएं उत्पन्न हो गयी हैं?

संघ लोक सेवा आयोग: मुख्य परीक्षा 2009

- "दोहा दौर के पिछले कुछ सालों में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) वार्ताओं में, सेवाओं में दिखाई देने वाले लाभों का अनुसरण करने के लिए भारत कृषि मुद्दों पर अपने दृढ विचार में नरमाई अपनाता प्रतीत होता है"। कथन का समालोचनपूर्वक परीक्षण कीजिये।

3.5. पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030

सुर्खियों में क्यों?

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 जारी किया है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का लाभ उठाना है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक तेल और गैस के उत्पादन को दोगुना करना है।

VISION IAS

- इस विजन के पांच स्तंभ हैं: लोग, नीति, भागीदारी, परियोजनाएं और उत्पादन।

लक्षित क्षेत्र:

स्वच्छ ईंधन सुलभ बनाना:

- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, तेल और लुब्रिकेंट ले जाने के लिए पाइप लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- आयात को रिफाइनरियों से सम्बद्ध करना।
- सीएनजी राजमार्गों और शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करना।

शामिल राज्य: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम

फ़ास्ट ट्रैक परियोजनायें:

- परियोजनाओं के लिए क्षेत्र और मौसम विशिष्ट दृष्टिकोण।
- उत्पादन बढ़ाने के अनुबंध।
- प्रौद्योगिकी परिनियोजन और फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस।

रोजगार के अवसरों का सृजन:

- सेवा प्रदाता केन्द्रों का विकास।
- हाइड्रोकार्बन लिंकेज और बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ व्यापार के अवसरों की खोज;
- इस क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" पहल का कार्यान्वयन;
- औद्योगिक नीति एवं बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्रवाई;

केंद्र-राज्य सहयोग: योजना और कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी पर ध्यान, और
पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना और उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाना।

विश्लेषण:

- इस व्यापक दस्तावेज में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने की क्षमता है तथा यह इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

3.6. थोक औषधि (बल्क ड्रग्स) नीति मसौदा

सुर्खियों में क्यों?

- कटोच समिति की सिफारिशों के आधार पर औषधि विभाग ने थोक औषधि नीति का मसौदा जारी किया।
- थोक दवा निर्माताओं को उम्मीद है कि यह नीति भारत के सक्रिय दवा सामग्रियों (active pharmaceutical ingredients) के बाजार को पुनर्जीवित करेगी और नई विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं के संवर्धन के लिए 30000-40000 करोड़ रुपए मूल्य के नए निवेश को गति प्रदान करेगी।

थोक औषधि क्या हैं?

- थोक औषधि या सक्रिय दवा सामग्री मूल रूप से किसी औषधि में प्रयोग होने वाला सक्रिय कच्चा माल होता है जो औषधि को चिकित्सीय प्रभाव देता है।
- थोक औषधि का दवा उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

आवश्यकता:

- थोक औषधि की वर्तमान में देश के 80000 करोड़ रुपये के घरेलू दवा क्षेत्र में केवल 10-12 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- उद्योग के अनुमान के अनुसार, उद्योग की आवश्यकता का 70-80 प्रतिशत चीन से आयात पर निर्भर करता है।
- चीन से आयातित थोक औषधि निम्न गुणवत्ता वाली होती है।

फार्मा उद्योग के कुछ तथ्य:

- वैश्विक फार्मा उद्योग करीब 1000 अरब डॉलर का है।
- भारतीय फार्मा उद्योग करीब 32 अरब डॉलर का है।
- यह उद्योग वर्तमान में 8-9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है।
- वर्ष 2015 सक्रिय दवा सामग्री का वर्ष था।
- जेनेरिक दवाओं के संबंध में भारत एक महाशक्ति है।

पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं:

- इसका उद्देश्य थोक औषधि निर्माण में भारत को आत्म-निर्भर बनाना है।
- नवाचारों के माध्यम से नए पदार्थ विकसित करने और मूल्यवर्धन श्रृंखला में बढ़ोतरी करने के लिए फार्मा कंपनियों की मदद करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- वर्ष 2030 तक भारतीय फार्मा क्षेत्र को 200 अरब डॉलर का बनाना।
- इसे सक्रिय दवा सामग्री की विनिर्माण क्षमताओं को बिकसित कर प्राप्त किया जाएगा।
- सक्रिय दवा सामग्री के लिए पृथक स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा प्रबंधित मेगा पार्क।
- 6 बड़े सक्रिय दवा सामग्री इंटरमीडिएट क्लस्टर।
- आवश्यक दवाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का पुनरुद्धार।
- निर्माताओं के लिए सुलभ ऋण।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश।
- कर लाभ और आयात शुल्क में छूट।
- अन्य मंत्रालयों के साथ संपर्क के लिए अलग संस्थागत तंत्र (जैसे- पर्यावरण मंजूरी, विद्युत आपूर्ति आदि)।

चुनौतियां:

- नियामक ढांचे को मजबूत किये जाने तथा इसे अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली के मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।
- दवा उद्योग की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दे।
- नए पदार्थों और दवाओं की खोज में अनुसंधान की कमी है।

VISION IAS

आगे की राह:

- उद्योग को नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अपनाने की जरूरत है।
- भारत विश्व में फार्मेसी केंद्र बनने की क्षमता रखता है।
- कम से कम हमें स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए।
- उपभोक्ता के लिए दवाओं की लागत कम की जानी चाहिए।
- केन्द्र सरकार ने दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक नया मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- दवा विपणन प्रणाली के लिए स्वैच्छिक समान संहिता की जरूरत है।
- "मेक इन इंडिया" पहल से उद्योग को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी।

3.7. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा (MARKET ECONOMY STATUS)

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत चीन को इस साल दिसंबर से "बाजार अर्थव्यवस्था" का दर्जा मिलने की संभावना है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय इसके निहितार्थ का आकलन कर रहा है।
- चीन को यह दर्जा मिलने से एंटी-डंपिंग मामलों पर प्रमुख तौर पर विभिन्न प्रभावों के पड़ने की आशंका है, अतः एंटी-डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों और वकीलों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा क्या है?

- एक बार किसी देश को यह दर्जा मिल जाए तो उसके निर्यात को उत्पादन लागत के तौर पर स्वीकार करना पड़ता है और बिक्री मूल्य को बेंचमार्क मानकर स्वीकार करना पड़ता है।
- जिन देशों को यह दर्जा नहीं मिला हुआ है (अर्थात गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश), उस देश के निर्यात के लिए अन्य देशों को सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए वैकल्पिक तरीकों के उपयोग करने की अनुमति है, जिसका परिणाम अक्सर उच्च एंटी डंपिंग शुल्क होता है।

डंपिंग क्या है?

- डम्पिंग एक अनुचित व्यापार गतिविधि है जिसमें माल को निर्यातक देश की सामान्य उत्पादन लागत या मिलने वाली कीमत से कम कीमत पर दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकृत होता है और आयातित देश में घरेलू निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इतिहास:

- 2001 के समझौते (WTO में चीन के प्रवेश पर प्रोटोकॉल) के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश चीन से निर्यातित माल की 'सामान्य' मूल्य की गणना में, 15 साल तक (दिसंबर 2016 तक) विक्रय मूल्य और उत्पादन मूल्य की अनदेखी कर सकते हैं।
- सदस्य देश इसके बजाय किसी एक उपयुक्त तीसरे देश के तुलनीय निर्यात मूल्य और उचित परिवर्धन के साथ उत्पादन लागत के आधार पर 'डंपिंग मार्जिन' की गणना कर सकते हैं।

भारत पर प्रभाव:

- इसका अर्थ यह होगा कि चीन से आयातित माल पर एंटी डंपिंग शुल्क लगने की कम संभावना और अगर शुल्क लगता भी है तो बहुत कम होगा।
- भारत के इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र चीन के कम मूल्य के निर्यात की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं तथा भारत को एंटी डंपिंग शुल्क का व्यापक उपयोग करना पड़ता है।
- 1994-2014 के मध्य भारत ने 535 मामलों में एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था जिनमें से 134 मामले चीन से निर्यातित माल पर थे।

चीन का तर्क:

- बीजिंग ने 2001 के समझौते को उद्धृत करते हुए कहा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने उस समय निर्णय लिया था कि एंटी डंपिंग मामलों में दिसंबर 2016 से चीन को "बाजार अर्थव्यवस्था" माना जायेगा।

भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के तर्क:

- चीन को "बाजार अर्थव्यवस्था" का दर्जा देने के खिलाफ भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ का कहना है कि "बाजार अर्थव्यवस्था" में कीमतें मुख्य रूप से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं जबकि इसके विपरीत चीन में अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सरकारी प्रभाव है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इन देशों ने अन्य कारकों का हवाला भी दिया है जैसे चीनी सरकार की विशाल सब्सिडी, सरकार द्वारा कीमतों का निर्धारण, उचित व्यापार लेखा मानकों का अभाव, ऋण दरों, न्यूनतम मजदूरी और संपत्ति के अधिकार में पारदर्शिता की कमी।

3.8. गैर-कर राजस्व ई-पोर्टल

- वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से गैर-कर राजस्व वसूल करने के लिए गैर-कर राजस्व पोर्टल की शुरूआत की।
- यह महालेखा नियंत्रक द्वारा विकसित किया गया है।
- यह केंद्र सरकार को गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों या कंपनियों या अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक समग्र सेवा मंच प्रदान करता है।
- करों को काफी हद तक ई-पेमेंट प्रणाली से जमा किया जाता है, जबकि गैर-कर राजस्व अधिकतर बैंक ड्राफ्ट या चेक या नकदी जैसे भौतिक उपकरणों के माध्यम से जमा किया जाता है।
- ऑनलाइन भुगतान या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किया जाता है।
- एनटीपीसी ने सरकार को 989 करोड़ रूपए का अंतरिम लाभांश जमा करके पोर्टल पर प्रथम भुगतान किया।

VISION IAS

महालेखा नियंत्रक:

- महालेखा नियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और तकनीकी रूप से स्वस्थ प्रबंधन लेखा प्रणाली को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
- वह व्यय, राजस्व, ऋण और घाटे पर वित्त मंत्री के लिए हर माह का एक समालोचनात्मक विश्लेषण तैयार करता है।
- वह संसद में प्रस्तुति के लिए वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखा भी तैयार करता है।

गैर-कर राजस्व क्या है?

- इसमें मुख्य रूप से लाभांश, ब्याज प्राप्ति, स्पेक्ट्रम शुल्क, रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फार्म तथा आवेदन शुल्क शामिल है।
- सरकार के लिए गैर-कर राजस्व का प्रमुख स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा भुगतान किया गया लाभांश है।
- गैर-कर राजस्व की वार्षिक प्राप्ति 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है।

लाभ:

- इससे हस्तचालित कार्य काफी कम हो जाएगा।
- ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं के उपयोग से आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को ड्राफ्ट जारी करवाने के लिए बैंक के चक्कर काटने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकारी कार्यालयों को भी ड्राफ्ट को बैंक में जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा।
- यह विभिन्न श्रेणियों में लगभग तुरंत भुगतान को सक्षम करेगा।
- इससे इन निमित्तों (प्रपत्र/दस्तावेज) के सरकारी खाते में जमा होने के संबंध में होने वाली अनावश्यक देरी में कमी आएगी।
- यह नकद लेनदेन को कम करके तथा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ावा देकर काले धन पर अंकुश लगाएगा।
- यह प्रधानमंत्री कार्यालय के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके अनुसार वर्ष 2016 के अंत तक सभी सरकारी लेनदेन का कम से कम 90 प्रतिशत ऑनलाइन मोड से करना है।
- यह डिजिटल भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है।

3.9. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

BAD LOANS AT LAST COUNT: Rs 3 LAKH CRORE

- For year-ending March 2015, gross NPAs of scheduled commercial banks stood at Rs 3.02 lakh crore in absolute terms, or 4.6 per cent of advances. Six months later, this rose to 5.1 per cent.
- The stressed advances ratio — bad loans plus loans that have been restructured by banks — increased to 11.3 per cent in September 2015 from 11.1 per cent in March.
- Private estimates of stressed assets are much higher, and vary between 17.5 per cent and a quarter of all bank advances.

(अनर्जक परिसंपत्तियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया सितंबर 2015 का अंक देखें)

सुर्खियों में क्यों ?

- बढ़ती अनर्जक परिसंपत्तियों से निपटने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से इक्विटी निधीयन द्वारा एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना करने की सिफारिश की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी उद्देश्यों के तहत सामाजिक बैंकिंग के दबाव के कारण ऋण देने के लिए मजबूर हैं। परिणामस्वरूप इनका प्रदर्शन निजी बैंकों की तुलना में ख़राब रहता है।

राज्य द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की आलोचना:

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी से करदाताओं को ऐसे ऋणों के भुगतान का बोझ भी पड़ सकता है जिनकी वसूली असंभव है।

दबावग्रस्त परिसंपत्ति बनाम अनर्जक परिसंपत्ति:

- दबावग्रस्त परिसंपत्ति- वह खाता जिसमें मूलधन और/या ब्याज 30 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय (overdue) बना रहे।
- अनर्जक परिसंपत्ति- वह ऋण या अग्रिम भुगतान जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय बना रहे।

बढ़ती अनर्जक परिसंपत्तियों से निपटने के लिए हाल के वर्षों में उठाये गए कुछ कदम:

- कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र।
- संयुक्त ऋणदाता फोरम।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसेट गुणवत्ता की समीक्षा जिसके तहत विशिष्ट खातों की पहचान बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित खातों के रूप में की जाएगी।
- दबावग्रस्त संपत्ति के लिए बैंकों द्वारा अधिक प्रावधान।
- 05:25 स्कीम
- सरकार ने अगस्त 2015 में अगले चार वर्षों में बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70000 करोड़ रुपये की घोषणा की।

आगे की राह:

इन क़दमों के साथ, रिजर्व बैंक के गवर्नर को उम्मीद है कि अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या मार्च 2017 तक हल हो जाएगी। इसके अलावा इस समस्या के समाधान के लिए, पर्याप्त संख्या में ऋण वसूली न्यायाधिकरण होने चाहिए तथा बैंकों के शासन/प्रबंधन के बारे में गठित पी जे नायक समिति की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए।

3.10. मेक इन इंडिया : अक्षय ऊर्जा

सुर्खियों में क्यों?

- मेक इन इंडिया सप्ताह के दौरान अक्षय उर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा संगोष्ठी आयोजित की गयी थी।

- हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के वी कामत ने घोषणा की कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की अधिकाँश प्रारंभिक परियोजनायें, संख्या और मूल्य दोनों में, हरित (पर्यावरण के अनुकूल) होंगी। बैंक इस साल करीब एक दर्जन से अधिक ऐसी परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा।

निवेश करने का कारण:

- भारत 271 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ दुनिया भर में पांचवां सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है।
- आर्थिक विकास, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी से देश में ऊर्जा का उपयोग बढ़ गया है।
- पवन ऊर्जा भारत में अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा से 100000 मेगावाट बिजली पैदा करना है।
- भारत ने वर्ष 2015 के बजट में घोषणा की कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। एक साल में भारत की कुल स्थापित क्षमता करीब 28 गीगावॉट है।

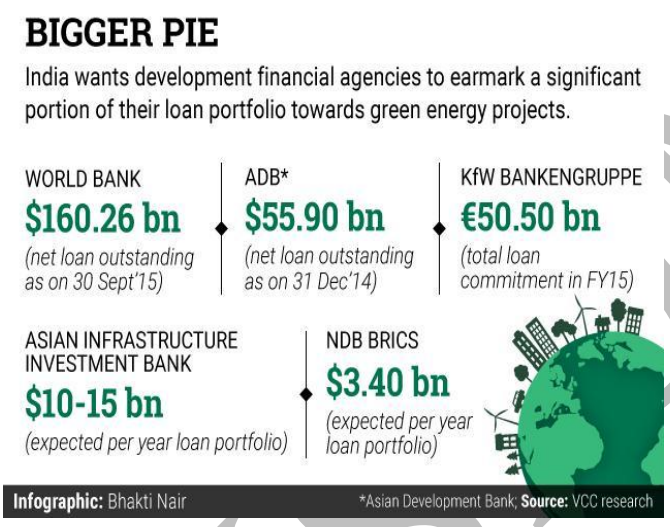

चुनौतियां:

- सौर इकाइयों के निर्माण और शुरुआत के लिए उचित रूप से कुशल श्रमशक्ति की अनुपलब्धता।
- वर्तमान में कौशल कार्यक्रमों को प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रासंगिक और सुलभ बनाये जाने की जरूरत है।

लाभ:

- भारत में हर साल 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। अकेले सौर परिनियोजन उद्योग में वर्ष 2022 तक 10 लाख से अधिक पूर्णकालिक समकक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है।
- इसमें अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कौशल रोज़गार शामिल हैं।
- यदि पवन ऊर्जा क्षमता 60 गीगावॉट तक बढ़ जाती है तो पवन ऊर्जा क्षेत्र द्वारा वर्ष 2022 तक 183500 रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है।

आगे की राह:

- अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम और कौशल भारत पहल (जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 400 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करना है) के बीच तालमेल की जरूरत है।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता और आगामी क्षमता वाले क्षेत्रों में मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
- देश में सौर विनिर्माण को शत-प्रतिशत प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत बनाने से मेक इन इंडिया पहल को भी मदद मिलेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** सौर प्रौद्योगिकी और बिजली के निर्माण, विकास और परिनियोजन में वृद्धि कर सकता है। सदस्य देशों के बीच सौर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास जैसे इसके कई साझा ध्यान क्षेत्र हैं।

3.11. एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UNIFIED PAYMENT INTERFACE)

परियोजना

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और सॉफ्टवेयर थिंक टैंक **ISpirt**, एक नए एकीकृत भुगतान इंटरफेस के तकनीकी लोकार्पण के लिए तैयार हैं। इससे एक मोबाइल फोन का उपयोग कर किसी भी बैंक खाते से अन्य बैंक खाते में लेनदेन हो सकेगा।
- यह अंतर-प्रचलित मोबाइल भुगतान प्रणाली लोगों के बीच भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
- अंततः यह बिना किसी बैंक खाते के उपयोग के, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर भुगतान को सक्षम बनाएगा। और अगर लोग उनके खुद के बैंक खाते का विवरण साझा न करने चाहे तो उनके आधार संख्या या वर्चुअल एड्रेस (आभासी पता) के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा।
- बैंक पिछले पाँच साल से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए तत्काल भुगतान सेवा का उपयोग कर रहे हैं, अतः एकीकृत भुगतान इंटरफेस तत्काल भुगतान सेवा के मामले में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह मोबाइल एप के माध्यम से अंतर-बैंक संपर्क की सहज अनुमति देता है जिसका इस्तेमाल व्यापारियों को भुगतान करने के साथ-साथ ऑफ़लाइन आधार पर अन्य 'निकटता भुगतान' करने के लिए किया जा सकता है।
- यह एक बहुत ही सरल आवेदन कार्यक्रम इंटरफेस (API) है जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष, दोनों, भुगतान उपलब्ध कराएगा। तो हम आपस में पैसा एक दूसरे को भेज सकते हैं, पैसे का अनुरोध कर सकते हैं और कुछ खरीदने पर दुकानदार/व्यापारी हमसे पैसो का अनुरोध कर सकते हैं जिसे हम मोबाइल पर स्वीकार कर सकते हैं।

VISION IAS

पृष्ठभूमि:

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पिछली फरवरी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस परियोजना शुरू की थी।
- पिछले एक साल में आवेदन कार्यक्रम इंटरफेस (API) विकसित किया गया जो एक बैंक खाते से किसी अन्य बैंक खाते में भुगतान को सक्षम बनाता है।

लाभ:

- यह उस पुरानी प्रणाली से एक बड़ी छलांग है जिसमें पैसे के भुगतान के लिए विक्रेता को डेबिट/क्रेडिट कार्ड देना होता है तथा जिसमे सुरक्षा जोखिम भी शामिल होता है। इस नई प्रणाली में सब कुछ मोबाइल फोन के माध्यम से संभव है।
- कई नए मोबाइल फोन बॉयोमीट्रिक आईरिस या फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं इसलिए इन उपकरणों पर आधार कार्ड प्रमाणीकरण संभव है।
- यह भारत की डिजिटल स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है।
- 21 नए बैंकों के प्रवेश और स्मार्ट फोन और बैंक खातों में वृद्धि सभी प्रकार की एप के निर्माण के लिए क्षमता प्रदान करती है।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस लोगों के बीच भुगतान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जितना महत्वपूर्ण सरकार से जनता के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण साबित हुआ है।

3.12. किसानों को जिंस वायदा बाजार से लाभ

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस मुद्दे पर एसोचैम द्वारा आयोजित **14वें कमोडिटी वायदा बाजार शिखर सम्मेलन 2016** में चर्चा की गई।

जिंस वायदा बाजार के लाभ:

- अच्छी तरह से विकसित जिंस वायदा बाजार किसान कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है क्योंकि किसानों में सौदेबाजी शक्ति की कमी है और उनमे बाजार की स्थितियों के बारे में सीमित जागरूकता होती है।
- यह उन्हें उनकी कमाई के पूर्वानुमान में और उनके भविष्य के निवेश की योजना बनाने में मदद करेगा।
- ये बाजार कीमतों में मौसमी बदलाव की सीमा को कम करेंगे।
- ये फसल कटाई के बाद कीमतों में मंदी से किसानों की रक्षा करते हैं।

वायदा बाज़ार में भारतीय किसानों की भागीदारी अंधकारमय क्यों है?

- मूल्य जोखिम की बचाव-व्यवस्था में विशेषज्ञता की कमी के कारण।
- मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री योग्य अधिशेष और पर्याप्त नकदी का न होना।
- अक्षम भौतिक संचालन, बिचौलियों की अत्यधिक संख्या, लम्बी और खंडित बाजार चेन ने किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य से वंचित कर दिया है।

सरकार की पहल:

- सरकार ने आठ राज्यों के उन 214 बाज़ारों को वित्त उपलब्ध कराया है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म - **राष्ट्रीय कृषि बाजार** में शामिल होने के एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किये हैं।
- **एकल ई-व्यापार मंच** के प्रस्ताव और बाजारों को कंप्यूटरीकृत करने पर काम चल रहा है।
- सरकार मौजूदा बाज़ारों को और व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है।
- जिन स्थानों पर भौतिक बाज़ार नहीं है वहां सरकार लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
- एक परस्पर सक्रीय किसान पोर्टल का निरूपण करने की तैयारी चल रही है जो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए किसानों को जानकारी प्रदान करेगा।

आगे की राह:

- उद्योग के सहयोग और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है।
- सभी की पूरी भागीदारी और सहयोग वांछनीय है।

3.13. एफटीआईएल (FTIL) के साथ एनएसईएल (NSEL) का विलय

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956की धारा 396 के तहत, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (FTIL) और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) के विलय का आदेश दिया है।

VISION

- भारत में यह पहली बार है कि एक सहायक कंपनी का जबरन अपनी मूल कंपनी के साथ विलय किया जा रहा है।

विलय के पक्ष में तर्क:

- इससे उन 13000 से अधिक निवेशकों को भुगतान की उम्मीद है जिन्होंने 2013 के NSIL घोटाले में पैसा खो दिया था।
- FTIL के पास NSEL की लगभग 99.99 प्रतिशत हिस्सेदारी है। और देयता को ख़त्म करने के लिए सीमित देयता की अवधारणा किया गया है।
- NSEL द्वारा उगाहे गए पैसे का काफी हद तक FTIL द्वारा उपयोग किया गया है। इसलिए FTIL अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकती।

विलय के विपक्ष में तर्क:

- यह "सीमित देयता" की अवधारणा के खिलाफ जाता है क्योंकि FTIL एक सीमित देयता कंपनी है।
- इसने FTIL के शेयरधारकों के हितों की तुलना में व्यापारिक ग्राहकों के हित को अधिक मान्यता दी है।
- इस आदेश ने एक बहुत ही संकटमय मिसाल कायम कर दी है।

विश्लेषण:

- अगर इस तरह का विलय जनता के हित में आवश्यक है तो कंपनी अधिनियम 1956 इस तरह के विलय के लिए सरकार को समर्थ बनाती है।
- सरकार ने 'जनहित' का हवाला दिया और कहा कि NSEL द्वारा उगाहे गए पैसे का FTIL द्वारा उपयोग किया गया है, इस प्रकार दोनों एक ही संस्था हैं।
- एक तरफ 13000 से अधिक निवेशकों का हित है तो दूसरी तरफ FTIL के शेयरधारक और कर्मचारियों के हित।
- इसके अलावा "सीमित देयता" के सिद्धांत को यहां तोड़ा जा रहा है। इस आदेश को कॉरपोरेट जगत द्वारा वोडाफोन मामले के जनरल-एंटी अवॉयडेंस रूल (GAAR) मुद्दे की तर्ज के पर देखा जा रहा है।
- बहरहाल अवैध व्यापार के प्रकरण को इस प्रकार बगैर दंडित किये हुए अनदेखा नहीं किया जा सकता खासकर जब बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों का हित इससे जुड़ा हुआ है, अन्यथा भारतीय बाज़ार में निवेशकों का विश्वास डगमगाना शुरू हो जायेगा।

3.14. इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष (ELECTRONIC DEVELOPMENT FUND)

निधि के बारे में:

- इसे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रारंभिक, एंजेल, उद्यम और निजी इक्विटी फंड्स की मदद करने के लिए शुरू किया गया है।
- 2200 करोड़ रुपये का आरंभिक कोष। (जिसे 10000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है)।
- इसका उद्देश्य उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी के आधार पर "नवाचार तथा अनुसंधान और विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र" विकसित करना है।
- यह एक "फंड ऑफ फंड्स (कोषों का कोष)" होगा, कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड इसकी सक्रिय प्रबंधन फर्म होगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की पहल इलैक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (ईडीएफ) की स्थापना 'डॉटर फंड्स' में भाग लेने के लिए 'कोषों के कोष ' के रूप में की गई है, जो बदले में इलैक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलैक्ट्रॉनिक्स, और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास करने में जुटी कंपनियों को जोखिम पूंजी (रिस्क कैपिटल) उपलब्ध कराएगा। ईडीएफ के लक्षित लाभार्थी भारत में पंजीकृत (ईडीएफ की नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गठित) और वेंचर फंड्स के बारे में सेबी के विनियमों सहित संबद्ध नियमों और कानूनों का पालन करने वाले डॉटर फंड्स होंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि 20% पूँजी को अनुजात फंड (daughter fund) में रखेगी और बाकी 80% पूँजी का वेंचर पूँजीपतियों द्वारा निवेश किया जाएगा। इस अनुजात फंड का मुख्य रूप से स्टार्ट-अप कंपनियों में निवेश किया जायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि की आवश्यकता:

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की माँग वर्ष 2020 तक 400 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी जबकि उस समय तक उत्पादन केवल 104 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारत कच्चे तेल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करेगा जिससे चालू खाता घाटा और बढ़ जायेगा।
- भारत का घरेलू बाजार काफी विशाल है और तकनीकी संसाधनों का एक विशाल भंडार है, साथ ही कुशल और अर्ध कुशल श्रम भी उपलब्ध है।
- उत्पादन को बढ़ाने के अवसरों के साथ, भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनने के लिए तैयार है।

मुद्दे:

- यह निधि लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी को ज्यादा मदद नहीं करेगा क्योंकि इसे नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है।
- बहुत उच्च प्रतिस्पर्धा और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कम मुनाफे की वजह से पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से कम मदद ही मिल पाती है।
- उच्च पूंजी लागत की वजह से चीनी विनिर्माताओं की तुलना में भारतीय विनिर्माता प्रतिकूल स्थिति में ही रहते हैं।

VISION IAS

- वेंचर फंड ज्यादातर इक्विटी मार्ग को पसंद करते हैं। पुनः इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण की मांग अधिक होती है, अतः यह निधि इस क्षेत्रक के पूँजी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं भी हो सकता है।

आगे की राह:

- बौद्धिक संपदा के विकास और उसे भारत में ही रखने के प्रयास किये जाने चाहिए।
- वर्तमान में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा कुछ विकसित देशों के हाथ में ही है।
- इस चक्र को तोड़ने के लिए एक बहुआयामी प्रयास की आवश्यकता है और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि योजना को अन्य क्षेत्रों में प्रयासों द्वारा संवर्धित किया जाना चाहिए।
- उदाहरण के लिए - भारत को एक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था महाशक्ति में बदलने के लिए बुनियादी सुविधाओं से शिक्षा और कौशल विकास तक के संरचनात्मक मुद्दों को भी साथ में संबोधित किये जाने की जरूरत है।

3.15. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक और भारत

- यू.एस. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र (GIPC) ने एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 38 देशों में से 37वें स्थान पर रखा है।
- इन 38 अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 85 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- भारत लगातार चौथे वर्ष इस सूचकांक में इतने नीचे स्थान पर है।
- पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सुरक्षा, प्रवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संधियों में अनुबंध सहित यह सूचकांक 30 मापदंडो पर आधारित है।

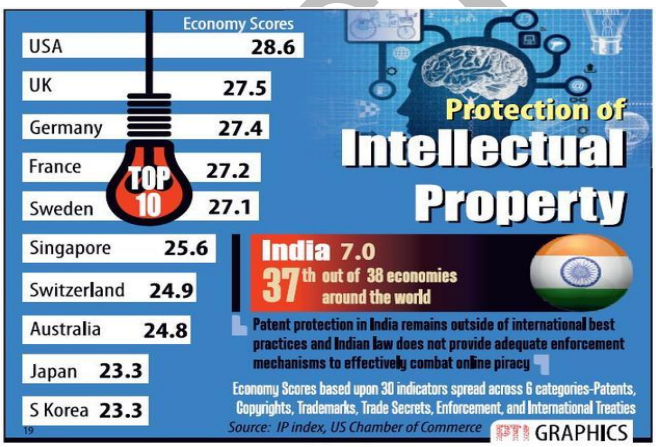

भारत के बौद्धिक संपदा तंत्र के कमजोर पहलू:

- वाणिज्यिक और गैर-आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रयोग।
- नागरिक उपचार और आपराधिक दंड का ख़राब प्रवर्तन और ख़राब अमल।
- कंप्यूटर संबंधित आविष्कार के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशा-निर्देश का स्थगन।

आगे की राह:

बौद्धिक संपदा तंत्र में सुधार, बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, और नियमों का प्रवर्तन मजबूत करने के लिए सरकार एक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति को अंतिम रूप दे रही है।

3.16. आई. पी. आर. (राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा) नीति

- नई आई.पी.आर. नीति विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के अनुरूप होगी।
- इस नीति में निम्न पर विशेष बल होगा:
- स्कूल/कॉलेज स्तर पर जागरूकता बढ़ाना,
- बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रभावी प्रवर्तन, और
- विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से बौद्धिक संपदा व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन
- यूरोपीय संघ और अमेरिका को अनिवार्य लाइसेंसिंग पर आपत्ति है, उनके अनुसार यह विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के साथ असंगत है। इसके बावजूद यह नीति अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान और भारत के पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (डी) (दवा के पेटेंट के सदाबहारीकरण को रोकना) को बनाए रखेगी।
- धारा 3 (डी) के अनुसार, नवीनता और मौलिक कदमों के अलावा, चिकित्सीय प्रभावकारिता में सुधार पेटेंट के लिए जरुरी है।
- यह नीति मेक इन इंडिया/स्टार्ट-अप/डिजिटल इंडिया जैसी पहलों को मजबूती देने के लिए विभिन्न सुझाव देगी, जैसे अनुसंधान एवं विकास और बौद्धिक संपदा सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ और शुल्क छूट।
- विशेष रूप से अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रों में 'छोटे आविष्कारों' की रक्षा करने के लिए यह नीति 'उपयोगिता पेटेंट' (utility patent) को केवल यांत्रिक नवाचारों के लिए बढ़ावा देगी।

3.17. अनिवार्य लाइसेंस

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण पर विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया जाएगा जिनमें अनिवार्य लाइसेंस एक महत्वपूर्ण पहलू है।

यूरोपीय संघ की आशंका:

- यह विदेशों से पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।
- यह विदेशों से और भारत के अंदर से निवेश के लिए एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।
- भारत में अनिवार्य लाइसेंस देने की शर्तें अस्पष्ट हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में 'भारत में कार्य' शब्द का उपयोग।

- इसके अलावा अमेरिका ने भी अनिवार्य लाइसेंस पर निर्णय लेने के संबंध में भारत से स्पष्टता की माँग की है।

अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है

- अनिवार्य लाइसेंस सरकार की ओर से, पेटेंट मालिक की सहमति के बिना, एक पेटेंट आविष्कार का उपयोग करने, उत्पादन, आयात या बेचने की अनुमति है।
- अनिवार्य लाइसेंस विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते की शर्तों के तहत प्रदान किये जाते हैं, जैसे 'राष्ट्रीय आपात स्थिति', 'चरम तात्कालिकता' और 'प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथायें'।
- अब तक भारत ने केवल एक ही अनिवार्य लाइसेंस जारी किया है – कैंसर की एक दवा नेक्सावार के लिए।

भारत का रुख:

- **'भारत में कार्य' शब्द पर:** 'पेटेंट पर भारत में कार्य किया गया हो' इस शब्द में कोई अस्पष्टता नहीं है, इसका अर्थ है 'स्थानीय विनिर्माण'।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर:** यह भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए आवश्यक है।
- **प्रौद्योगिकी के उपयोग पर:** अगर पेटेंट का मालिक भारत में पेटेंट पर काम या भारत में व्यावसायिक तौर पर उत्पादन में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो किसी भी भारतीय कंपनी को, जो ऐसा करने के लिए तैयार है, एक अनिवार्य लाइसेंस दिया जा सकता है।
- अनिवार्य लाइसेंस की अनुमति का मतलब पेटेंट की हुई तकनीक को जब्त करना नहीं है, बल्कि पेटेंट धारकों को उचित रॉयल्टी का भुगतान करके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है।

3.18. मुक्त स्रोत लाइसेंस

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सभी केंद्रीय विभागों में मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (open source software) के पक्ष में सरकार की नीति के कारण।
- मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उपयोग इस्तेमाल किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है और साझा किया जा सकता है।

मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के लाभ:

- मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के मुफ्त में होने से सरकार के सॉफ्टवेयर खर्च पर पर्याप्त बचत होगी।
- उच्च पारस्परिकता और अनुकूलन।
- स्थानीय क्षमता/उद्योग को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- पायरेसी/कॉपीराइट उल्लंघन कम होगा।
- ज्ञान आधारित समाज के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- बंद सॉफ्टवेयर (मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के विपरीत) की साइबर सुरक्षा पर औसत खर्च कुल सूचना प्रौद्योगिकी खर्च का 2 से 3 प्रतिशत है।

मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर अधिक सुरक्षित क्यों हैं:

- मुक्त स्रोत में उपयोगकर्ता के पास उस एल्गोरिथ्म तक पहुँच होती है, जिस पर वह काम करता है।
- पासवर्ड के रूप में कार्य करने वाली कूटलेखन कुंजी (encryption key) या नम्बरों तक किसी की पहुँच नहीं होती।
- पासवर्ड के बिना इन्हें हैक करना असंभव है।

चुनौतियां:

- इन्हें एक मजबूत तकनीकी विशेषज्ञता द्वारा संरक्षित करने की जरूरत है क्योंकि स्रोत कोड ओपन है इसलिए इसकी कमजोरियों को निशाना बनाया जा सकता है।
- सुरक्षा और परिचालन क्षमता से संबंधित कुछ चिंताएं हैं।
- बंद या वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर के विपरीत, मुक्त स्रोत को सुचारू रूप से काम करने के लिए एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है।
- इनके लिए अभी तक कोई भी गंभीर नीति समर्थन नहीं था।

आगे की राह:

- मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर की दक्षता के बारे में संदेह सिर्फ एक धारणा है।
- सरकार स्थानीय भाषा में बॉस-BOSS (भारत ऑपरेटिंग सिस्टम समाधान) पर निर्भर है।
- नई नीति नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कम समय में बेहतर उत्पादों को विकसित करने के लिए सहयोगी विकास को प्रोत्साहित देगी।

संघ लोक सेवा आयोग: मुख्य परीक्षा 2013

1. भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL), जिसमें 20 लाख से ज्यादा औषधीय फार्मूलेशनों पर संरूपित जानकारी है, त्रुटिपूर्ण पेटेंटो के प्रति देश की लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार साबित हो रही है। मुक्त स्रोत लाइसेंसिंग के अधीन इस आंकड़ा-संचय (डेटाबेस) को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिये।
2. सरकारी कार्यकलापों के लिए, सर्वरों की क्लाउड होस्टिंग बनाम स्वसंस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग के लाभों और सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

VISION IAS

4. सामाजिक मुद्दे

4.1.राष्ट्रीय डिवार्मिंग पहल (NATIONAL DEWORMING INITIATIVE)

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डिवार्मिंग पहल प्रारंभ की गयी।

उद्देश्य:

- इस पहल का उद्देश्य 1 से 19 साल की उम्र के 24 करोड़ से अधिक बच्चों की आंतों के कीड़े से रक्षा करना है। 'पोलियो मुक्त' दर्जा मिलने के उपरांत, भारत अब 'डिवार्मिंग' होने का दर्जा प्राप्त करने के लिए बच्चों के आंत्र परजीवी कीड़ों की समाप्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता है।
- इस कार्यक्रम के पहले चरण में ग्यारह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा के लगभग 14 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा; तथा दूसरे चरण में करीब 10 करोड़ बच्चों को शामिल किया जायेगा।
- सभी लक्षित बच्चों को अल्बेंडाजोल (Albendazole) गोलियां दी जाएँगी; 1-2 साल के बच्चों को आधी गोली तथा 2-19 साल बच्चों को पूरी गोली।
- इस पहल को स्वच्छता, सफाई, और स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के साथ जोड़ा जाएगा।
- इस पहल से 'स्वच्छ भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

डिवार्मिंग क्या है?

- इसमें मनुष्य या जानवर को गोलकृमि (roundworm), हुककृमि (hookworms), फ्लूक (flukes) और टेपवार्म (tapeworm) जैसे परजीवियों से बचाने के लिए एक कृमिनाशक दवा (antihelmintic drug) दी जाती है।
- इस पहल के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिये एक व्यापक डिवार्मिंग अभियान को कृमि रोग के संबंध में निवारक तथा उपचार प्रक्रिया दोनों ही के रूप में प्रयोग किया जायेगा, जिसमें मृदा- प्रेषित कृमि रोग से बचाव भी सम्मिलित है।

4.2. मलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क/ (NATIONAL FRAMEWORK FOR ELIMINATION OF MALARIA)

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016-2030** का शुभारंभ किया है, जो वर्ष 2030 तक इस रोग के उन्मूलन के लिए भारत की रणनीति को निर्धारित करेगा।
- **एन. एफ. एम. ई.** दस्तावेज़ लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और समय-सीमा को स्पष्ट रूप से पारिभाषित करता है तथा चरणबद्ध ढंग से देश में मलेरिया उन्मूलन की योजना के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करेगा।

उद्देश्य:

- सभी निम्न (श्रेणी 1) और मध्यम (श्रेणी 2) प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वर्ष 2022 तक मलेरिया का उन्मूलन।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रति 1000 लोगों पर मलेरिया के मामलो को एक से भी कम करना तथा वर्ष 2024 तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मलेरिया का उन्मूलन।
- वर्ष 2027 तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (श्रेणी 3) में मलेरिया के संक्रमण को रोकना।
- जिन क्षेत्रों से मलेरिया ख़त्म हो गया है उन क्षेत्रों में मलेरिया के संक्रमण की रोकथाम तथा वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाना।

रणनीतिक दृष्टिकोण:

- मलेरिया की प्रभावशीलता देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न होने के कारण चरणबद्ध कार्यक्रम पर विचार किया गया है।
- API (Annual Parasite Incidence) को वर्गीकरण का प्राथमिक आधार मानते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण (श्रेणी 0: पुन: संक्रमण की रोकथाम; श्रेणी 1: उन्मूलन चरण; श्रेणी 2: उन्मूलन पूर्व-चरण; श्रेणी 3: त्वरित नियंत्रण चरण)।
- कार्यक्रम से संबंधित योजना के निर्माण और कार्यान्वयन की इकाई जिला होगा।
- अति प्रभावित स्थानीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना; और पी. वाईवैक्स (P. vivax) के उन्मूलन के लिए विशेष रणनीति।

लाभ:

- मलेरिया उन्मूलन से रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर होने वाले व्यय में कमी आएगी और अत्यधिक खर्च के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

4.3. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, एक महिला पुलिस अधिकारी को अधिक उम्र की वजह से पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में चयन से वंचित कर दिया गया था।
- परन्तु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि महिला को वरिष्ठ रैंक पर नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने

VISION IAS

महिला के इस तर्क से सहमति जताई कि सेवा नियमों के तहत महिलाओं को आयु सीमा में 10 साल की छूट है।

कुछ तथ्य

1. अध्ययनों के अनुसार महिलाओं की अधिक भागीदारी से, अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलता है। यदि महिलाओं की रोजगार भुगतान दर पुरुषों के बराबर कर दी जाए तो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में 9 फीसदी और यूरो क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत की बढोतरी होगी।
2. फॉर्च्यून 500 कंपनियों के एक विश्लेषण में पाया गया कि प्रबंधन स्तर के पदों पर महिलाओं के निम्नतम प्रतिनिधित्व वाली कंपनी की तुलना में उच्चतम प्रतिनिधित्व वाली कंपनी के शेयरधारकों को 34 फीसदी अधिक लाभ प्राप्त हुआ।
3. अगर महिलाओं के पास पुरुषों के समान उत्पादक परिसंपत्तियाँ हों तो 34 विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में 4 फीसदी की अनुमानित औसत वृद्धि होगी। इससे इन देशों में कुपोषित लोगों की संख्या 17 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता:

- सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण के मध्य एक सहजीवी संबंध (Symbiotic relationship) है।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सतत विकास, गरीबी से उन्मुक्ति तथा सभी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक पूर्व शर्त है।
- साथ ही यह अधिकार और न्यायसंगत समाज के लिए जरूरी है।
- लैंगिक भेदभाव के कारण महिलायें असुरक्षा का अनुभव करती हैं तथा उन्हें निम्न मजदूरी वाले कार्य करने पड़ते हैं और वरिष्ठ पदों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता हैं।
- यह भूमि और ऋण जैसी आर्थिक संपत्ति तक पहुँच और उपयोग को सीमित करता है।
- यह आर्थिक और सामाजिक नीतियों में भागीदारी को सीमित करता है।

4.4. नस्लीय असहिष्णुता

सुर्खियों में क्यों?

बैंगलोर में एक नाराज भीड़ ने तंजानिया की एक महिला और उसके मित्रों पर हमला किया तथा उनकी कार को आग के हवाले कर दिया। ये छात्र एक दुर्घटना स्थल से गुज़र रहे थे जहाँ एक सूडानी छात्र की कार से एक स्थानीय महिला की हत्या हो गयी थी।

मुद्दे:

- एक धीमी और असंवेदनशील राजनीतिक प्रतिक्रिया तथा पुलिस कार्रवाई की वजह से इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
- 2014 में हमलों और धमकियों की घटनाओं के पश्चात बैंगलोर से पूर्वोत्तर भारत के लोगों का पलायन हुआ था।
- नस्लीय हमलों ने भारत तथा व्यापार और शिक्षा के गंतव्य शहर – बैंगलोर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
- इस तरह की घटनाओं से भारत-अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इस क्षेत्र में पहले भी हमें चीनी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह:

- इन मामलों में पुलिस को ना केवल संवेदनशील होना चाहिए बल्कि इस प्रकार के हमलों को रोकने के लिए तत्परता से कार्यवाही भी करनी चाहिए।
- एक संवेदनशील पुलिस और कानूनी तंत्र, महिलाओं, दलितों, पूर्वोत्तर या अफ्रीका के नागरिकों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- विश्वास बहाली के उपायों के माध्यम से अफ्रीकी छात्रों को उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया जाना चाहिए।

4.5. भ्रूण का लिंग परीक्षण

सुर्खियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हाल ही में सुझाव दिया है कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिंग परीक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और बच्चे के लिंग का उसी क्षण से पंजीकरण होना चाहिए। इस तरह से बच्चे के जन्म पर नज़र रखी जा सकेगी।
- लिंग-निर्धारण के बाद भ्रूण पर नज़र रखना और संस्थागत प्रसव की जुड़वां रणनीति से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि कन्या भ्रूण का गर्भपात न किया जाए और जन्म के बाद बच्चे को मारा न जाए।

वर्तमान परिदृश्य:

- वर्तमान में लिंग अनुपात में गिरावट का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (PCPNDT Act), 1994 पर आधारित है।
- यह अधिनियम भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारत विश्व के सबसे प्रतिकूल शिशु लिंग अनुपात वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई है। 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी जबकि 2011 में यह सिर्फ 919 लड़कियां ही रह गयीं।

मंत्री का प्रस्ताव – पूर्व रणनीति में परिवर्तन:

- लिंग निर्धारण के मामले में अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ को दंडित करने के वर्तमान कानून को कार्यान्वित करना बहुत कठिन है। इसलिए इस कानून के उद्देश्यों, जिसमें लिंग चयन को रोकना तथा लिंग अनुपात में सुधार को हासिल करना कठिन हो गया है।

- जैसे ही महिला गर्भवती हो, भ्रूण का लिंग का परीक्षण किया जाना चाहिए और उसे सार्वजनिक रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।
- गर्भधारण पर नज़र रखी जानी चाहिए और ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से बच्चे का जन्म सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि केवल संस्थागत प्रसव ही हों, घर पर प्रसव न हों।
- लिंग की पूर्व पहचान के कारण तथा कानून के डर से परिवार गर्भावस्था को जारी रखने के लिए मजबूर होंगे, खासकर जब भ्रूण मादा हो।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ कई मुद्दे जुड़े हैं। 2010 में भारत के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में कई मुद्दे सामने आये, जैसे:
    - इन मामलों में शिकायतों और दोष सिद्धि की दर कम है।
    - सर्वेक्षण और निरीक्षण में गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय संगठनों की निम्न भागीदारी।
    - कठिन शिकायत प्रक्रिया
    - जागरूकता का अभाव

प्रस्तावित रणनीति से संबंधित मुद्दे:

- मंत्री द्वारा दिया गया तकनीकी सुझाव सामाजिक वास्तविकताओं और समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता को नज़रअंदाज़ करता है।
- भ्रूण की स्थिति पर नज़र रखने से गर्भवती महिला को मादा भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए अनुचित सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव झेलना पड़ सकता है।
- एक महिला के व्यक्तिगत जैविक जीवन(बायोलॉजिकल स्पेस) में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल अस्वीकार्य है।
- इसके अलावा यह सीधे तौर पर एक महिला से उसकी इच्छा से गर्भपात के अधिकार को छीन लेता है।
- कन्या भ्रूण हत्या की समस्या मजबूत सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों का परिणाम है, जिसने सामाजिक व्यवहार को पुत्र केन्द्रित बना दिया है।

आगे की राह:

- मुद्दा यह है कि इस तरह के उपायों को निराशाजनक आंकड़ों के साथ प्रस्तावित किया जा रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या की समस्या का समाधान करने में भारत की असमर्थता को प्रदर्शित करता है तथा यह भारतीय समाज में सामाजिक बुराइयों की निरंतरता को दर्शाता है ।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम को मजबूत बनाने की जरूरत है और कन्या के प्रति लोगों की प्रवृत्ति को बदलने की दिशा में काम करने की जरूरत है। इसमें स्थानीय आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अधिक भागीदारी की जरूरत है।

4.6. सरोगेसी (किराए की कोख)

सुर्खियों में क्यों?

- बंबई उच्च न्यायालय ने मध्य रेलवे को निर्देश दिए हैं कि उन महिला कर्मचारियों को तीन महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाये जो सरोगेट (किराये की कोख) का उपयोग करके माँ बनती हैं।
- अदालत ने फैसला दिया कि किसी भी सामान्य काम काजी महिला की तरह सरोगेट का उपयोग करके माँ बनने वाली महिला को भी बाल-दत्तक ग्रहण अवकाश तथा नियम (Child Adoption Leave and Rules) के तहत मातृत्व अवकाश लाभ प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।
- महिला के वकील ने अदालत में दलील दी कि अगर महिला को मातृत्व अवकाश नहीं मिलता तो यह निश्चित रूप से एक बच्चे को माँ के साथ संबंध विकसित करने के अधिकार का उल्लंघन होगा।

पृष्ठभूमि:

- पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में वाणिज्यिक सरोगेसी के विरुद्ध एक जनहित याचिका दाखिल की गयी थी। इसमें दावा किया गया था कि सरोगेसी के लिए विदेशी जोड़ों द्वारा गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की भारतीय महिलाओं का शोषण किया जा रहा है।
- अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने मानव भ्रूण के व्यापार पर चिंता व्यक्त की थी और सरकार को वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। इस सन्दर्भ में न्यायालय ने सरकार से 14 प्रश्न पूछे थे।
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा की सरकार की सरोगेट मां के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है इसलिए वाणिज्यिक सरोगेसी का समर्थन नहीं करती है।
- एक हलफनामे में सरकार ने कहा कि निसंतान भारतीय दम्पत्तियों के लिए आवश्यक सरोगेसी को दंपत्ति पूरी तरह से जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी।
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसंधान के लिए मानव भ्रूण का आयात प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि अब विदेशी लोग भारत में सरोगेसी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते।
- ये प्रावधान **सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक 2014** का हिस्सा होंगे, जिसे वर्तमान में विभिन्न राज्यों के विचार के लिए भेजा गया है।

भारत में सरोगेसी का वर्तमान परिदृश्य:

- भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी को वर्ष 2002 से कानूनी रूप से वैधता प्राप्त है।
- वैश्विक स्तर पर भारत सरोगेसी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य माना जाता है और इसे "प्रजनन पर्यटन" के रूप में जाना जाता है।

VISION IAS

- भारत में सरोगेसी की लागत अपेक्षाकृत कम है और कानूनी वातावरण भी अनुकूल है।
- वर्तमान में सहायक प्रजनन तकनीक क्लीनिक के दिशा-निर्देश तथा दंपत्तियों तथा सरोगेट माँ के मध्य सरोगेसी अनुबंध ही मार्गदर्शक हैं।
- 2008 में मंजी (जापानी बेबी) मामले में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को सरोगेसी के लिए एक उचित कानून पारित करने के लिए भी कहा था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते देते हुए संसद में सहायक प्रजनन तकनीक विधेयक अधिनियमित किया गया था, जो अभी तक लंबित है।
- सरोगेट माँ का शोषण और बच्चों का वस्तुकरण चिंता के प्रमुख विषय हैं जिनका निवारण कानून को करना है।

कानून के अभाव में शोषण:

- शोषण को रोकने के लिए व्यापक कानून के अभाव में कुछ मामलों में गर्भावस्था की जटिलताओं और प्रसव उपरांत देखभाल की अनुपलब्धता के कारण सरोगेट माँ की मृत्यु हो जाती है।
- गरीब अनपढ़ सरोगेट माँ और जोड़ों के बीच अनुबंध को इस प्रकार बनाया जाता है कि चिकित्सीय, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिम सरोगेट माँ के ऊपर आ जाता है और जोड़ा किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त रहता है।
- सफलता सुनिश्चित करने के लिए किराए की कोख में एक से अधिक भ्रूण प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं।
- बच्चों के विकलांग तथा अनापेक्षित जुड़वाँ रूप में पैदा होने पर कई बार दंपत्ति उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं।

सरोगेसी पर विधि आयोग की रिपोर्ट:

- भारत के विधि आयोग ने "सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न पक्षों के उत्तरदायित्व और अधिकारों के विनियमन के लिए कानून की जरूरत" पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- आयोग ने दृढ़ता से वाणिज्यिक सरोगेसी का विरोध किया है।
- आयोग ने कहा कि बच्चा चाहने वाले जोड़े में से एक व्यक्ति को डोनर होना चाहिए क्योंकि जैविक संबंधों से ही एक बच्चे के साथ प्यार और स्नेह उत्पन्न होता है।
- क़ानून को स्वयं ही गोद लेने की आवश्यकता या अन्य किसी माता-पिता घोषित करने संबंधी विज्ञप्ति के बिना भी पैदा हुए बच्चे को दंपत्ति के वैध बच्चे के रूप में मान्यता देनी चाहिये।
- डोनर के साथ ही सरोगेट माँ के निजता के अधिकार की रक्षा भी की जानी चाहिए।
- लिंग-चयनात्मक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- गर्भपात के मामलों को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 द्वारा नियमित किया जाना चाहिए।

आगे की राह:

सरोगेसी पर पर पूर्ण प्रतिबंध एक स्वागत योग्य कदम है। सरोगेसी बच्चों की खरीद फरोख्त का ही एक रूप है तथा वर्तमान विनियमन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम हैं। महिलाओं की गरीबी पर पनपने वाले इस तंत्र को समाप्त करना जरुरी है और साथ ही सरकार को गरीबी ख़त्म करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

4.7. देवदासी प्रथा

सुर्खियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायलय ने देवदासी मुद्दे पर सुनवाई तब आरम्भ की, जब उसे अवगत कराया गया कि कैसे दलित लड़कियों को कर्नाटक के दावणगेरे जिले के उत्तंगी माला दुर्गा मंदिर में देवदासियों के रूप में समर्पित किया जा रहा है।
- उच्चतम न्यायलय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को देवदासी प्रथा रोकने के लिए केन्द्रीय कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। इस "अवांछित और अस्वास्थ्यकर" प्रथा में युवा लड़कियों को देवदासियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

देवदासी कौन होती हैं?

- 'देवदासी' वे महिलाऐ होती है जो अपना जीवन मंदिर की सेवाओं के लिए समर्पित कर देती हैं; ये महिलाएं अक्सर यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं।

प्रचलित मुद्दे:

- देवदासी प्रथा महिला सशक्तिकरण और संविधान के तहत महिलाओं को दी गई समानता के विरुद्ध है।
- देवदासियों को यौन शोषण झेलना पड़ता है और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है।
- देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून होने के बावजूद यह अभी भी प्रचलन में है क्योंकि:
- कानून को लागू करने के लिए राज्य पुलिस का असंवेदनशील दृष्टिकोण
- देवदासी प्रथा में धकेली गयी लड़कियों के पुनर्वास के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग।

देवदासी प्रथा को रोकने के लिए प्रासंगिक कानून:

- कर्नाटक देवदासी (भेंट निषेध) अधिनियम 1982 और महाराष्ट्र देवदासी उन्मूलन अधिनियम 2006 जैसे राज्य स्तरीय कानूनों ने देवदासी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 372 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाती है।

VISION IAS

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 सार्वजनिक स्थानों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों में वेश्यावृत्ति को अपराध बनाता है।

4.8. उत्तराधिकारी के रूप में बेटी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में घोषणा की है कि बड़ी बेटी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति की कर्ता हो सकती है।

पृष्ठभूमि:

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कर्ता हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के वारिसों में एक सहदायिक या उनमें सबसे बड़ा होता है।
- कर्ता के पास परिवार के बाकी सदस्यों की सहमति के बिना संपत्ति और कारोबार के प्रबंधन का अधिकार होता है।
- हिंदू अविभाजित परिवार 'संयुक्त परिवार' से अलग है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से पैतृक संपत्ति के राजस्व आकलन से संबंधित है।
- इसमें संपत्ति को बेटों और बेटियों के बीच विभाजित नहीं किया जाता और इसमें ससुराल-पक्ष के लोगों को शामिल नहीं किया जाता।
- हिंदू अविभाजित परिवार सभी हिंदुओं और उन सभी लोगों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। इसमें बौद्ध, सिख और जैन भी शामिल हैं।
- 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, बेटियों सहित परिवार में पैदा हुए सभी सदस्यों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिया गया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार परिवार की बड़ी बेटी कर्ता हो सकती है, जबकि दूसरे पक्ष का तर्क था कि बेटियों को केवल संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, संपत्ति प्रबंधन का अधिकार नहीं।
- न्यायालय के अनुसार विवाहित बेटियाँ भी कर्ता की भूमिका निभा सकती हैं।
- हिंदू अविभाजित परिवार विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करता और हिंदू पुरुषों और महिलाओं को उत्तराधिकार का समान अधिकार देता है।
- चुनौती यह है कि वास्तव में बहुत कम महिलायें व्यापार और संपत्ति के प्रबंधन में कार्य करती हैं।

4.9. शनि-शिगनापुर मंदिर प्रवेश

हाल ही में भूमाता रंगरागिनी ब्रिगेड नामक महिलाओं के एक समूह ने शनि-शिगनापुर मंदिर की 400 साल पुरानी परंपरा तोड़ने की कोशिश की, जिसके अनुसार महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

पृष्ठभूमि:

- 500 से अधिक महिलाओं ने जब मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो, उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा तथा पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
- केरल में ऐसी ही एक घटना हुई थी, जहां एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायलय ने सबरीमाला मामले में सवाल किया था कि क्या आध्यात्मिकता सिर्फ पुरुषों की जागीर है।
- मुस्लिम महिलाओं ने मुंबई में हाजी अली दरगाह में प्रवेश करने के अधिकार की मांग की है।

महत्व:

कानून बनाम धर्म:

- यह प्रतिबंध संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है यद्यपि प्रथागत अधिकार धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं की अनुमति देते हैं।
- यद्यपि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, अनुच्छेद 25 का खंड 2 (b) राज्य को धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।

- **विश्वास बनाम तर्कशीलता**: ऐसे भगवान की वैधता जो महिलाओं की उपस्थिति मात्र से संकट में पड़ जाते हैं।
- महिलायें संविधान के प्रगतिशील अधिकारों और प्रतिगामी प्रथाओं के प्रति तेजी से जागरूक हो रही हैं। मंदिरों में प्रवेश महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का प्रतीक है।
- इतिहास में चलाए गए मंदिर प्रवेश आंदोलन शक्ति पदानुक्रम को चुनौती देने का एक माध्यम थे।
- धर्म के मूल में निहित प्रतिगामी नजरिए को दबाव से नहीं बल्कि; धीरे- धीरे जमीनी स्तर पर काम करके ही बदला जा सकता है।

4.10. जाट विरोध प्रदर्शन

सुर्खियों में क्यों?

- राजस्थान में गुर्जरों, आंध्र प्रदेश में कापू और गुजरात में पटेलों की तरह, हरियाणा में जाट भी उन्हें पिछड़ी वर्ग में शामिल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे वे भी आरक्षण का लाभ उठा सकें।

पृष्ठभूमि:

- केंद्र में पिछली सरकार ने मार्च 2014 में जाटों के लिए रोजगार एवं उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियत 27 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त विशेष कोटा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।
- बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया और सामाजिक रूप से स्व-घोषित पिछड़े वर्ग की धारणा पर अपनी चिंता जताई।

जाट विरोध प्रदर्शन के कारण:

- जाटों की उच्च आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बावजूद, कई पीढ़ियों से भूमि के वितरण के कारण भूमि जोत में कमी आई है।

VISION IAS

- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की निष्क्रियता से ग्रामीण आय में कमी आई है जिसने जाट समुदाय की आर्थिक क्षमता को प्रभावित किया है।
- आरक्षण प्रणाली की तुलनात्मक सफलता भी आरक्षण की मांग का एक कारण है।
- सरकारी नौकरियों में जाटों का प्रतिनिधित्व सेना में या पुलिस बलों की छोटी नौकरियों तक ही सीमित है। सरकारी क्षेत्र की अन्य नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

आगे की राह:

- निश्चित रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की सूची की समीक्षा करने की और क्रीमी लेयर की परिभाषा को और गहराई से देखने की आवश्यकता है।
- आरक्षण की सूची से किसी भी समुदाय को हटाने या जोड़ने पर निर्णय विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के निष्पक्ष अध्ययन के आधार पर होना चाहिए।

4.11. भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु में एक निजी मेडिकल कॉलेज की तीन छात्राओं द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। उनके द्वारा छोड़े गए एक पत्र में अत्यधिक फीस, उचित कक्षा और शिक्षकों का न होना तथा 'जानने के लिए कुछ भी न होने' को आत्महत्या का कारण बताया गया है। यह भारत में निजी शिक्षा की विकृतियों को उजागर करता है।

भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य:

- भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है।
- भारत में उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों की लगभग दो-तिहाई की भागीदारी है (अर्न्स्ट एंड यंग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वर्ष 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार)।
- बढ़ती आय और जनसांख्यिकीय दबाव के संयुक्त प्रभाव के कारण उच्च शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ेगी।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान अकेले शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते इसलिए स्कूल और कॉलेज दोनों स्तर पर, निजी उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में निजी शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दे:

- **परिचालन स्वायत्तता का अभाव** - निजी विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के पास वर्तमान में कॉलेजों को संबद्ध करना, शिक्षकों का वेतन निर्धारित करना और अपने कॉलेजों में पाठ्यक्रम शामिल करने का कोई अधिकार नहीं है।
- निजी संस्थानों पर राज्य विश्वविद्यालयों का **कठोर नियंत्रण तथा** इन विश्वविद्यालयों का नियंत्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), व्यावसायिक परिषद और सरकार के हाथ में है।
- विदेशी विश्वविद्यालयों, विदेशी शिक्षकों और विदेशी सहयोग के प्रवेश पर भी कई **प्रतिबंध** हैं।
- **सशर्त एफ.डी.आई.**: हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, लेकिन यह सशर्त है। परंतु यह लाभ के सिद्धांत पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
- **गुणवत्ता की कमी** – शहरों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ सी आ गयी है, जो आवश्यक मानक पूरे नहीं करते।

कदम जो निजी शिक्षण संस्थान को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये जाने चाहिए:

- **अधिक परिचालन स्वायत्तता** - स्वायत्तता कम करने वाले इनपुट आधारित मानदंडों से परे जाकर परिचालन नियमन को सरल बनाना।
- **विधायी ढांचे का समर्थन** - निजी संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर कानून को सक्षम बनाना।
- **छात्रों को वित्तीय सहायता -** सार्वजनिक और निजी संस्थानों में समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के हितों के आधार पर में वित्त पोषण व्यवस्था को लागू करना।
- **गुणवत्ता के लिए नियामक ढांचा –** गुणवत्ता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचे को विकसित करना।

आगे की राह:

- निजी स्कूलों और कॉलेजों पर नियंत्रण कम लेकिन पारदर्शी होना चाहिए तथा साथ ही विनायमक प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सतर्कता का होना भी जरूरी है।
- सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता के साथ-साथ शिक्षक के चुनाव तथा जवाबदेही पर अधिक स्थानीय नियंत्रण होना चाहिए।
- न्यूनतम प्रवेश योग्यता तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक विस्तृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली बनायी जा सकती है।

कुछ मुद्दे जो उच्च शिक्षा प्रणाली के निष्पादन को बाधित कर रहे हैं

- **अनुसंधान की कमी** - वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए उपलब्ध वित्त वैश्विक मानकों से बहुत कम है।
- **अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षण की कमी –** अच्छे अनुसंधान कौशल वाले शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाये रखने की जरूरत है।
- **शैक्षिक संस्थानों की कम प्रशासनिक क्षमता** - उच्च शिक्षा प्रणाली की विभिन्न बारीकियों से निपटने के लिए शैक्षणिक अधिकारियों के लिए कोई व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है।
- **अंतर्विषयक फोकस की कमी** – इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी अधिकांश सामाजिक समस्याओं को केवल एक अकादमिक विषय के विशेषज्ञों द्वारा हल नहीं किया जा सकता, विभिन्न शैक्षणिक विषयों के विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की जरूरत है।

VISION IAS

4.12. भारत में मृत्यु के मुख्य कारण

जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने एक चेतावनी जारी की: जीवन शैली संबंधी रोग भारत में होने वाली मौतों के सबसे बड़े कारण के रूप में उभरे हैं।

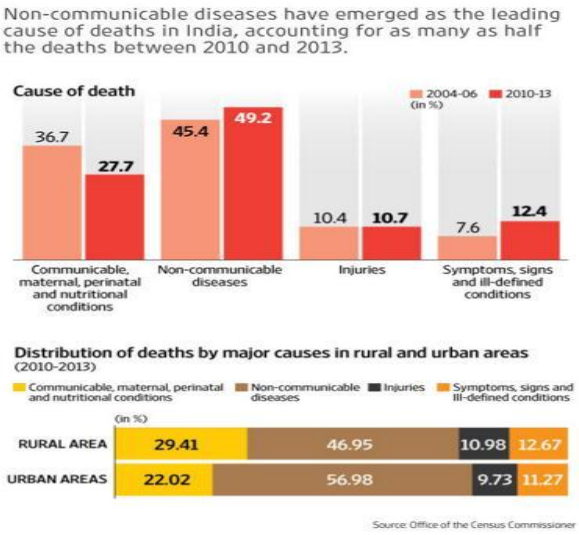

रिपोर्ट के आंकडें:

- नए आंकड़ों से पता चलता है कि 2010-13 की अवधि के दौरान देश में हर दो में से एक मौत गैर-संक्रामक रोगों के कारण हुई है। 2004-06 में गैर-संक्रामक रोग 45.4% मौतों का कारण बने थे और यह आंकड़ा 2010-13 में बढ़ कर 49.21% हो गया।
- **ग्रामीण-शहरी अंतर** - ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का प्रतिशत 46.9 था जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी ज्यादा था - 57%।
- गैर-संक्रामक रोगों में हृदय रोग मृत्यु के सबसे बड़े कारण हैं। सभी मौतों में उनका योगदान 23.3% है। यह 2004-05 में 19.9% था।
- नए आंकड़ों के अनुसार, समयपूर्व प्रसव और जन्म के समय कम वजन 29 दिनों से कम उम्र के बच्चों की मौतों के लिए मुख्य कारण के रूप में उभरे हैं।
- भारत में होने वाली मौतों के शीर्ष 10 कारणों की सूची में 2004-06 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ कारणों के क्रम में ही मामूली बदलाव हुआ है। शीर्ष पर हृदय रोग है, उसके बाद अस्पष्ट कारणों, सांस की बीमारियों, घातक और अन्य सूजन (कैंसर) और प्रसवकालीन स्थितियों (गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं) का स्थान है।
- संक्रामक रोगों के कारण कम मौतें - 2004-06 में 36.7% मौतें संक्रामक रोगों और पोषण की कमी के कारण हुईं। यह प्रतिशत 2010-13 में कम होकर 27.74% हो गया।

4.13. राष्ट्र और राष्ट्रवाद

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में हुए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विवाद ने राष्ट्रवाद पर बहस को फिर से हवा दी है।
- यह बहस अफजल गुरु (एक आतंकवादी) की फांसी की बरसी मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय परिसर के भीतर आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ छात्रों द्वारा "भारत-विरोधी" नारेबाजी से शुरू हुई।

राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है?

- "राष्ट्र-राज्य" और "राष्ट्रवाद" की अवधारणा एक अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है जो कि 17वीं सदी यूरोप के वेस्टफेलिया की संधि से शुरू हुई।
- इतिहास से पता चलता "राष्ट्र-राज्य" एक प्राकृतिक इकाई नहीं, बल्कि एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता की पहचान करने के लिए बनाया गया है।
- राष्ट्र एक मानसिक रचना है जो भ्रातृत्व की भावना में परिलक्षित होती है। राज्य एक राजनीतिक रचना है, राज्य के चार तत्व होते हैं क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इस प्रकार एक राष्ट्र और दो राज्य हो सकते हैं जैसे- कोरिया, या एक राज्य और दो राष्ट्र हो सकते है जैसे- श्रीलंका, या एक राज्य और एक राष्ट्र जैसे – जापान, या एक राज्य और कई राष्ट्र जैसे- भारत।

राष्ट्रवाद का महत्व:

- राष्ट्रवाद दुनिया भर में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का प्रेरक कारक रहा है, जैसे भारत।
- यह विविध संस्कृतियों और समूहों को जोड़कर राष्ट्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है।

राष्ट्रवाद की चुनौतियां:

- राष्ट्रवाद ने जब चरम रूप धारण किया तो विश्व में सबसे विनाशकारी युद्धों का कारण बना। उग्र राष्ट्रवाद ने यहूदी, चेचन्या या रवांडा में नरसंहार जैसी त्रासदियों को जन्म दिया है।
- यह मानव जाति के बीच मतभेद की कृत्रिम सीमा बनाता है क्योंकि इसमें स्वयं तथा दूसरों को अलग-अलग देखने की भावना अंतर्निहित है।

आगे की राह:

- राष्ट्रवाद की भावना एक स्वस्थ दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए जिसका अंतिम लक्ष्य मानवतावाद हो।
- अलगाववादी मांगों का समाधान मूलभूत समस्या को समझने का प्रयास करते हुए मानवोचित ढंग से किया जाना चाहिए।

VISION IAS

4.14. पारंपरिक औषधि

खबर में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले सहयोगी गतिविधियों पर समझौते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

यह कैसे सहायक होगा?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ दीर्घकालिक सहयोग से आयुष प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ेगी और उसकी ब्रांडिंग में सुधार होगा।
- यह शिक्षा के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।
- यह कार्यशालाओं और विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
- यह सदस्य राज्यों के बीच आयुष का समर्थन और सूचना का प्रसार सुलभ बनाएगा।
- आयुष प्रणालियों के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 के कार्यान्वयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तीसरे पक्षों के साथ सहयोग में मदद मिलेगी।

VISION IAS

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5.1. गुरुत्वीय तरंगें

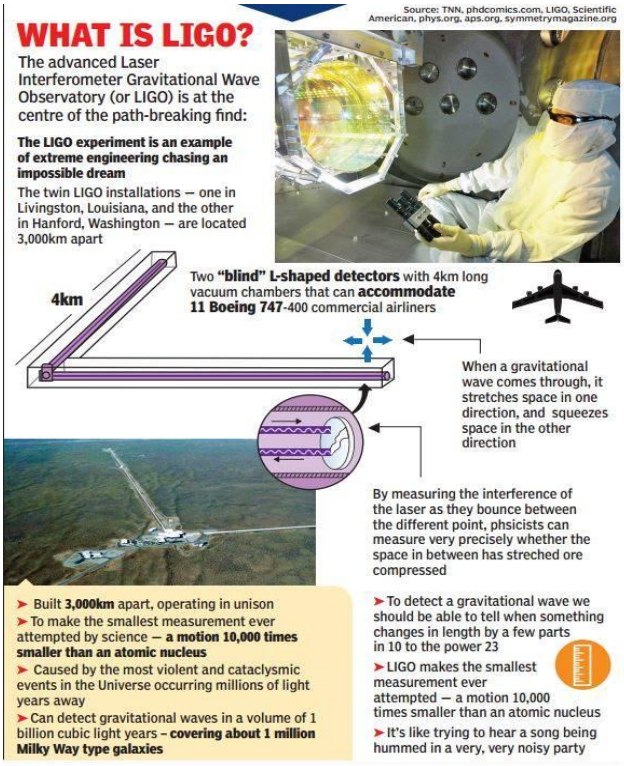

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) वेधशाला ने गुरुत्वीय तरंगों की खोज की है।
- अमेरिका के वाशिंगटन और लुइसियाना राज्यों में स्थित उन्नत LIGO वेधशालाओं ने पृथ्वी से करीब 1.3 अरब प्रकाश वर्ष पर स्थित दो ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न तरंगों से अंतरिक्ष के विकृत होने (warping) का पता लगाया है।
- भारत LIGO परियोजना में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और गुरुत्वीय तरंगों की खोज में पुणे के खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्र (IUCAA) की भी भागीदारी रहेगी ।

गुरुत्वीय तरंगें क्या हैं ?

- गुरुत्वीय तरंगें दिक् एवं काल (space-time) की संरचना में पैदा हुई तरंग या हलचल हैं। यह ब्रह्माण्ड की कुछ सबसे उग्र और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण जनित होती हैं।
- अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1916 में ही अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत (general theory of relativity) में गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी।
- यद्यपि इसका प्रभाव बहुत कमजोर है और केवल सबसे बड़े द्रव्यमान वाले और बहुत ही उच्च त्वरण के साथ चलने वाले पिंड द्वारा ही किसी उल्लेखनीय मात्रा कोई विकृति पैदा कर सकने वाली गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न कर सकता है। इस श्रेणी में किसी विशाल तारे का विस्फोट, या अत्यंत सघन मृत तारों का टकराना, या ब्लैक होल्स का एक हो जाना हो सकता है। इन सभी घटनाओं से प्रकाश की गति से गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा विकीर्ण होनी चाहिए।
- गुरुत्वीय तरंगों को इससे पहले कभी नहीं खोजा (भौतिक स्वरुप में) जा सका था। हालांकि इन तरंगों के होने के अप्रत्यक्ष प्रमाण 1993 में पाए गए थे और और इसके लिए खोजकर्ता को नोबेल पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

वेधशाला में इसके होने का प्रमाण कैसे मिला ?

- इनके होने का पता लगाने के लिए बुनियादी सिद्धांत इन्टरफेरेंस (interference) है - जब दो तरंगें मिलती हैं, तब वे उन तरंगों के दोनों चरम बिन्दुओं-शीर्ष और गर्त की स्थिति के सापेक्ष आधार पर एक पैटर्न बनाती हैं।
- LIGO में, एक उच्च उर्जायुक्त लेजर बीम विभाजित होती है और एल आकार की दो वैक्यूम सुरंगों, जो 4 किमी लम्बी होती हैं, द्वारा उन्हें नीचे भेज दिया जाता है। वे उच्च परिशुद्धता के दो दर्पणों से परावर्तित होती हैं और उसके बाद आधार पर वापस पहुँचती हैं। वापस वे इस प्रकार आती हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को काट दें। फोटो-डिटेक्टर पर किसी प्रकाश पता नहीं चलता।
- किन्तु जब एक गुरुत्वीय तरंग गुजरती है, तब यह अपने आस-पास की दिक् (space) को विकृत कर देती है और वह दूरी भी बदल जाती है जो लेज़र बीम को तय करनी होती है। अब, दोनों परावर्तित तरंगों के चरम बिंदु-शीर्ष और गर्त विशुद्ध रूप से एकरेखीय नही रह जाते। वे अब एक दूसरे के प्रभाव को रद्द नहीं कर पाते, जिससे फोटो-डिटेक्टर पर अलग पैटर्न का पता चलता है।

भारत में गुरुत्वीय तरंग संसूचक(Gravitational Wave Detector): इंडिगो

- भारत-LIGO परियोजना में दो LIGO डिटेक्टरों की एक प्रतिकृति बनाई जाएगी और अमेरिका में स्थित डिटेक्टरों की लम्बवत दिशा में उन्हें तैनात किया जाएगा।
- भारत-LIGO परियोजना परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) विभाग द्वारा नियंत्रित होने वाली है।
- LIGO-भारत परियोजना को तीन भारतीय शोध संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित और निष्पादित किया जाएगा: खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर पुणे (IUCAA) और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आई.पी.आर.), गांधीनगर और राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (RRCAT) इंदौर।

VISION IAS

- यह सटीक मैट्रोलोजी, फोटोनिक्स और नियंत्रण प्रणाली आदि प्रकार के तकनीकी क्षेत्रों को समृद्ध करेगी।
- लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा भारतीयों की आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरित होगी और देश के भीतर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न होगी।

चुनौतियां:

- वर्तमान अनुमान के मुताबिक इस परियोजना के लिए कम से कम 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इस परियोजना से परिचित कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की परियोजना को परिचालित होने में कम से कम आठ वर्ष का समय लगेगा।
- एक और महत्वाकांक्षी मेगा विज्ञान परियोजना, भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंतित कार्यकर्ता समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण एक साल से अधिक के लिए ठप पड़ी है।

5.2. क्यूबसैट्स(CUBESATS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने बाह्य अंतरिक्ष कक्षाओं में स्थित लघु उपग्रहों (CubeSats) को गतिशील बनाए रखने के कम से कम दो नए तरीके खोजे हैं।

क्यूबसैट क्या है?

- क्यूबसैट छोटे उपग्रह होते हैं, जो सामान्यतः किसी भी साइड से 4 इंच से अधिक नहीं होते हैं। ये आसानी से उपलब्ध ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर तथा किसी भी एक प्रणोदन उपकरण का प्रयोग कर अंतरिक्ष अनुसंधान कर सकते हैं।
- अभी तक क्यूबसैट पृथ्वी की केवल निचली कक्षा (एल.ई.ओ.) में स्थापित किये जाते हैं। क्यूबसैट आमतौर पर एक माध्यमिक पेलोड प्रक्षेपण यान के रूप में कक्षा में डाले जाते हैं।

क्यूबसैट इतनी तेजी से क्यों उभर रहे हैं?

स्मार्टफोन और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रियां, रेडी-मेड प्रौद्योगिकी की एक प्रचुर मात्रा उपलब्ध करा रहे हैं जो क्यूबसैट को एक उपग्रह के कई कार्य कर पाने में सक्षम बनाती हैं।

अन्य लाभ:

- क्यूबसैट के आकार की एक नैनोसैट की कीमत 150,000 डॉलर प्रति 1 मीटर हो सकती है जबकि एक पूर्ण आकार के सैटेलाइट की कीमत 200 बिलियन डॉलर प्रति 1 मीटर होगी।
- कम समय में निर्माण और निर्माण में आसानी।
- एक बार उनकी कक्षाओं का क्षय हो जाता है तो वे वातावरण में फिर से प्रवेश करने के क्रम में जल कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं।
- अपने आकार की वजह से, कई क्यूबसैट्स को एक बड़े, प्राथमिक अंतरिक्ष यान के साथ माध्यमिक पेलोड के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है। यह उन्हें उच्च जोखिम, प्रायोगिक पेलोड और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन के लिए आदर्श प्लेटफार्म बनाता है।

क्यूबसैट्स में प्रणोदन कैसे होगा?

एक क्यूबसैट सुरक्षा कारणों की वजह से पारंपरिक रॉकेट ईंधन नहीं ले जा सकता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने गतिशील बनाए रखने के दो तरीके विकसित किए हैं। ये हैं:

1. आयन ड्राइव का उपयोग: एक आयन ड्राइव किसी तरल प्रणोदक से लिए गए कणों को बहुत ही उच्च गति से त्वरण दे सकता है। यह गर्म वाष्प बाहर निकलने की अपेक्षा अधिक कुशलता से धक्का देता है, साथ ही यह प्रक्रिया एक पारंपरिक रॉकेट के विस्फोटक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से रहित भी है।
2. प्रकाश का उपयोग: एक फोटोनिक लेजर थ्रस्टर इस सिद्धांत पर काम करता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो दबाव डालता है।

हाल के क्यूबसैट

पिछले साल दुनिया का पहला "फोनसैट"(phonesat)अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। यह एक गूगल नेक्सस वन स्मार्टफोन था जो एक तीन इकाई क्यूबसैट, जिसका नाम STRaND-1 है, के साथ था। अंतरिक्ष के वातावरण में स्मार्टफोन के घटकों का परीक्षण करना इसका उद्देश्य था। फोन कई प्रयोगात्मक एप्प से लैस था जिनमें तस्वीरें लेना और परिक्रमा के दौरान चुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड करना शामिल है।

5.3. प्लेनेट- X

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान में शोधकर्ताओं को सौर मंडल के बाहरी हिस्से में एक पिंड के होने का प्रमाण मिला है जो वास्तविक नौवाँ ग्रह हो सकता है।

VISION IAS

- इसे प्लेनेट नाइन उपनाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 10 गुना है और नेपच्यून की तुलना में इसकी कक्षा की दूरी सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक है।

यह निष्कर्ष कैसे निकाला गया?

- इसकी उपस्थिति का अनुमान छह पहले से ज्ञात पिंडों के विशेष समूह(क्लस्टरिंग) जो नेपच्यून ग्रह से आगे की कक्षा (क्विपर बेल्ट) में हैं , से लगाया गया है।
- यह कहा जाता है कि इस बात की प्रायिकता केवल 0.007% है कि यह क्लस्टरिंग मात्र एक संयोग है। इसके बजाय, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के 10 गुना है, ने इन छः पिंडों को उनकी अनूठी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में भेजा है और उनको अक्ष से झुका दिया है।

क्वीपर(Kuiper) बेल्ट क्या है?

- यह नेप्च्यून की कक्षा से आगे सूर्य की परिक्रमा करने वाले बर्फीले पिंडों का एक समतल छल्ला है।
- यह तीन आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त बौने ग्रह का घर है: प्लूटो, हौमिया और मेकमेक।

5.4. एस्ट्रोबायोलोजी मिशन

- नासा, मार्स सोसायटी ऑस्ट्रेलिया और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ़ पैलियोबॉटनी (Palaeobotany), लखनऊ के वैज्ञानिकों का एक दल इस साल अगस्त में लद्दाख में एक आरोहण अभियान करेगा।
- इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के कुछ भागों की स्थलाकृति और सूक्ष्म जीवों का मंगल ग्रह के परिवेश के साथ समानता का अध्ययन करना है।
- पहली बार भारत एक स्पेसवर्ड बाउंड (Spaceward bound) कार्यक्रम का हिस्सा है।
- लद्दाख क्षेत्र के चयन में जिन कारकों ने प्रमुख भूमिका निभाई उनमें से कुछ हैं:
  - एक ही क्षेत्र और तय की जा सकने वाली दूरी के भीतर कई एस्ट्रोबायोलॉजिकल(astrobiological) कारकों की उपलब्धता। जैसे: ठंडी और ऊँचाई पर स्थित रेगिस्तानी मिटटी, गर्म जल कुंड, पर्माफ्रास्ट (permafrosts) हिमनद, पुरातन खारी झीलें।
  - मानव बस्तियों का कम होना
  - मानव निपुणता और प्रदर्शन आधारित परीक्षण करने के लिए उच्च तुंगता का वातावरण।
- खगोल विज्ञान और एस्ट्रोफोटोग्राफी (astrophotography) के लिए उच्च तुंगता पर साफ़ आसमान।
- एक खगोल-जैव वैज्ञानिक के लिए उपयोगी साबित हो सकने वाले कई स्थान भारत में हैं
  (a) लद्दाख, जम्मू और कश्मीर
  (b) कच्छ, गुजरात
  (c) लोनार झील और पश्चिमी दक्कन क्षेत्र

स्पेस बाउंड प्रोग्राम क्या है?

- यह नासा, एम्स में विकसित एक शैक्षिक कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भाग लेने वाले वैज्ञानिक शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों द्वारा दुनिया के विभिन्न भागों में स्थित दूरस्थ और चरम वातावरण की यात्रा करना और एस्ट्रोबायोलॉजिकल(astrobiological) प्रयोगों का संचालन करना तथा जीवधारी जो जैवमंडल मंडल में रहते हैं उनकी उत्पत्ति, भोजन और अनुकूलन के बारे में अध्ययन करना एवं अवलोकन करना।
- पिछला स्पेस बाउंड प्रयोग मोजावे रेगिस्तान, अमरीका,नामीब रेगिस्तान, अंटार्कटिका, आदि में आयोजित किया गया था ।

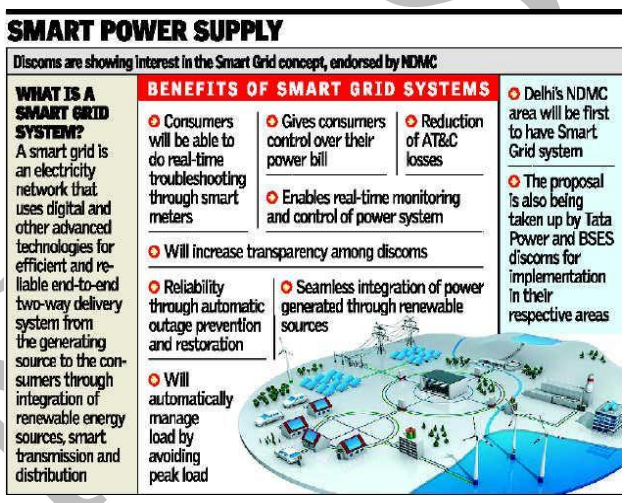

5.5. स्मार्ट ग्रिड

स्मार्ट ग्रिड परियोजना के बारे में:

- यह परियोजना स्मार्ट सिटी पहल का एक हिस्सा है।
- इस परियोजना को तीन चरणों में बांटा गया है :
  1. पुराने उपकरणों और तारों की जगह नए उपकरण लगाना
  2. घरों में स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन
  3. बिजली वितरण की दक्षता में सुधार करने के लिए सॉफ्टवेयर का विकास।
- नई दिल्ली नगर निगम के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का एक प्रमुख आकर्षण अपनी बिजली नेटवर्क को एक स्मार्ट ग्रिड प्रणाली में अपग्रेड करने की योजना है।
- एक स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क उपभोक्ताओं और बिजली कम्पनियों के बीच दो तरफा संचार की सुविधा देगा।
- यह एक सहज प्रणाली में उत्पादन, पारेषण, वितरण प्रणाली, और उपभोक्ताओं के साथ ही साथ नवीकरणीय स्रोतों इत्यादि सभी को एकीकृत करके उनके बीच तालमेल लाएगा।
- प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू 100 प्रतिशत एडवांस मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (ए.एम.आई.) है, जो उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में (real time basis) बिजली की खपत के बारे में आंकड़े देगा जिससे उन्हें उनके उपयोग के बारे में सुविज्ञ विकल्प चुनने में सहयोग मिलेगा।

VISION IAS

- उपभोक्ताओं को कैसे मदद मिलेगी इसका एक बुनियादी उदाहरण इस प्रकार है: वे समस्या निवारण सहित अन्य विकल्पों के लिए सीधे अपने ऊर्जा मीटर में कमांड देने के लिए सक्षम हो जाएंगे।

सुर्ख़ियों में क्यों?

नई दिल्ली नगर निगम एक 500 करोड़ रुपये की "स्मार्ट ग्रिड" परियोजना लाने वाली है, जिसका उद्देश्य बेहतर बिजली वितरण और पारेषण में दोष तथा चोरी रोकने के माध्यम से घाटे को कम करना है।

5.6. जीन एडिटिंग (CRISPR / CAS9)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

1. फरवरी को यूनाइटेड किंगडम के फ्रांसिस क्रिक संस्थान के वैज्ञानिकों को CRISPR / Cas9 नामक जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मानव भ्रूण पर शोध शुरू करने के लिए अनुमोदन मिला है।

जीनोम एडिटिंग क्या है?

- यह एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसमें एक जीव के जीनोम में डीएनए डाला जाता है, नष्ट किया जाता है या बदल दिया जाता है। इसके लिए इंजीनियर्ड न्युक्लिअसिज़, या "आणविक कैंची" (molecular scissor) का उपयोग किया जाता है।
- ये न्युक्लिअसिज़ या एंजाइम इच्छित स्थानों पर उस जगह की विशेषता के अनुसार डबल-स्ट्रैंड ब्रेक्स(DSBs) का निर्माण करते हैं।
- डबल-स्ट्रैंड ब्रेक्स को सिरों को जोड़ कर या पुनर्संयोजन के माध्यम से त्रुटिमुक्त किया जाता है, जिससे लक्षित उत्परिवर्तन (mutation) हासिल होते हैं।

CRISPR / Cas9 क्या है?

- यह एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग तकनीक है जिसे वैज्ञानिकों ने प्रकृति से लिया है।

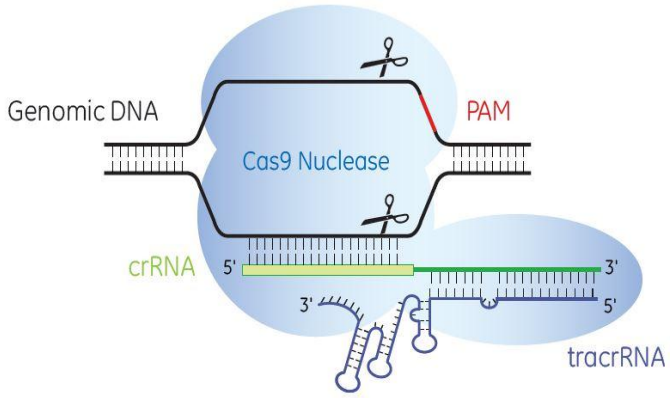

- CRISPRs(clustered regularly interspaced short palindromic repeats), डीएनए के हिस्से हैं, जबकि कैस-9 CAS-9 (CRISPR-associated protein 9) एक एंजाइम है।
- बैक्टीरिया उनका उपयोग वायरस के हमलों को निष्क्रिय करने के लिए करते हैं।

यह किस प्रकार काम करता है?

- CRISPR जीनोम को स्कैन कर सही स्थान की तलाश करता है और फिर Cas9 प्रोटीन का आणविक कैंची के रूप में उपयोग कर डीएनए को काटता है।
- Cas9 endonuclease - गाइड RNA इसको एक विशेष अनुक्रम की ओर निर्देशित करता है ताकि यह संपादित किया जा सके।
- जब Cas9 लक्षित अनुक्रम को काटता है, तब कोशिकाएं क्षति को पूरा करने के लिए एक बदले हुए संस्करण को मूल अनुक्रम से प्रतिस्थापित करती हैं।
- अन्य जीन-एडिटिंग विधियों के विपरीत, यह सस्ता, त्वरित, आसान, सुरक्षित और सटीक है, क्योंकि यह आरएनए-डीएनए बेस पेयरिंग पर आधारित है, न कि उन प्रोटीनों की इंजीनियरिंग पर आधारित है जो किसी विशेष डीएनए अनुक्रम से जुड़ते हैं।

वर्तमान में चार प्रकार के इंजीनियर्ड न्युक्लिअसिज़ का इस्तेमाल किया जा रहा हैं:

1. Meganucleases
2. Zinc finger nucleases (ZFNs)।
3. Transcription Activator-Like Effector-based Nucleases TALENs)।
4. CRISPR- Cas system

5.7. रमन प्रभाव: उपयोग

रमन प्रभाव क्या है?

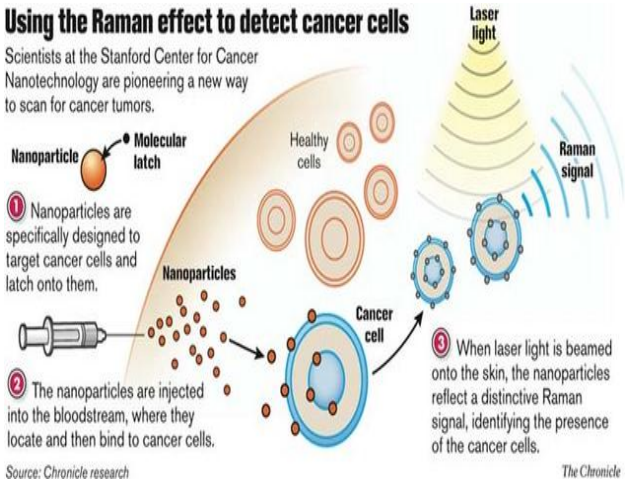

VISION IAS

किसी माध्यम में प्रकीर्णित कुछ प्रकार के विकिरण द्वारा तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रभाव उस अणु तक सीमित है जो इसका कारण है और इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी विश्लेषण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

कुछ अनुप्रयोग :

रासायनिक उद्योग:

1. उत्प्रेरक का अध्ययन करने के लिए
2. पेट्रो रसायन उद्योग में रासायनिक शुद्धता की निगरानी करने के लिए
3. बहुलीकरण प्रक्रिया का नियंत्रण

नैनोतकनीक और मटेरियल साइंस:

1. नैनोकणों का अध्ययन करने के लिए
2. माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और नवीन फोटोवोल्टिक सेल का विकास करने के लिए।

बायोमेडिकल अनुप्रयोग :

1. त्वचा का इन-वीवो(In-vivo)अध्ययन
2. त्वचा के नीचे(transdermal) दवा का अंतरण
3. कैंसर की पहचान
4. अस्थि अध्ययन

नारकोटिक्स और विस्फोटकों की जांच:

1. नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ने योग्य रमन स्कैनर
2. टीएनटी, आरडीएक्स, एचएमएक्स जैसे विस्फोटकों का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ने योग्य रमन स्कैनर

28 फरवरी को भौतिक विज्ञानी **सी वी रमन** ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

5.8. आदित्य मिशन: अद्यतन

- इसरो आदित्य मिशन के तहत एक और अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। यह एल 5 नामक एक अलग स्थिर कक्षीय स्थिति से सूर्य का निरीक्षण करेगा।
- दो और कक्षाएँ अर्थात एल 1 और एल 5 को जोड़कर और अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा।
- अमेरिका और जापान द्वारा पुराने एल 1 सूर्य अनसंधान कार्यक्रम ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं दे सके।

एल 1, एल 5 क्या है?

- लैग्रान्जे बिंदु अंतरिक्ष में एक स्थान है जहाँ दो विशाल पिंडों, जैसे पृथ्वी और सूर्य या पृथ्वी और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल, किसी बहुत छोटे तीसरे पिंड पर लग रहे केन्द्रापसारक बल के बराबर है।
- बलों का पारस्परिक प्रभाव एक संतुलन बिंदु उत्पन्न करता है जहां कोई अंतरिक्ष यान "खड़ा" कर के अवलोकन किया जा सकता है।
- इन बिन्दुओं का नाम जोसेफ लुई लैग्रान्जे, जो 18 वीं सदी के गणितज्ञ थे, के नाम पर रखा गया है।
- पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसे 5 बिंदु हैं- एल 1, एल 2, एल 3, एल 4 और एल 5।

आदित्य पर अन्य मूलभूत जानकारी के लिए कृपया नवंबर 2015 की समसामयिकी देखें

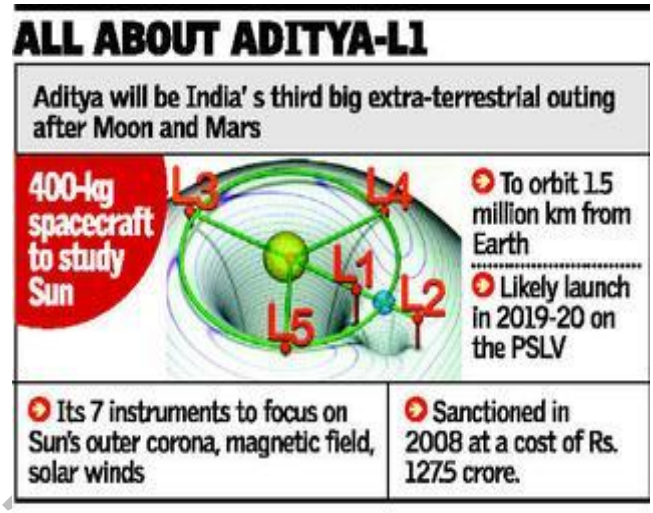

5.9. वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन - "गंतव्य भारत"

इस शिखर सम्मेलन द्वारा 2020 तक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करने का प्रयास किया जा रहा और यह उम्मीद की जा रही है कि भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा ।

विषय:

- जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी द्वारा समाज पर डाले जा रहे प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- निवेशकों और अन्य प्रमुख भागीदारों को भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करना।

मुख्य रूप से ध्यान इन प्राथमिकता विषयों पर है:

- मेक इन इंडिया,
- जैव उद्यमशीलता का विकास करना,
- स्किल इंडिया,
- बायोटेक क्षेत्र में अवसर और
- स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लिए कार्रवाई।

इस शिखर सम्मेलन में नोबेल विजेता, सरकार और अन्य हितधारकों समेत 1000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इसने जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सीखने और अंतःक्रिया के लिए एक मंच प्रदान किया।

यह शिखर सम्मेलन 26 फरवरी को अपनी 30 वीं स्थापना दिवस मना रहे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के संवर्धन के रूप में आयोजित किया जाएगा।

VISION

5.10. हिप्नोक्सिया और शीतदंश (FROSTBITE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सियाचिन में हिमस्खलन की घटना के बाद अपनी पोस्ट पर फंस जाने के कारण सेना के 19 मद्रास बटालियन के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और नौ जवानों की मौत हो गई।
- हिमस्खलन के बाद बर्फ के 25 फीट (8 मीटर) ऊँचे ढेर के अन्दर दब जाने के बाद एक भारतीय सैनिक छह दिनों तक जिंदा रहा था। बाद में कई अंगों के काम करना बंद कर देने के बाद अस्पताल में उनका निधन हो गया।

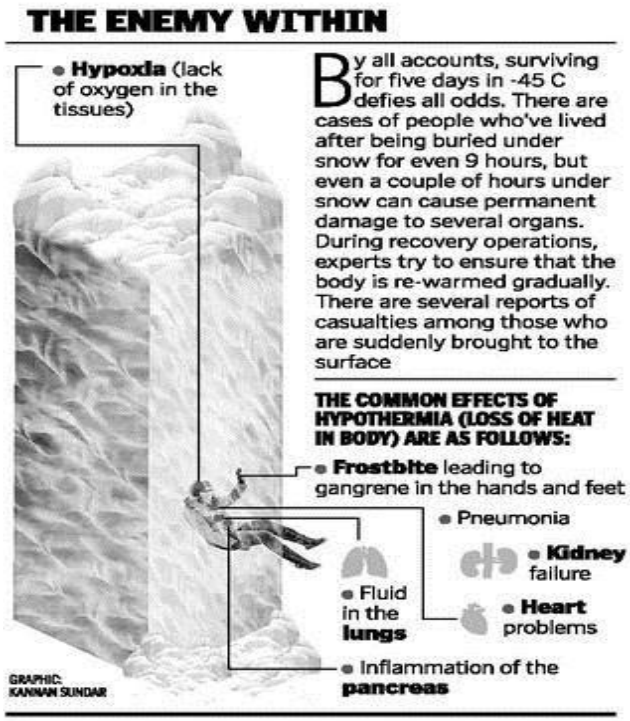

मानव स्वास्थ्य पर उच्च तुंगता के परिणाम:

- हिप्नोक्सिया: यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर या शरीर के एक भाग को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं प्राप्त होती।
- शीतदंश: यह एक चोट है जो शून्य से नीचे के तापमान पर अनावरण शरीर के हिस्सों के कारण उत्पन्न होती है। ठंड के कारण त्वचा और उसके अंतर्निहित ऊतक जम जाते हैं। हाथ और पैर की उंगलियाँ और पाँव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं लेकिन नाक, कान और गाल सहित अन्य अंग भी शीतदंश से प्रभावित हो सकते हैं।
- हाइपोथर्मिया: यह शरीर के तापमान में एक संभावित खतरनाक गिरावट है, आम तौर पर ठंडे तापमान में लंबे समय तक रहने की वजह से होती है।
- उच्च तुंगता पल्मोनरी एडिमा: यह स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक ऐसी अवस्था है जिसमें फेफड़ों में अतिरिक्त तरल पदार्थ विकसित होता है। यह या तो फेफड़े के ऊतकों में होता है या सामान्य रूप से गैस विनिमय के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले खाली स्थान में होता है।
- उच्च तुंगता मस्तिष्क एडिमा: यह स्वास्थ्य से सम्बन्धित एक ऐसी अवस्था है जिसमें तरल पदार्थ की वजह से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। यह ऊंचाई पर यात्रा करने का शारीरिक प्रभाव है।

VISION IAS

6. आंतरिक सुरक्षा

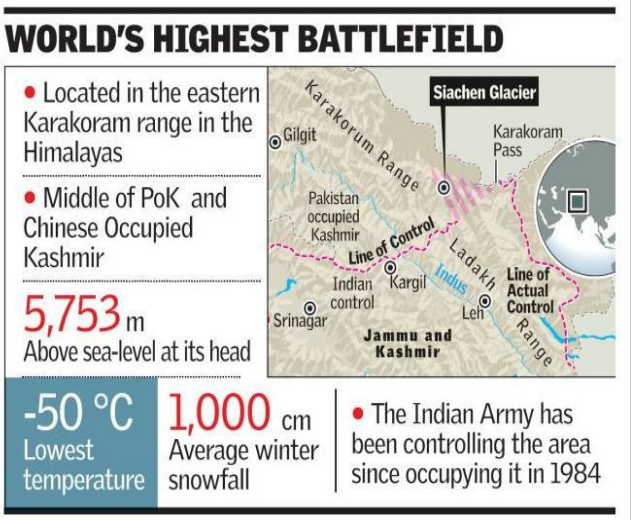

6.1. सियाचिन का विसैन्यीकरण (DEMILITARISATION)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन के कारण मद्रास रेजीमेंट के 9 जवानों की मृत्यु हो गई।
- हालांकि हनुमनथप्पा नाम के एक जवान को जीवित निकाला गया था, परंतु बाद में घावों के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई।
- वैश्विक तापन से प्रभावित इस क्षेत्र में इस प्रकार की बढ़ती हुई घटनाओं में से यह मात्र एक घटना है।

सियाचिन के साथ कठिनाई

- 1984 के 2012 के मध्य 846 सेना के जवान सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो चुके हैं।
- हिमस्खलन एवं क्षेत्र का दुर्गम एवं दुश्कर होना इस प्रकार की घटनाओं के कारण रहे हैं।
- शून्य से भी नीचे तापमान वाली जलवायु की दशाएँ कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रही हैं, जैसे- स्मरण शक्ति का कमजोर होना, बोलने में अस्पष्टता, फेफड़ों का संक्रमण, शीतदंश आदि।
- सामान्य ऊँचाई के मुकाबले यहां पर आक्सीजन की अत्यधिक कमी जीवन को कठिन बना देती है।

विसैन्यीकरण के पक्ष में तर्क

- सियाचिन पर कब्जा बनाये रखने में व्यापक जान-माल की हानि हुई है तथा काफी धन व्यय किया जा चुका है।
- सामरिक समुदाय के कई लोगों का मानना है कि सामरिक दृष्टिकोण से सियाचिन ज्यादा महत्व नहीं रखता तथा आक्रमक कार्रवाई के लिए अनुपयुक्त है।
- चीनी हस्तक्षेप का डर
    1. अगर चीन लेह पर अधिकार करना चाहता है, तो उसके पास सियाचिन के दुर्गम रास्ते की तुलना में अन्य आसान मार्ग उपलब्ध हैं।
    2. सियाचिन मार्ग का अनुसरण करना चीन के लिए लॉजिस्टिक तथा सैन्य दोनों ही दृष्टियों से अनुपयुक्त होगा।

पाकिस्तानी हस्तक्षेप का डर

1. एक बार जब क्षेत्र सीमांकित, सत्यापित तथा परस्पर विसैन्यीकृत हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए इस पर नियंत्रण करना लॉजिस्टिक तथा कानूनी रूप से आसान नहीं होगा।
2. भारत को समझौते के अंतर्गत इस बिंदु को सम्मिलित कराना चाहिए कि इस समझौते में किसी भी प्रकार का उल्लंघन युद्ध को उकसाने वाले कृत्य या घटना के रूप में देखा जायेगा।
3. भारत के पास कई परिष्कृत निगरानी, सूचना संवेदी प्रणाली के साथ-साथ उपग्रह आधारित इमेज प्रणाली उपलब्ध है, जिससे पाकिस्तान के किसी भी आकस्मिक हमले रोका जा सकता है।

विसैन्यीकरण के विपक्ष में तर्क

- सरकार एवं सेना दोनों इस बात पर द्रढ़ मत हैं कि सियाचिन पर नियंत्रण के अलावा कोई और मार्ग नहीं हैं।
- भारत का सियाचिन पर वर्चस्व है तथा भारत इस क्षेत्र में पाकिस्तान की तुलना में सामरिक दृष्टि से लाभ की स्थिति में है।
- हमने सियाचिन क्षेत्र में सैनिक तथा असैनिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत निवेश कर दिया है, तथा जान-माल की हानि भी पाकिस्तान की अपेक्षा कम हुई है।
- आस-पास के क्षेत्र में चीन का खतरा मंडरा रहा है।
- यदि भविष्य में पुनः आवश्यकता महसूस हुई तो इस क्षेत्र को वापस प्राप्त करने में कठिनाई होगी|
- चीन-पाकिस्तान गठजोड़ चिंता का मुख्य विषय है|
- भारत द्वारा खाली किये गए सियाचिन क्षेत्र का उपयोग भविष्य में चीन तथा पाकिस्तान द्वारा संयुक्त कार्रवाई के लिए किया जा सकता है|

भारतीय दृष्टिकोण

- वर्तमान में भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी प्रकार के विसैन्यीकरण के लिए पूर्व शर्त सल्तारो रिज की जमीनी स्थिति का सीमांकन तथा उसे नक्शे पर सत्यापित करना है।
- इसके अलावा, भारतीय पक्ष की ओर से ठिकानों तथा क्षेत्र को खाली करने के संबंध में यह कोई मतभेद नहीं चाहता। यह भावना कारगिल में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के कारण और भी प्रबल हो गई है।
- इसी कारण भारत जोर देकर कह रहा है कि भूमि तथा मानचित्र दोनों पर वास्तविक भू-स्थिति रेखा का सीमांकन संयुक्त सत्यापन समझौते का पहला कदम होना चाहिए।

पाकिस्तानी दृष्टिकोण

- भारत ने सियाचिन में जबरदस्ती अधिकार कर रखा है और इसे बिना शर्त हटना चाहिए तथा **1984** की पूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहिए। भारत शिमला समझौते का उल्लंघन कर रहा है।

VISION IAS

- पाकिस्तान ने सुझाव दिया है कि दोनों पक्षों को सुरक्षा बलों को 1972 के शिमला समझौते की पूर्व स्थिति अर्थात NJ 9842 बिंदु के दक्षिण तक हटा लेना चाहिए। हालांकि उसने भू-स्थिति के निर्धारण में कोई वास्तविक रूचि नहीं दिखाई है।
- पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्र का विसैन्यीकरण, सुरक्षा बलों को हटाना, तथा सत्यापन साथ-साथ होने चाहिए।

भारत के पास 5 विकल्प हैं

- यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना।
- बिना किसी सीमांकन तथा सत्यापन के परस्पर समझ के आधार पर सेना को हटाना, पर यह भारत के लिए एक अवांछित कदम है तथा इसके होने की सम्भावना भी नहीं है।
- सीमांकन तथा सत्यापन के बाद सेना को पारस्परिक समझ के आधार पर हटाना। यह भारत के लिए वांछित विकल्प है, परंतु पाकिस्तान इस पर सहमत नहीं होगा।
- बिना किसी पूर्वाग्रह के वर्तमान सैनिक स्थिति को संयुक्त रूप के रिकार्ड करके सेनाओं को पारस्परिक समझ के आधार पर हटाना। यह सबसे उपयुक्त विकल्प हैं, जिससे भारतीय पक्ष की मांग भी बनी रहेगी तथा पाकिस्तान की तरफ से भी इसका अधिक विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1992 में पाकिस्तान ने इसके लिए सहमति जताई थी।
- एक और आदर्श विकल्प सियाचिन को शांति पार्क के रूप में बदलना है।

6.2. ISIS के खतरे से निपटने के लिए भारत की अतिवादी विचारधारा को कम करने की रणनीति (INDIA'S DERADICALISATION STRATEGY TO COUNTER ISIS THREAT)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन राज्यों को अंतराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रचारित की जा रही जिहादी विचारधारा से निपटने के लिए एक विस्तृत जवाबी रणनीति बनाने का निर्देश दिया है।

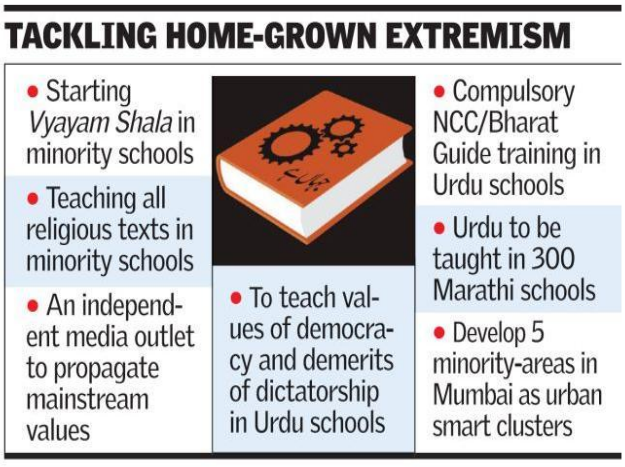

अतिवादी विचारधारा से निपटने की रणनीति

- ऑस्ट्रिया में हाल ही में स्थापित की गयी हॉटलाईन के समान 'एक्सट्रीमिज्म काउंसलिंग हॉटलाईन (exteremisim counselling hotline)' की शुरुआत।
- यह 'सुभेद्य तथा अतिवाद से प्रभावित' नौजवानों के माता-पिता, अध्यापकों तथा मित्रों को पेशेवर सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी ताकि इन नौजवानों को अतिवाद के प्रभाव से मुक्त किया जा सके।
- इसके अलावा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका के 'अतिवाद-विरोधी कार्यक्रम' जो कि समुदाय तक पहुँच पर आधारित है तथा यू. के. के 'प्रिवेंट एंड चैनल प्रोग्राम' का भी अध्ययन कर रही हैं।

राज्यों द्वारा उठाए गए कुछ कदम

कर्नाटक - मदरसों के आधुनिकीकरण के संबंध में प्रस्ताव दिए गए हैं-
- अकादमिक जानकारी प्रदान करना तथा कुरान की वास्तविक शिक्षाओं के संबंध में समझ बढ़ाना।
- मदरसों तथा मस्जिदों का गहन सर्वे, तथा एक विस्तृत डेटा बेस तैयार करना।
- आनलाईन इस्लामिक शिक्षा की व्यवस्था।

महाराष्ट्र - अतिवादी विचारधारा कम करने की रणनीति
- विभिन्न योजनाओँ के माध्यम से अल्पसंख्यकों तक पहुँच बनाने के लिए अलग-अलग विभागों पर विचार करना।
- पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे पुलिस बल के अन्दर साम्प्रदायिक भावनाओं को पहचानें तथा उसे कम करें।
- अल्पसंख्यकों तक पहुँच बनाना तथा उनके हृदय को जीतना।

6.3. अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा/ INTERNATIONAL FLEET REVIEW (IFR) 2016

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा का आयोजन किया।

- विश्व की 51 नौसैनाओं ने अपने जहाजी बेड़े अथवा अपने प्रतिनिधि इस अभियान में भेजे।
- अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा-2016 की थीम थी - महासागरों के जरिये एकजुटता (**United through ocean**)।
- इस समीक्षा का समापन बंगाल की खाड़ी में भारतीय तथा विदेशी जहाजों द्वारा एक Passage Exercise (PASSEX) के साथ हुआ।

बेड़ा समीक्षा क्या है?

विश्व की विभिन्न नौसेनाओं द्वारा बेड़ा समीक्षा का परंपरागत रूप से अनुसरण किया जाता है

- इस समीक्षा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की तैयारी, उच्च मनोबल एवं अनुशासन के बारे में देश को भरोसा दिलाना होता है।।
- अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा मेज़बान देश को अपनी सामुद्रिक क्षमताओं तथा अन्य सामुद्रिक राष्ट्रों के साथ बनाये गये अपने 'मित्रता के सेतुओं' को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करती है।
- यह समीक्षा हिन्द महासागर को खुला, सुरक्षित तथा समृद्ध बनाने में भारतीय क्षमता का स्मरण करवाती है।

ब्लू वाटर नेवी बनाम ब्लू इकोनामी

- भौगोलिक रूप से हिन्द महासागर के मुख्य नौपरिवहन मार्गों पर भारत की अवस्थिति इसे निर्णायक समुद्री भूमिका प्रदान करती है।
- भारतीय नौसेना हिन्द महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा में केन्द्रीय भूमिका निभा रही है।
- भारत की आर्थिक तथा सामरिक गणना ने समुद्री पहलू प्राप्त कर लिया है।
- भारत के वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत हिस्सा अंतराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, जिसमें से ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते होता है।
- भारत छोटे राष्ट्रों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रबंधन तथा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में सहयोग के महत्व को भी स्वीकार करता है।
- एक सशक्त ब्लू वाटर नेवी; कूटनीति तथा ब्लू इकोनामी की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आगे की राह

- भारत को महाद्वीपों तथा सागरों के मध्य बदलते हुए संतुलन तथा खतरों के चरित्र को नए सिरे से देखते हुए एक नई सैनिक रणनीति को अपनाने की जरूरत है।
- समुद्री रणनीति की दिशा बदलकर तथा विभिन्न सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से भारत ने समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देकर विश्वसनीयता अर्जित की है।
- पाकिस्तान तथा चीन की ओर से जमीनी खतरों के निवारक के रूप में नौसेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता तथा सामर्थ्य पर सशक्त चर्चा की जरूरत है।
- हिन्द महासागर में बदलते हुए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक तथा नौसेना नेतृत्व को निर्णायक भागीदारों के साथ विशेष समुद्री संबंधों की आवश्यकता को तुरंत पहचानना तथा महत्व देना होगा।
- समुद्री सुरक्षा सहयोग में भारत को एकल-रेंजर की पूर्व मानसिकता से आगे बढ़कर बहुपक्षीय तंत्र के विकास की ओर कदम बढ़ाना होगा।
- सागर ना केवल सुरक्षा, सहयोग तथा मित्रता को बढ़ावा देते है बल्कि सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। और इसी रूप में बेड़ा समीक्षा के विषय 'महासागरों के जरिये एकजुटता' की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं।

6.4. आतंकवाद विरोधी सम्मलेन (COUNTER-TERRORISM CONFERENCE), 2016

सुर्खियों में क्यों?

- भारत के राष्ट्रपति ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2016 के दूसरे संस्करण का जयपुर में उदघाटन किया।
- इस सम्मेलन का विषय था "टैकलिंग ग्लोबल टेरर आउटफिट्स (Tackling Global Terror Outfits)"।
- इस सम्मेलन में फील्ड संचालकों, सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों, सरकारी प्रतिनिधियों, जोकि आतंकवाद विरोधी कारवाइयों, योजनाओं तथा जागरूकता अभियानों का हिस्सा थे, ने भाग लिया।
- इसका आयोजन इंडिया फाउण्डेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने किया।

चर्चा के मुद्दे क्या थे?

किसी भी कारण अथवा स्रोत पर आधारित आतंकवादी तरीकों को उचित ना ठहराने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।

- आतंकवाद विरोधी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्षमता निर्माण के माध्यम से हमलों को रोकने का प्रयास करना है, इसके अंतर्गत आसूचनाओं का संग्रहण और मिलान, तकनीकी क्षमताओं का विकास, विशेष बलों तथा विशेष कानूनों का निर्माण करना शामिल है।
- आतंकवाद विरोधी प्रयासों को अधिक स्पष्ट, अधिक केन्द्रित, अधिक उदेश्यपूर्ण तथा अधिक पेशेवर होना चाहिए।
- पूर्व में विकसित आतंकवाद विरोधी तंत्रों को और सघन बनाया जाना चाहिए।
- हम एक बहुधर्मी, बहुभाषी, तथा बहुजातीय राष्ट्र हैं। ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा अपने लाभ के लिए तथा आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा सकता है।

आतंकवाद का राजनीतिक प्रबंधन

- राजनीतिक प्रबंधन के अंतर्गत विचारधारा से संबंधित मुद्दे को संबोधित करना और
- उन राष्ट्रों से निपटना शामिल है जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं या समर्थन देते हैं।

साइबरस्पेस- आतंकवाद को सामर्थ्य प्रदान करने का एक साधन

- हाल ही में आतंकवादियों की 'डू इट योरसेल्फ' पीढ़ी से नया खतरा उत्पन्न हो रहा है, ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये बंम बनाने तथा सुसाइड अटैक से संबंधित जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करते हैं।
- साइबरस्पेस में संदिग्ध गैर कानूनी सूचनायें तथा गतिविधियां पूरी दुनिया में आतंकी हमलों को सामर्थ्य प्रदान करने के साधन के रूप में कार्य कर रही हैं।

VISION IAS

आतंकवाद से निपटने में नागरिक संगठनों की भूमिका

- नागरिक संगठन सीमा तथा युद्ध क्षेत्र दोनों ही हैं, जिनको सुरक्षित रखने तथा बचाने की आवश्यकता है।
- नागरिक समाजों के विघटन के फलस्वरूप अतिवाद को बढ़ावा मिलता है जिससे अंततः प्रतिस्पर्धी हिंसा में वृद्धि होती है|
- विचार मंचों तथा नागरिक संगठनों की सामाजिक एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका होती है।
- हर किसी को संवेदनशील होना चाहिए तथा आतंक विरोधी तरीकों के लिये तैयार रहना चाहिए।

आतंकवाद से निपटने के लिए बहुआयामी तथा बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता

- हमें इस अभिशाप को हर स्तर पर चुनौती देनी होगी। उदाहरण के लिए लोक मत का निर्माण, समाज निर्माण तथा अंतराष्ट्रीय सहयोग तथा आसूचनाओं के आदान-प्रदान पर आधारित एकीकृत आतंकवाद विरोधी नीति का विकास।
- जैसाकि देखने में आता है कि आतंकवाद से पीड़ित लोग अंतराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए व्यापक अंतराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाये।

6.5. हिंसक चरमपंथ को रोकने के लिए कार्य योजना (ACTION PLAN FOR PREVENTING VIOLENT EXTREMISM)

सुर्खियों में क्यों?

अपने प्रत्येक सदस्य राज्य को हिंसक चरमपंथ से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने की अनुशंसा के आशय से संयुक्त राष्ट्र ने UNSCR 1267 समिति के तहत एक ड्राफ्ट योजना प्रस्तावित की है।

- ड्राफ्ट के अंतर्गत सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है।

भारतीय दृष्टिकोण:

- भारत ने हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावित योजना को अपर्याप्त बताते हुए उसकी आलोचना की है।
- मुख्य मतभेद "विदेशी कब्जे" और "आत्मनिर्णय के अधिकार" जैसे मुद्दों पर है|
- "आतंकवाद" और "हिंसक चरमपंथ" की परिभाषा पर स्पष्टता का अभाव।
- कार्य योजना सदस्य राज्यों के लिए "नुस्खे से भरा" है लेकिन सदस्य देशों की सहायता के संदर्भ संयुक्त राष्ट्र क्या करेगा इसका उल्लेख कम है।
- जो सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र से मदद की मांग करेंगे उनकी सहायता के लिए "एकल संपर्क बिंदु की कमी" है।
- भारत ने इस बढ़ते "वैश्विक खतरे" से निपटने के लिए अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया|
- भारत ने कहा कि हिंसक चरमपंथियों को कानून की पूरी ताकत के अधीन लाया जाये
- भारत का मानना है कि आतंकवाद का प्रसार वैश्विक स्तर पर हो रहा है, लेकिन सरकारें एक राष्ट्रीय स्तर पर, और यहां तक कि विभागीय स्तर पर विचार कर रही हैं।

UNSCR 1267 समिति

- यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य पैनल है जो आतंकवादियों के 'सूचीकरण' पर निर्णय करता है,
- सूचीबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और अन्य प्रतिबंधों से संबंधित निर्णय लेता है।

VISION IAS

7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण

7.1. जैव संवर्द्धित (जेनेटकली मॉडिफाइड) सरसों

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee-GEAC)) ने DMH-11 नामक जैव संवर्द्धित सरसों की व्यावसायिक कृषि को अनुमति देने संबंधी फैसले को स्थगित कर दिया है।

जैव संवर्द्धित सरसों क्या है?

- सरसों DMH -11 (धारा सरसों हाइब्रिड 11), एक आनुवंशिक रूप से संशोधित ट्रांसजेनिक फसल है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ़ क्रॉप प्लांट्स' (CGMCP) द्वारा विकसित किया गया है। इसका वित्त पोषण आंशिक रूप से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया है।
- यह दावा किया जा रहा है कि जी.एम. सरसों वर्तमान समय में देश में उगाये जाने वाली सर्वोत्तम किस्म की सरसों (जैसे- 'वरुण') के मुकाबले 25 से 30 प्रतिशत अधिक उपज प्रदान करती है।

जैव संवर्द्धित सरसों के पीछे की तकनीक

- इसे जैव संवर्द्धित प्रौद्योगिकी (डीएनए का बदलाव कर) का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमे एक मृदा जीवाणु Bacillus Amyloliqufaciens से प्रथक किए गए Barnase नामक वंशाणु (gene) का उपयोग किया गया है
- यह एक ऐसे प्रोटीन को संकेत प्रदान करता है जो कि नए पौधे का बंध्याकरण (Sterile) कर पराग उत्पादन को बाधित करता है, इस यह प्रकार पौधों में बंध्याकरण प्रवृति को जन्म देने में सहायक है।
- इस नर जनन-असक्षम (Sterile) पौधे का जनन-सक्षम पौधे के साथ संकरण करवाया जाता है, जिसमें बारस्टार (Bar Star) नामक जीन होता, यह जीन भी Bacillus Amyloliqufaciens से प्राप्त किया जाता है जोकि Barnase नामक जीन की क्रियाओ को रोकने में सहायक होता है।
- इसके परिणामस्वरूप सरसों की संकर प्रजाति उत्पन्न होगी, जिसमें दोनों बाहरी प्रजाति की गुण शामिल होंगे। यह न केवल उच्च उपज प्रदान करेगी बल्कि नए बीजों को उत्पनन करने में भी सक्षम होगी।

जैव संवर्द्धित सरसों के पक्ष में तर्क:

- जलवायु परिवर्तन, मांग में वृद्धि, नई किस्म के कीटों के हमले तथा दीर्घ कालिक खाद्य सुरक्षा के लिए इस प्रकार के अनुसंधान आवश्यक हैं।
- 2014-15 में भारत ने 10.5 अरब डॉलर का लगभग 14.5 लाख टन खाद्य तेल आयात किया था। इसलिए, घरेलू फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए और आयात पर निर्भरता में कटौती करने के लिए इसकी जरूरत है।
- 2002 से अब तक बीटी संकर (Bt hybrids) लगाए जाने के बाद, देश में कपास के उत्पादन में ढ़ाई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। पुनः मानव पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव दर्ज नहीं किया गया है।
- हम जैव संवर्द्धितफसल का उपयोग करने वाले देशों से ही खाद्य तेल का आयात करते हैं।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के CGMCP केंद्र ने जैव संवर्द्धित सरसों को मुफ्त वितरित करने का वादा किया है।

जैव संवर्द्धित सरसों के विपक्ष में तर्क:

- यथोचित अनुसंधान के बिना दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभावों का पता नहीं चल सकता।
- आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के कामकाज में पारदर्शिता नहीं होने के कारण पूरी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित दिखाई देती है, जिसमें सरकार विभिन्न जीएम कंपनी से संबंधित दबाव समूहों से अधीन कार्य करती हुई प्रतीत हो रही है।
- बीटी कपास के मामले में, किसानों ने 'बीज एकाधिकार', स्थापित करने वाली कंपनी का विरोध किया है जो कि कीमतों में असंगति पैदा कर रही हैं तथा मूल्य नियंत्रण पर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती। इन कंपनियों को पिंक बुल्वार्म जैसे कीटों के हमले की वजह से हुए नुकसान के लिए अभी तक उत्तरदायी नहीं ठहराया गया हैं।
- बढती मांग को पूरा करने के लिए जैविक`कृषि अधिक स्थायी विकल्प हो सकती है।
- नई जैव संवर्द्धित किस्में पानी, उर्वरक आदि का अत्यधिक इस्तेमाल करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट की राय:

- हाईब्रिड सरसों, कपास और मक्का के बीजारोपण पर अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बवजूद भी केंद्र सरकार द्वारा इनका बीजारोपण शुरू करने के अपने प्रस्तावित कदम पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है।
- उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2007, अप्रैल 2008 और अगस्त 2008 में पारित अपने आदेशों की एक श्रृंखला में छोटे व बड़े पैमाने पर इस तरह के किसी भी प्रकार के खाद्य फसलों के फील्ड ट्रायल एवं देश में उसकी व्यसायिक कृषि को नियंत्रित करने की बात कही है।

VISION IAS

आगे की राह

- आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में आंकड़ों तथा कार्यकलापों के संदर्भ में पारदर्शिता आवश्यक है।
- इसे एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक, जो कि किसी भी दबाव से मुक्त हो, के रूप में कार्य करना होगा (जैसा कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण विधेयक में कल्पना की गई है)।
- बीज एकाधिकार जैसे मुद्दों पर जवाबदही तय करने के लिए एक कानून भी वांछित है।

प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न:

पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त, वे कौन सी संभावनाएँ हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है?

1. सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना
2. उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना
3. अन्तरिक्ष वनों और अन्तरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश-संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना
4. उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1,2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न:

मानव जनसंख्या का 2050 तक 9 अरब तक बढ़ जाना अनुमानित है।इस संदर्भ में, अनेक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि भूख को दूर रखने और पर्यावरण का संरक्षण करने में पादप जीनोम-विज्ञान एक क्रांतिक भूमिका निभाएगा। स्पष्ट कीजिए।

7.2. भारत में वेटलैंड (आर्द्र व अनूप भूमि) प्रबंधन

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने देश भर में वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) पर मौजूदा विनियामक ढांचे पर दुबारा विचार करने का निर्णय लिया है, ताकि उनके प्रबंधन में राज्य सरकारों की भूमिका एवं स्वामित्व की भावना को बढ़ाया जा सके।

प्रबंधन की रूपरेखा के बारे में:

- झीलों और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय वर्तमान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो भिन्न-भिन्न योजनाओं- राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) - का क्रियान्वयन कर रहा है। इन दोनों का विलय एक नवीन योजना 'राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक-तंत्र संरक्षण योजना' (एनपीसीए) में कर दिया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत, झीलों के संरक्षण के लिए एक केंद्रीय नीति निर्धारित करने के साथ-साथ, विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) की एक सूची भी तैयार की जा रही है।
- इस नीति के अंतर्गत झीलों का संरक्षण और प्रबंधन राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी होगी जबकि उनसे संबन्धित योजनाएँ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएँगी।

मौजूदा ढांचे की रूपरेखा से संबंधित मुद्दे:

- वर्तमान में, केवल अधिसूचित आर्द्रभूमियों को ही संरक्षण प्राप्त है। इस प्रक्रिया में सीमांत तथा छोटी आर्द्रभूमियों की अनदेखी की गयी है ।
- इस तरह की एक बार अधिसूचना की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जाती है, अतः स्थानीय लोगों या निकायों, जो कि प्रमुख हितधारक होते हैं, के लिए कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं रहता है।
- रामसर समझौते के तहत आने वाली आर्द्रभूमियों को छोड़कर अन्यों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस तरह के आंकड़ों के अभाव में आर्द्रभूमियों की सीमाओं को निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उनका अतिक्रमण आसान हो जाता है।
- नगर निकाय जो वर्तमान में आर्द्रभूमियों से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, सामान्यतः आर्द्रभूमि की पहचान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं रखते।

आगे की राह

- आर्द्रभूमि की पहचान करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए कृषि तथा ग्रामीण समुदाय जिनका ना केवल इनके प्रबंधन में लंबा अनुभव है बल्कि इनके हित भी इनसे जुड़े होते हैं, की सहायता लेना भी अति आवश्यक है।
- नगर निगमों को प्रौद्योगिकी के साथ लैस करना।

वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) वह क्षेत्र हैं जहां जल प्राथमिक कारक है जो पर्यावरण और उससे जुड़ी विभिन्न प्रजातियों को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में "स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहां जलस्तर आमतौर पर सतह पर या सतह के पास होता है और भूमि उथले जल से आवृत रहती है"।

7.3. नासा का कोरल अभियान

सर्वेक्षण की आवश्यकता:

- अक्सर 'समुद्र के वर्षावन' कहलाए जाने वाली प्रवाल-भित्तियाँ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तथा विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक हैं।
- ये बहुत नाज़ुक तंत्र होते हैं, जिन्हें जलवायु परिवर्तन, समुद्र अम्लीकरण, अनुचित मछली पकड़ने वाली प्रथाओं , कृषि

VISION IAS

अपवाह, तथा तेल रिसाव आदि के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए ये तीव्र दर से निम्नीकृत हो रहे हैं।

- दुनिया के बहुत कम प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है।
- सामान्यत: इनका मूल्याकन बहुत महंगा व श्रम प्रधान अभियानों वाला होता है, जिसके कारण कुछ भित्तियों का ही वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण हो पाया है।
- इनके पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए इनको हो रहे नुकसान का अनुमान लगाना बहुत जरूरी है ताकि इस समस्या की गंभीरता को समझा जा सके तथा इनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा सके।

कोरल परियोजना:

- नासा ने कोरल रीफ एयरबोर्न लेबोरेटरी (CORAL) नामक एक एयर-बोर्न तीन वर्षीय क्षेत्र अनुसंधान प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य रिमोट सेंसिंग के द्वारा दुनिया की प्रमुख भित्तियों का सर्वेक्षण करना है।
- यह हवाई, पलाऊ , मारियाना द्वीप और ऑस्ट्रेलिया में पूरे रीफ सिस्टम की हालत का सर्वेक्षण करेंगे।
- इसमें प्रिज्म (पोर्टेबल रिमोट इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर) नामक एक स्पेक्ट्रोमीटर की हवाई तैनाती शामिल होगी।
- विश्लेषण के लिए यह ऑप्टिकल डेटा, जल के भीतर खींची गई फोटो और चट्टानों की प्राथमिक उत्पादकता के डेटा का उपयोग करेगा।

प्रवाल भित्तियों का महत्व:

- तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर के तटरेखा को संरक्षित करना। कई द्वीप अपने अस्तित्व के लिए उन पर निर्भर हैं ।
- समुद्री जल में कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए
- समुद्री पारिस्थितिकी के लिए महत्व
- मछलियों के लिए प्रजनन भूमि
- पारिस्थितिकी पर्यटन

संघ लोक सेवा आयोग: प्रारंभिक परीक्षा 2012

महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है। यह घटना चिंता का विषय क्यों है?

1. कैल्सियमी पादपप्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।
2. प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।
3. कुछ प्राणी,जिनके डिम्भक पादप प्लवकीय होते है, की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।
4. मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा ।

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

7.4. जल मंथन - 2

जल मंथन क्या है?

- यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना और तदनुसार नीतियों को परिष्कृत करना है।
- इस में संघ और राज्य के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रख्यात जल विशेषज्ञों के आलावा विभिन्न हितधारकों की भी भागीदारी होगी।
- पहला जल मंथन नवंबर 2014 में आरंभ हुआ था। इसका दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था।

जल मंथन -2 की मुख्य विशेषताएं:

- इस आयोजन का मुख्य थीम है- 'स्थायी जल प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण' (Integrated Approach for sustainable Water Management)।
- मिशन काकतीय: इसके तहत विभिन्न तालों एवं जल निकायों को पुनःस्थापित करने से तेलंगाना में जलस्तर को ऊपर उठाने में मदद मिली है।
- भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड के बढ़ते स्तर के मुद्दे का समाधान करने के लिए अधिक रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों की स्थापना करना।
- जल पर एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता-
  (a) 'जल' राज्य सूची का विषय है। जल पर राज्यों ने 300 से अधिक कानूनों का निर्माण किया हैं परंतु वे एक समग्र रूपरेखा को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं।
  (b) राष्ट्रीय विकास में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए जल को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ, कुछ सामान्य मौलिक सिद्धांतों की स्वीकृति के आधार पर, प्रबंधित किए जाने की जरूरत है।
  (c) इस कदम को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज और 2014-15 में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का भी समर्थन प्राप्त है।
  (d) बहरहाल, राज्यों द्वारा इसका विरोध किया गया है। इसके अलावा केंद्र - राज्य संबंधों पर गठित कोई भी आयोग, जैसे- सरकारिया आयोग और पूंछी आयोग, इसका समर्थन नहीं करता।
- एक नदी बेसिन प्रबंधन कानून तैयार करने पर भी विचार किया गया है।

अन्य प्रमुख मुद्दे जिन पर चर्चा हुई -

- सतत विकास के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण,
- भू-जल प्रबंधन,
- जल सुरक्षा,

VISION IAS

- जल आवंटन के सिद्धांत,
- जल प्रशासन में नवाचार,
- केंद्रों एवं राज्यों में समन्वय,
- जल संरक्षण।

7.5. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में मुंबई के देवनार कचरा भराव क्षेत्रों में (लैंडफिल), कई दिनों तक जारी रहने वाली आग से स्थानीय लोगों को गंभीर समस्यों का सामना करना पड़ा। यह लैंडफिल लगभग 90 वर्षों से संचालित किए जा रहा है तथा अपनी समय सीमा को पार कर चुका है।

भारत में प्रबंधन प्रणाली:

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित किया गया है।
- वायु तथा जल की गुणवत्ता आदि के संबंध में मानकों के अनुपालन की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है।
- कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगमों पर है -
    - **नगरीय** अपशिष्ट में निर्माण सामग्री, घरेलू अपशिष्ट अदि शामिल हैं।
    - कुछ शहरों में नगर निगम सभी गतिविधियों का कार्यान्वयन करते हैं, जबकि दूसरों में जैसे कि चेन्नई और बेंगलुरू में संग्रह और पृथक्करण का कार्य निजी ठेकेदारों को दिया जाता है।

मुद्दे:

- विभिन्न अपशिष्ट का पृथक्करण उद्भव स्रोत पर नहीं किया जाता है।
- असंगठित पृथक्करण: सामान्य रूप से, 50% से अधिक कचरे का अलगाव और उसे खाद में बदलने का काम शुरुआती चरण में ही किया जा सकता है। पुन: चक्रण (Recycling) के बाद, केवल 10-15% अपशिष्ट डंपिंग ग्राउंड के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि, भारतीय शहरों में ऐसा नहीं किया जाता है।
- लैंडफिल प्रबंधन से जुड़े मुद्दे:
    - लैंडफिल की उपयुक्त अवस्थिति के संदर्भ में आवश्यक नियमों के उलंघन के साथ-साथ अनिवार्य सुरक्षा ढाँचा, जैसे- परिसर की दीवारें, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपकरण, पानी के टैंक और कूड़ा बीनने वालों से सम्बंधित नियमों का उल्लंघन।
    - आकस्मिक आग जो वायु की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है जैसे- मीथेन उत्सर्जन।
    - कई लैंडफिल निर्धारित समय सीमा को पार कर चुके हैं, परंतु अभी भी उन पर कचरा डालने का काम जारी है।
    - शहरों के विस्तार के साथ, कचरा भरने की पुरानी जगहों का पुन: प्रयोग करने के साथ-साथ नए स्थलों की पहचान करने की जरूरत है।
    - वैकल्पिक स्थानों के लिए मांग नगर निगम और राज्य सरकारों के बीच के संघर्ष में उलझ जाती है क्योंकि यह राज्य सरकारों से जुड़ा मसला होता है।

प्रसंस्करण सुविधा:

- कम्पोस्टिंग तथा अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
- कचरा प्रसंस्करण सुविधा के लिए कई नई परियोजनाए अवरुद्ध हैं।
- वित्तीय समस्याएं।
- नम कचरे से कम्पोस्ट बनाने की सुविधाएं हर जगह मौजूद नहीं है।

सुझाव:

- एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है।
- घरों से ही कचरे के पृथक्करण की आवश्यकता है।
- अनुपचारित अपशिष्ट निपटान और लैंडफिल के कुप्रबंधन के लिए नगर निगम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
- दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लैंडफिल प्रबंधन के लिए मानक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।
- कचरा प्रबंधन में प्रशिक्षित, विनियमित व सुरक्षा उपकरणों आदि से लैस श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए।
- अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और वैकल्पिक लैंडफिल स्थलों के समाशोधन से सम्बंधित परियोजनाओं में नगर निगमों और राज्य सरकार के बीच अधिक सहयोग की जरूरत है।
- पृथक्करण का कार्य निजी ठेकेदारों को दिया जा सकता है। परंतु पर्याप्त निजी ठेकेदारों को अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करने के लिये प्रेरित करना एक चुनौती है।

हाल ही में उठाए गए कदम:

- सभी बिजली वितरण कंपनियों के लिये ठोस अपशिष्ट से उत्पादित ऊर्जा खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।
- सभी निजी उर्वरक कंपनियों को ठोस अपशिष्ट से बने कम्पोस्ट को खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।
- अगर कंपनियों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसमें सजा का भी प्रावधान है।

इन कदमों का महत्व:

- वैकल्पिक ऊर्जा: यह अगले पांच वर्षों में ठोस अपशिष्ट संयंत्रों से 700 मेगावाट बिजली पैदा करने के केंद्र के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ठोस कचरे का प्रभावी निपटान - हर दिन देश भर में करीब 1.68 लाख टन ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जाता है।
- कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों तथा कम्पोस्ट का उत्पादन करने वाले संयंत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
- यह यूरिया उत्पादक कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ने में भी सहायक होगा।

VISION IAS

- इस प्रकार, यह कचरे को राष्ट्रीय संपत्ति में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक कदम है।

विश्व बैंक के अनुसार, शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी शहरी जनसंख्या समूहों द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे का संग्रह और उसका निपटान पर्यावरण और सामाजिक रूप से संतोषजनक ढंग से और सबसे किफायती तौर पर उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए किया जाता है।

7.6. भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण

सुर्खियों में क्यों?

- ग्रीनपीस के एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण के स्तर में भारत चीन से आगे निकल गया है और भारतीयों को चीनीयों की तुलना में अधिक कणकीय प्रदूषण (Particulate Matter) का सामना करना पड़ रहा है।
- यह पश्चिम बंगाल से पंजाब तक के गलियारे में आने वाले राज्यों को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है।
- 2005 में, भारत में प्रदूषण की दर गंभीर थी परंतु फिर भी यह पूर्वी चीन के मुकाबले काफी कम थी।

मजबूत उपायों की जरूरत:

- वायु गुणवत्ता सूचकांक के कामकाज में सुधार के द्वारा नीति निर्माताओं और प्रदूषकों पर दबाव डालने की आवश्यकता है। वर्तमान में 23 शहरों के अतिरिक्त उन सभी क्षेत्रों में इसके विस्तार की आवश्यकता है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करती है तथा आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं।
- विभिन्न एंजिसियो को एक निश्चित समय सीमा के भीतर, सम्पूर्ण और नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
- आंकड़ों को खुले प्रारूप में रखा जाना चाहिए ताकि इसका कई नवीन तरीकों जैसे कि मोबाइल एप्प द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा सके।
- वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए चीन की तरह एक कार्य योजना अपनाई जा सकती है। चीन में जब भी वायु की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है तो कठोर उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे- स्कूलों को बंद करना, कारखानों के उत्पादन को सीमित करना आदि।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ उपाय:

- दिल्ली में प्रयोग की जा रही सम-विषम नीति।
- बजट 2016-17 द्वारा प्रस्तावित डीजल वाहनों की लागत में वृद्धि।
- राष्ट्रीय हरित न्यायलय द्वारा 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश।
- भारी डीजल निजी वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।
- सरकार द्वारा घोषित किए गए बीएस-VI का कार्यान्वयन।
- संकुलन शुल्क, लाइसेंस कोटा प्रणाली, पंजीकरण कैपिंग, पार्किंग शुल्क, काम के घंटों का अलग समय रखना आदि जैसे नए उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और शहरी नियोजन
- निर्माण कार्यों से व्युत्पन्न धूल और तोड़-फोड़ संबंधी गतिविधि पर नियंत्रण-
  1. निर्माण के क्षेत्र के आसपास तिरपाल बिछाना
  2. गतिमान एवं संग्रहित निर्माण सामग्री को ढकना
  3. श्रमिकों को मास्क प्रदान करना और कार्य स्थलों पर छिड़काव यंत्र की व्यवस्था करना

7.7. प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2015 [COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (CAF) BILL 2015]

सुर्खियों में क्यों:

- हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसद की विभागीय स्थायी समिति ने एनजीओ, विशेषज्ञों और केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ गोवा में प्रतिपूरक वनीकरण कोष पर व्यापक चर्चा की।

प्रतिपूरक वनीकरण के बारे में:

- प्रतिपूरक वनीकरण गैर वन प्रयोग के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतू वृक्षारोपण की एक प्रक्रिया है।
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष में उन कंपनियों और लोगों से धन एकत्र किया जाता है जिनको वन भूमि आवंटित की जाती है।
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2015 इसके लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करेगा।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक से संबंधित मुद्दे:

- ऐसे व्यक्ति जिन्हें पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र से अन्यत्र जगह विस्थापित किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) निधि को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि जंगलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हो सके। साथ ही, देशज पौधों की प्रजातियों को चुना जाना चाहिए ताकि क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाया रखा जा सके।
- विभिन्न चरणों में लोगों की भागीदारी की जरूरत है।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2015 से जुड़े अन्य मुद्दे:

- कैग के 2013 के एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के वन विभागों में योजना और कार्यान्वयन क्षमता की कमी है।
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि खरीदना मुश्किल है क्योंकि भूमि एक सीमित संसाधन है और यह कृषि, उद्योग, आदि के रूप में कई प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। साथ ही, भूमि स्वामित्व अस्पष्ट होना, तथा भूमि के उपयोग के लिए प्रक्रियाओं

का अनुपालन करने में कठिनाइयों के कारण भूमि खरीदना और भी मुश्किल हो जाता है।
- प्रतिपूरक वनों की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। साथ ही प्राकृतिक जंगलों की जैव विविधता की समृद्धि में भी कमी आती है।

7.8. जल क्रांति अभियान:

- जल क्रांति अभियान जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है।
- 'जल क्रांति अभियान' के तहत खासकर अत्यधिक जल की किल्लत का सामना करने वाले दो गांवों का चयन 'जल ग्राम' के रूप में किया जा रहा है।
- जल का अधिकतम एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तरीय समिति द्वारा इन गांवों के लिए एक एकीकृत जल सुरक्षा योजना, जल संरक्षण, जल प्रबंधन एवं संबंधित गतिविधियों पर विचार किया जा रहा है।
- हर जल ग्राम से पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि और जल उपयोगकर्ता संघ के एक प्रतिनिधि की पहचान जल मित्र/नीर नारी के रूप में की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि जल से जुड़े मुद्दों के बारे में आम जागरूकता पैदा की जा सके तथा इसके साथ ही जल आपूर्ति से जुड़े दैनिक मुद्दों से निपटने के लिए उनका आवश्यक मार्गदर्शन भी किया जा सके।
- 'सुजलाम कार्ड' (जिसका लोगो है-"Water Saved, Water Produced) नामक एक कार्ड प्रत्येक जल ग्राम के लिए तैयार किया जा रहा है, जो सभी स्रोतों से गांव के लिए जल की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी/वार्षिक स्थिति प्रदान करेगा।
- क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) प्रमुख एजेंसियां होंगी।

यह 5 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- जल सुरक्षा और विकास स्कीमों (उदाहरण के लिए सहभागिता सिंचाई प्रबंधन) में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों सहित सभी पदधारियों की जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ बनाना।
- जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन में परंपरागत जानकारी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना;
- सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, नागिरकों आदि की विशेषज्ञता का उपयोग करना; और
- ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा का संवर्धन करना।

7.9. कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान

सुर्खियों में क्यों?

- आज से कुछ वर्ष पूर्व कुद्रेमुख की जैव विविधता कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (KIOCL) के खनन संबंधी गतिविधियों के कारण खतरे में पड़ गयी थी।
- उच्चतम न्यायालय ने 2005 के अन्त में इन खनन क्षेत्रों को बंद करने का तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय पुन: स्थापन का आदेश दिया था।
- परंतु हाल की रिपोर्टों में यह पाया गया है कि KIOCL द्वारा अभी भी इस क्षेत्र में अतिक्रमण जारी है तथा यह इस उद्यान के केंन्द्र में इको टूरिजम स्थलों का संचालन कर रहा है। यह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लघंन है।

संरक्षित क्षेत्रो में रिसॉर्ट्स से जुड़ी समस्याएं:

- इसके कारण सड़क, विद्युत् प्रेक्षण, जल एवं सीवेज प्रणाली, इमारतें, स्विमिंग पुल जैसे अवसंरचनात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलता है।
- पर्यटन के कारण संसाधनों का उपभोग, कचरे का उत्सर्जन, यातायात गतिविधि, प्रदूषण तथा विभिन्न प्रकार की अशांति को बढ़ावा मिलता है। जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के पारिस्थितिकी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।
- इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय दृढ़ता से कहा था कि अगले पांच सालों में ऐसे राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य जो कि बाघ संरक्षण को समर्पित है उनसे पर्यटक अवसंरचना को बाहर निकाल दिया जाए। बहुत सारे क्षेत्रों में इन अवसंरचनाओं को अब बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है।

कुद्रेमुख के बारे में

- कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में अवस्थित है तथा विश्व के 38 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है।
- इसका नामकरण कर्नाटक में स्थित कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है।
- कुद्रेमुख कर्नाटक की मुल्लयनगिरि तथा बाबा बुदन पहाड़ियों के बाद तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। इस उद्यान में विभिन्न संकटापन्न तथा संवेदनशील प्रजातियां पाई जाती है जैसे- शेर-पूँछ वाला बन्दर, बाघ, मालाबार साईवेट तथा हार्नबिल।
- दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे तुंगा, भद्रा और नेत्रवती का उद्गम स्थल इस उद्यान में ही है।

यूपीएसी प्रारम्भिक परीक्षा 2013

निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

राष्ट्रीय उद्यान	**उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी**
1. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान	गंगा
2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	मानस
3. साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान	कावेरी

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

VISION IAS

8. संस्कृति

8.1. नाडा कुश्ती

- नाडा कुश्ती को 'बियॉन्ड दि बॉडी' ('**Beyond the Body**') शीर्षक से एक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के कवर पेज पर प्रसिद्ध पोलिश फोटोग्राफर Tomasz Gudzowaty द्वारा लिए गए 183 श्वेत-श्याम चित्रों के साथ स्थान दिया गया है। ये चित्र उन पारंपरिक खेलों का उल्लेख करते है जो कि गुमनामी में लुप्त हो रहे हैं।
- यह मैसूर के लोगों में गहरी पैठ रखने वाला कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है।
- इस खेल को 17 वीं सदी के प्रारंभ से ही शाही संरक्षण प्राप्त हो चुका था। नाडा कुश्ती निम्न मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है।
- भारतीय कुश्ती के रूप का विकास मैसूर में हुआ जिसने और चन्ना बोरन्ना और कोप्पल वसावईया के रूप में क्लासिक पहलवानों को जन्म दिया, जिन्होने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनायी।
- आज यह खेल सिर्फ एक ग्रामीण मनोरंजन के रूप में ही बचा है और काफी हद तक दशहरा उत्सव तक ही सीमित है।

8.2. गंगा संस्कृति यात्रा

- यह एक उत्सव है जिसका आयोजन फरवरी-मार्च में गंगासागर से गंगोत्री तक किया जाएगा।
- गंगा संस्कृति यात्रा का उद्देश्य गंगा नदी की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को प्रदर्शित करने के साथ-साथ गंगा नदी को सुरक्षित रखने और पुनर्जीवित करने के प्रति आम लोगों में जागरूकता का संदेश फैलाना है।
- गंगा संस्कृति यात्रा में सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके मद्देनजर यात्रा को विभिन्न भागों में बांटा गया है और इसका केंद्र बिंदु वाराणसी होगा।
- यात्रा के दौरान कलात्मक क्रियाकलापों और गंगा की सांस्कृतिक विरासत पर सर्वेक्षण और दस्तावेजों का श्रृंखला के प्रारंभ होने पर विमोचन किया जाएगा।
- समारोह का मुख्य आकर्षण गंगा से जुड़ी विभिन्न कलात्मक क्रियाकलापों का प्रदर्शन होगा। इसके अंतर्गत पारंपरिक गीत, पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक रंगमंच, वृत्तचित्र और फिल्मों का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, कवि सम्मेलन, फोटो प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी और पोस्टर अभियानों का आयोजन किया जाएगा।

8.3. रुक्मणी देवी अरूंडेल

सुर्खियों में क्यों?

- सर्च इंजन कंपनी गूगल ने डूडल के माध्यम से रुक्मिणी देवी अरुंडेल की 112 वीं जयंती मनाई।
- इसमें उनका पारंपरिक नृत्य पोशाक में, बालों में फूल के साथ एक विशिष्ट मुद्रा में चित्रण किया गया था।

रुक्मणी देवी अरूंडेल कौन थी?

- वह एक ब्रह्मविद्यावादी (Theosophist), भरतनाट्यम नृत्यांगना एवं नृत्य-निर्देशक और पशु अधिकारों के लिये एक सक्रिय कार्यकर्ता थीं।
- वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के पुनरुत्थानवादियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन्होनें भरतनाट्यम को उसकी मूल 'सधीर" शैली जो कि देवदासियों (मंदिर नर्तकियों) के बीच प्रचलित थी, से पुनर्जीवित किया। उन्होनें पारंपरिक भारतीय कला और शिल्प की पुन: स्थापना के लिए भी काम किया।
- उन्हें 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप से सम्मानित किया गया था।
- उन्होंने कुछ संस्थानों की स्थापना भी की। **कलाक्षेत्र** नामक एक सार्वजनिक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र की स्थापना इसका एक प्रमुख उदहारण है।

8.4. मुजीरिस विरासत परियोजना

- राष्ट्रपति द्वारा मुजीरिस विरासत परियोजना का उद्घाटन किया गया जो कि केरल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के समर्थन से कार्यान्वित किया जा रहा है,
- मुजीरिस विरासत परियोजना जो कि छह साल पहले शुरू की गई थी, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें चेन्नामंगलम महलों, चेरामन परंबु, उत्तर परावूर के यहूदी उपासनागृह और बंदरगाह/ तटीय नगर भाग, गोथुरुथु स्थित प्रदर्शन केंद्र, पल्लीपुरम के एक संग्रहालय, आदि के विकास के कार्यों को शामिल किया गया है।
- इस परियोजना में ऐसे पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण की परिकल्पना भी की गई है जो कि त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों के आस-पास 125 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- मुजीरिस केरल के पश्चिमी समुद्री तट पर प्राचीन काल का बड़ा बंदरगाह था जिससे मसालों से लेकर कीमती पत्थरों तक सभी वस्तुओं का व्यापार किया जाता था।
- मुजीरिस संस्कृतियों, धर्मों और जातियों के लिए भारत में एक द्वार था। सागर व्यापारियों के बड़े जहाज, जिनमें अरब, मिस्र, यूनानी, रोमन और चीनी भी शामिल थे, अक्सर दुनिया भर से यहाँ दौरा किया करते थे।
- यह माना जाता है कि एक विनाशकारी बाढ़ जिसने पेरियार नदी की दिशा बदल दी या 14 वीं सदी में एक भूकंप मुजीरिस के पतन का कारण हो सकते हैं।
- परियोजना का अगला चरण 'मसाला मार्ग पहल' है, जो ऐसे अंतरराष्ट्रीय संबंध और संपर्कों की खोज करेगा जो कि पूर्व में मालाबार तट का दुनिया के अनेक हिस्सों के साथ था।
- इस चरण को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से लागू किया जाएगा।

VISION IAS

9. सुर्खियों में

9.1. नेट न्यूट्रैलिटी के पक्ष में ट्राई का निर्णय

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डेटा सेवाओं के लिए विभेदित दरें आरोपित करने से रोका है।
- इसने इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस समझौते का उल्लेख करते हुए **नेट न्यूट्रैलिटी का समर्थन** किया है जो कहता है कि, "लाइसेंस प्रदाता अथवा कानून के अंतर्गत नामित प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित सामग्री को छोड़कर, इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्रियों तक ग्राहक की असीमित पहुँच होगी।"
- यह **फेसबुक के *फ्री बेसिक्स* और एयरटेल *जीरो प्लेटफार्म*** के वर्तमान स्वरूप **पर** प्रभावी ढंग से **प्रतिबंध लगाता है**।
- मामूली शुल्क पर व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे कुछ विशेष ऐप या सेवा तक असीमित पहुँच प्रदान करने वाले डाटा पैक भी अवैध हो जांएगे। इस प्रकार की वर्तमान योजनाओं के उपभोक्ता इसे अधिकतम छह महीने तक जारी रख सकते हैं।
- ट्राई ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर प्रति दिन 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख रूपए हो सकता है।
- आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए **छूट** प्रदान की गई है। यह आदेश कहता है कि सार्वजनिक आपदा की स्थिति में सेवा प्रदाता आपातकालीन सेवाओं तक पहुँचने या आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षाकृत कम टैरिफ लागू कर सकते हैं।
- ट्राई ने इस **तर्क को ठुकरा दिया कि विभेदित मूल्य निर्धारण से** भारत में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

9.2. विद्युत प्रणोदन प्रणाली (ELECTRIC PROPULSION SYSTEM)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दो वर्षों में स्टेशन को बनाए रखने और कक्षीय कुशलता के लिए उपग्रहों पर विद्युत प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करने की योजना बना रहा है।
- विद्युत **चालित अंतरिक्ष यान** प्रणोदन प्रणाली में अंतरिक्ष यान का वेग परिवर्तित करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
- भले ही विद्युत प्रणोदन रासायनिक प्रणोदक जितना शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन जब अपरिष्कृत थ्रस्ट (प्रारंभिक बल) उत्पन्न करने की बात आती है, तो यह रासायनिक प्रणोदक की तुलना में 1,000 गुना तक अधिक कुशल हो सकता है, यही कारण है कि यह लंबी दूरी या लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयुक्त होता है।
- अपनी उच्च दक्षता के कारण, काफी समय तक, आयनों के निरंतर उत्सर्जन के कारण यह अंतरिक्ष यान के लिए रासायनिक प्रणोदक की तुलना में अधिक गति तक पहुँचने में मदद करता है।

9.3. जेनेटकली मॉडिफाइड (आनुवंशिक रूप से संशोधित) मच्छर

- जीका वायरस का प्रसार रोकने के प्रयास के संदर्भ में, ब्रिटेन स्थित इन्ट्रेक्जॉन कार्पोरेशन नामक कंपनी ने जेनेटकली मॉडिफाइड बाँझ मच्छरों को जंगलों में प्रवेश कराने के लिए ब्राजील के प्राधिकारियों के साथ समझौता किया है, ताकि ऐसे मच्छरों की आबादी कम हो सके तथा मानव में ऐसे वायरस के प्रसार के खतरे को कम किया जा सके।
- मच्छरों की आबादी पर अंकुश लगाने और रोग को फैलने से रोकने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित बाँझ मच्छरों को मच्छरों की अत्यधिक सघनता वाले क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा।
- छोड़े जाने के बाद आनुवंशिक रूप से संशोधित नर मच्छर मादा मच्छरों के साथ संसर्ग करने के लिए उनकी तलाश करेंगे।
- इस प्रकार के संसर्ग के परिणामस्वकरूप कोई संतति नहीं पैदा होगी और इससे अंततः उस क्षेत्र में मच्छरों की समस्त आबादी कम हो जाएगी जिससे मनुष्यों के लिए उनके खतरे मे काफी कमी आ जाएगी।
- मनुष्यों में डेंगू का संक्रमण रोकने के लिए उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई शहर केयर्न्स में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।

चिंताएं:

- आनुवंशिक संशोधन का प्रयोग करके किसी प्रजाति को उन्मूलित करने का पारिस्थितिकीय प्रभाव पड़ेगा।
- कुछ विशेषज्ञों ने प्रश्न उठाया है कि चयनित रूप से प्रजातियों को हटाने के कारण कई बार पारिस्थितिकीय तंत्र विभिन्न आक्रमक तथा बाहरी प्रजातियों के शिकार हो जाते हैं।
- अन्य, तकनीकी विनियामकीय और राजनीतिक चुनौतियां जिन्हें पार करना होगा।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं, जहां संशोधित मच्छरों को छोड़ा जाएगा, उनको भी आश्वस्त करना होगा कि लाभ जोखिमों की अपेक्षा काफी अधिक होंगे।

9.4. वी.पी.एम 1002

- पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड में तपेदिक के विरूद्ध एक शक्तिशाली टीका तैयार किया जा रहा है।
- इस संस्थान ने नवीन, पुनर्संयोजी बी.सी.जी. (बैसिलस काल्मेट ग्वेरीन) टीके का उपयोग करके पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में नवजात शिशुओं में 'चरण 2बी' चिकित्सीय परीक्षण आरंभ किया था। 'चरण 2बी' के समाप्त होने पर 'तीसरे चरण' का परीक्षण (जिसमें नवजात शिशु सम्मिलित होंगे) भारत में आरंभ किया जाएगा।
- टी.बी. का नया टीका **(वी.पी.एम.1002)** अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें एक ऐसा जीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं द्वारा टीके की पहचान करना सरल बनाता है।

VISION IAS

- पुनर्संयोजी बी.सी.जी. टीके का उद्देश्य दवा के प्रति संवेदनशील और दवा प्रतिरोधी टीबी के विरूद्ध बच्चों और संभवतः वयस्कों की रक्षा करना है। इसके विपरीत, परंपरागत बी.सी.जी. टीका केवल बच्चों की रोग के गंभीर रूपों के विरूद्ध रक्षा कर सकता है, लेकिन बच्चों सहित सभी आयु समूहों में फेफड़े की टी.बी. को नहीं रोक सकता है।
- पुनर्संयोजी बी.सी.जी. टीके को सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ पाया गया है।

9.5. आईरिस (EYERISS)

- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.आई.टी) के अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक दल ने एक ऊर्जा अनुकूल चिप का निर्माण किया है।
- यह शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धि (ए.आई.) (Artificial Intelligence) कार्यों को भी संपन्न कर सकता है, जिससे भविष्य के मोबाइल उपकरणों में मानव मस्तिष्क के नमूने पर "तंत्रिकीय नेटवर्क" (Neural Network) कार्यान्वित करना संभव होगा।
- यह मोबाइल जी.पी.यू. (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) की तुलना में 10 गुना अधिक कुशल है, अत: यह प्रसंस्करण के लिए इंटरनेट पर डेटा अपलोड करने की बजाय स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली ए.आई. अल्गोरिदम चलाने में मोबाइल उपकरणों को सक्षम बना सकता है।

9.6. भूकंपीय माइक्रोजोनेशन रिपोर्ट

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने नई दिल्ली में दिल्ली और कोलकाता के लिए भूकंपीय माइक्रोजोनेशन रिपोर्ट जारी की है।
- भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु, माइक्रोजोनेशन एक पैमाना है जिसमें निवास स्थान पर भूकंप के पड़ने वाले प्रभाव पर जोर दिया जाता है।
- इसमें निम्नोक्त द्वारा मानव जीवन की क्षति कम करने हेतु सुरक्षित संरचनाओं की डिजाइन तैयार करने में सहायता मिलेगी -
  - भूकंपीय खतरे का उचित मूल्यांकन।
  - सुरक्षित भवन निर्माण संहिता का कार्यान्वयन।
  - उपयुक्त भू-उपयोग योजना अपनाना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भूकंप जोन IV में अवस्थित है।
- कोलकाता को भूकंप जोन III और IV की सीमा पर रखा गया है, जिसने भूकंप के खतरे, सुभेद्यता और जोखिम का व्यवस्थित मूल्यांकन आवश्यक बना दिया है।

भूकंपीय माइक्रोजोनेशन को, भूविज्ञान, भूकंपविज्ञान, जल विज्ञान और भू-तकनीकी स्थल विशेषताओं के संबंध में संभावित भूकंपीय या भूकंप प्रवण क्षेत्र को जोनों में उप-विभाजित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है।

9.7. राज्यपालों का 47वां सम्मेलन

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के **राज्यपालों और उप-राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन** राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया।

राज्यपालों की भूमिका पर राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट प्रमुख बिंदु:

- **संविधान की संरक्षा, सुरक्षा और रक्षा करने** के लिए राज्यापालों को भारी उत्तरदायित्व का प्रभार दिया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनके सभी कार्य संविधान की रूपरेखा के भीतर हों और इस जीवंत दस्तावेज में निहित उच्चतम आदर्शों के अनुरूप हों।
- उच्च पदधारकों के रूप में **उन्हें न केवल निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए**।
- राष्ट्रपति के अनुसार दृढ़ निगरानी तथा कठोर अनुवर्ती कार्रवाई स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रपति के अनुसार राज्यपाल **केंद्र और राज्यों के बीच सजीव-कड़ी के रूप में कार्य कर सकते है तथा विभिन्न पहलों में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।**
- राज्यपाल **पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में उत्प्रेरक भूमिका** निभा सकते हैं।
- राज्यपाल अपने राजभवनों में **स्मार्ट साल्यूशन प्रणाली को अपनाकर नई** प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के वाहक बन सकते हैं।
- वे स्मार्ट गांवों के विकास के लिए **उन्नत भारत अभियान** का उपयोग करने हेतु विश्वविद्यालयों को आदेश भी दे सकते हैं।
- राज्यपाल ***मेक इन इंडिया* कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुसंरचित रणनीति अपनाने के** संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जागरूक कर सकते हैं।
- पूर्वी राज्यों, विशेषतया उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपालों को सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति का **सक्रिय भागीदार** बनना चाहिए।

9.8. सर्वोच्च न्यायालय: निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) शक्ति का प्रयोग

सुर्खियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने अवर न्यायालय केइस निर्णय के साथ सहमति व्यक्त की कि सार्वजनिक आंदोलन के आक्रामक होने और लोक शान्ति भंग होने की आशंका पर **राज्य** निजी मोबाइल फोन पर **इंटरनेट का उपयोग अवरूद्ध करने के लिए अपनी निषेधाज्ञा शक्तियों का उपयोग कर सकता है**।
- सितंबर 2015 में गुजरात उच्च न्यायालय ने पाटीदार आंदोलन के दौरान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के अंतर्गत मोबाइल इंटरनेट के उपयोग पर लगाये गए न्यूनतम प्रतिबंधो को उचित ठहराया।

- न्यायालय ने यह मत भी व्यक्त किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है।
- 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआर.पी.सी.) की **धारा 144**, किसी भी क्षेत्र में दस से अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायाधीश को समर्थ बनाती है।
- भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा **141-149 के अनुसार**, दंगों में सम्मिलित होने पर अधिकतम दण्ड 3 वर्ष का सश्रम कारावास और/या जुर्माना है।
- अवैध सभा के प्रत्येक सदस्य को समूह द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- अवैध सभा को तितर-बितर करने का प्रयास कर रहे अधिकारी के कार्य में बाधा डालना भी दण्ड का कारण बन सकता है।

9.9. सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ

सुर्खियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक और दीवानी वादों में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए (चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में) **क्षेत्रीय पीठों वाले राष्ट्रीय अपील न्यायालय** की स्थापना करने की याचिका स्वीकार कर ली है।

आवश्यकता

- उच्च न्यायालयों में मुकदमों से होने वाली अपीलों के कारण शीर्ष न्यायालय में लगभग 60,000 पुराने वाद लंबित पड़े हैं।
- लोगों को शारीरिक और वित्तीय कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है क्योंकि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करनी पड़ती है।
- न्यायालय की भौगोलिक निकटता तथा नागरिक की सशक्त वित्तीय स्थिति किसी भी नागरिक की न्यायालय तक पहुँच को सुनिश्चित करती है।

आगे की राह:

- सर्वोच्च न्यायालय का 'संवैधानिक प्रभाग' और 'विधिक प्रभाग' में विभाजन किया जा सकता है।
- प्रधान संविधान पीठ दिल्ली में हो सकती है लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों पर अपील की सुनवाई करने के लिए चार क्षेत्रीय पीठों का सृजन किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय अपील न्यायालय का सृजन जिसकी गैर संवैधानिक मामलों का निपटारा करने के लिए चार 'अपीलीय न्यायपीठ" होंगीं।

पृष्ठभूमि:

इससे पहले, 2014 में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय पीठ वाले राष्ट्रीय अपील न्यायालय के प्रस्ताव को **तीन आधारों** पर ठुकरा दिया था:

(a) संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान सदैव दिल्ली में रहा है,

(b) विगत में भारत के मुख्य न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय अपील न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के विचार का "निरंतर विरोध" किया है और

(c) राष्ट्रीय अपील न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन कर देगा।

बाद में, चेन्नई के अधिवक्ताओं के एक समूह ने सरकार के विरूद्ध याचिका दायर की।

9.10. आईपीसी की धारा 295ए

- हाल ही में, हास्य अभिनेता **किकू शारदा** को धार्मिक गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह की मजाकिया नकल का अभिनय करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
- विगत में भी धारा 295ए का विभिन्न अवसरों पर प्रयोग किया गया है। 'ए.आई.बी रोस्ट विवाद' में करण जौहर, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 295 किसी भी ऐसे कार्य को अभियोजित करती है जो धार्मिक भावनाओं या दूसरों की भावनाओं का घोर अपमान करता है।
- असंतोष का दमन करने के लिए आईपीसी के इस प्रावधान को सत्तारूढ़ सरकार के हाथों औजार के रूप में देखा जाता है।
- इसे दूसरों की कीमत पर समुदाय के एक निश्चित भाग को प्रसन्न करके अपने राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने का औजार भी माना जाता रहा है।

आगे की राह:

- असली मुद्दा स्वयं इस धारा का कोई प्रावधान नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से अपराधी की **'द्वेष' प्रवृति तथा** 'बुरी भावना को उजागर करता है। इस प्रावधान को लागू करने और इसके अनुप्रयोग को युक्तियुक्त बनाने के लिए पुलिस को स्पष्ट दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। प्रावधान के दुरुपयोग से कठोरतापूर्वक निपटा जाना चाहिए।

9.11. संशोधन: परिसीमन अधिनियम एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 में संशोधन** करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।
- इससे भारत और बांग्लादेश के बीच क्रमश: 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्रों और 111 भारतीय परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में **विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का सीमित परिसीमन** करना चुनाव आयोग के लिए संभव होगा।

VISION IAS

- यह संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार है और साथ ही यह चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2016 को संसद में प्रस्तुत करने की भी अनुमति देता है।

9.12. बाल अपराधियों के लिए नियमावली

सुर्खियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विशेष रूप से नवीन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 [New Juvenile Justice (Care and Protection of Act 2015)] के अंतर्गत हिरासत में लिए गए किशोर अपराधियों के लिए नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह नयी नियमावली वयस्क कैदियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही आदर्श जेल नियमावली पर आधारित होनी चाहिए।
- मंत्रालय को उन किशोरों, जो कि प्रेक्षण गृह या विशेष गृहों या सुरक्षा स्थलों पर रह रहे हैं, की जीवन निर्वाह स्थितियों और उनसे संबंधित अन्य मुद्दों को भी ध्यान में रखने का सुझाव दिया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून के साथ विवाद की स्थिति में बच्चों के लिए मजबूत प्रावधानों का उल्लेख करता है।
- यदि 16-18 साल की आयु के बीच वाले व्यक्ति ने कोई बड़ा अपराध (जिसके अंतर्गत 7 वर्ष या उससे अधिक दण्ड का प्रावधान हो) किया है तो उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा।
- मुकदमें का परीक्षण करने के लिए तथा आरोपी पर किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाए या वयस्क के रूप में, यह निर्धारित करने के लिए 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बने जिला किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- किशोर न्याय बोर्ड को प्रारंभिक आकलन करने के बाद ऐसे बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों को बाल न्यायालय (सत्र न्यायालय) को हस्तांतरित करने का विकल्प दिया गया है।

9.13 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने वर्तमान 100 के अतिरिक्त 61 और जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
- अतिरिक्त जिलों का चयन ऐसे 11 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों से किया जाएगा जिनका बाल लिंगानुपात 918 से नीचे है।
- मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर यह बताया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के बाद 100 जिलों में से 50% से अधिक जिलों में सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं।

नोट- इस योजना को जनवरी 2015 ***के समसामयिकी में विस्तार से बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए उक्त का संदर्भ लें।***

9.14 विशेषाधिकार प्रस्ताव

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया।
- नोटिस का तर्क था कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक बहस में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सरकारी हस्तक्षेप के मुद्दे पर सदन और राष्ट्र को भ्रमित किया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव:

- इसे किसी सदस्य द्वारा तब लाया जाता है जब उसे प्रतीत होता है कि कोई मंत्री या किसी सदस्य ने किसी मामले का तथ्य छुपाकर अथवा गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।
- सांसदों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी सांसद द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री या किसी अन्य सदस्य की निंदा करना होता है।
- दोनों सदनों में से प्रत्येक, लोक सभा और राज्य सभा, की उनके अपने सदस्यों से बनी अलग-अलग विशेषाधिकार समितियां हैं।
- दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, क्रमश: लोकसभा अध्यक्ष और सभापति विशेषाधिकार नोटिस को अस्वीकार कर सकते हैं, या उन्हें विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं, या निर्णय लेने से पहले सदन की भावना प्राप्त कर सकते हैं।

9.15. वन रैंक वन पेंशन का कार्यान्वयन

- जहां पिछले बजट में केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा कर दी थी, वहीं इसे अंतिम रूप लेने में काफी समय लग रहा है।
- हाल ही में, सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर विस्तृत निर्देश और तालिकाएं जारी की थीं। हालांकि, अधिसूचना को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
- **वन रैंक वन पेंशन** की परिभाषा, कार्यान्वयन के लिए आयोग की संरचना आदि जैसे कुछ तकनीकी ब्यौरों पर सरकार और भूतपूर्व सैनिकों के बीच असहमति है।

VISION IAS

- 7वें वेतन आयोग के आलोक में सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ बड़ी चुनौती है।
- सरकार ने भूतपूर्व सैनिक वर्ग की उचित मांगों पर आगे बढ़ने के लिए अपेक्षित इच्छाशक्ति दिखाई है। लेकिन, उनके साथ और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है ताकि उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

वन रैंक, वन पेंशन दो सिद्धांतों पर आधारित है

1. एक ही रैंक पर और एक ही सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलनी चाहिए।
2. पेंशन की दर में भविष्य में कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से अतीत के पेंशनरों तक पहुँच जानी चाहिए।

9.16. बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक समान नीति

- सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कदाचार और शोषण के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
- न्यायालय ने कहा है कि अधिकारियों को इस प्रकार के अपराध के परिणामस्वारूप क्षति उठाने वाले पीड़ितों या आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357-ए के अंतर्गत देखना चाहिए।
- न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बलात्कार पीड़ित हेतु क्षतिपूर्ति के लिए गोवा राज्य द्वारा तैयार की गई योजना पर विचार करने का निर्देश दिया है।
- अभी, सभी राज्यों की क्षतिपूर्ति नीतियां अलग-अलग हैं।

9.17. पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला स्मार्ट गांव

- पूर्वोत्तर भारत में भारत-भूटान सीमा से लगभग **11** कि.मी. दूर बक्सा जिले में स्थित **बरसीमलुगुरी** गांव को मॉडल स्मार्ट गांव में परिवर्तित कर दिया गया है।
- यह पहल नंदा तालुकदार फाउंडेशन (एन.टी.एफ) के तत्वावधान में कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई है।
- इस परियोजना का वित्तपोषण **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** द्वारा किया गया है।
- इस गांव में **शत-प्रतिशत शौचालय**, **सौर ऊर्जा और शुद्ध पेयजल** सुविधा है।
- उन्होंने कौशल विकास और महिलाओं की भागीदारी पर भी बल दिया है।
- गांव में यार्न बैंक स्थापित किया गया है जिसका प्रबंध गांव की महिला समिति करती है।
- ग्रामीणों का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, गांव में कई स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।

9.18. ई-पर्यटक वीजा

- ई-पर्यटक वीजा सुविधा अब ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका सहित 37 और देशों के नागरिकों के लिए बढ़ा दी गई है। इस प्रकार, योजना के तहत कुल देशों की संख्या 150 हो गयी है।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल औथोराईजेशन द्वारा तैयार आगमन पर पर्यटक वीजा जिसे लोकप्रिय रूप से ई-पर्यटक वीजा योजना के नाम से जाना जाता है, को 27 नवम्बर, 2014 को लांच किया गया था।

अब तक की प्रगतिः

- ई-पर्यटक वीजा सेवा प्रदान करने के लिए 16 भारतीय विमानपत्तनों को इस संबंध में नामित किया गया है तथा अब तक इस योजना को 113 देशों के लिए बढ़ा दिया गया है।
- योजना के प्रारंभ से अब तक 7.50 लाख से ज्यादा वीजा इस योजना के तहत जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान में औसतन, 3,500 ई-पर्यटक वीजा प्रतिदिन विदेशी नागरिकों को प्रदान किये जा रहे हैं।
- एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार, 2015 के जनवरी-नवम्बर के दौरान, पिछले वर्ष के तदनुरूप अवधि में 24,963 के मुकाबले 3,41,683 पर्यटकों का आगमन ई-पर्यटक वीजा पर हुआ। इसने **1268.8 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की है।
- नवम्बर 2015 में ई-पर्यटक वीजा की सुविधा प्राप्त करने वालों में यू.के. के नागरिकों की हिस्सेदारी 23.93 प्रतिशत रही। उसके बाद यू.एस. (16.33 प्रतिशत), रूस (8.17 प्रतिशत), जर्मनी (5.60 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (4.82 प्रतिशत) रहे।

9.19. नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी)

- 'नीली अर्थव्यवस्था' की संकल्पना को सर्वप्रथम **गुन्टर पाउली** की पुस्तक "दि ब्लू इकोनॉमी: 10 इयर्स- 100 इनोवेशसंस- 100 मिलियन जॉब्स"में सम्मिलित किया गया था।
- यह संकल्पना समाज को अभावग्रस्तता से प्रचुरता की ओर ले जाने हेतु "स्थानीय प्राप्य" संसाधनों के उपयोग पर आधारित है। इस प्रकार, यह सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय संधारणीयता को प्राप्त करता है।
- नीली अर्थव्यवस्था न केवल "हरित अर्थव्यवस्था" पर केन्द्रित है बल्कि इसमें पर्यावरण, तथा "महासागरीय अर्थव्यवस्था" या "तटीय अर्थव्यवस्था" भी समाहित है।

VISION IAS

राष्ट्रीय समुद्रतटीय फाउंडेशन 'नीली अर्थव्यवस्था' को ऐसे - "समुद्र-आधारित आर्थिक विकास के रूप में पारिभाषित करता है जो पर्यावरण जोखिम और पारिस्थितिक अभाव को सार्थक रूप से कम करते हुए मानव कल्याण और सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है।"

नीली अर्थव्यवस्था संधारणीयता को निम्नलिखित उपायों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करती है:

- पारिस्थितिक तंत्र की भांति पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह।
- यह ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर न केवल लागत कम करती है बल्कि अपशिष्ट उत्सर्जन को भी कम करती है।
- उद्यमिता और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।
- प्राकृतिक प्रणाली का अनुकरण, जिसके परिणामस्वरूप मशीनों की जगह मानवों का परिनियोजन होगा।
- इसमें कई विचारों का समावेशन है जैसे- ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल जिसमें ऊर्जा की खपत कम हो, कॉफी दुकान के अपशिष्ट से मशरूम का उत्पादन, टाईटेनियम के स्थान पर रेशम, चहलकदमी से विद्युत उत्पादन आदि।

9.20. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानकों में छूट

- सभी स्टार्टअप्स अब **स्वचालित मार्ग** के तहत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स-एफ.वी.सी.आई.) से धन उगाह सकते हैं। अब तक स्वचालित अनुमोदन सिर्फ नौ क्षेत्रकों में ही उपलब्ध था।
- विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों से अन्य निवासियों या प्रवासियों को **शेयरों के हस्तांतरण** की अनुमति दी गई है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लेनदेन की देर से की गयी रिपोर्टिंग पर निगरानी के लिए एफ.डी.आई. मानक संबंधी नियमों में हीं जुर्माना संबंधी प्रावधान शामिल किये गए हैं।
- स्टार्टअप के प्रवर्तकों (प्रोमोटर) की मदद के लिए, भविष्य में निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली धनराशि को भी गारंटी के रूप में अनुमति दी गई है। यह एक एस्क्रो/क्षतिपूर्ति व्यवस्था को सक्रिय करना प्रस्तावित करता है।
- सीमा-पार के लेन-देन से निपटने हेतु विनियामक परिवर्तन, विशेषतः स्टार्टअप उद्यमों के प्रचालन से संबंधित मामले भी इसके दायरे में लाया जाना हेतु प्रस्तावित है।
- स्टार्टअप्स की सहायता हेतु अन्य प्रस्ताव जो विचाराधीन हैं, वे हैं- बाह्य वाणिज्यिक उधार तक पहुंच के लिए स्टार्टअप को अनुमति देना, नवोन्मेषी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उपकरणों का निर्गमन आदि।
- ये चरण स्टार्टअप्स और विदेशी निवेशकों के बीच सौदे के **त्वरित समापन में सहायता करेंगे** और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करेंगे।

9.21. मेजेनाइन निवेश (MEZZANINE INVESTMENT)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए राज्य-स्वामित्व और निजी संस्थानों द्वारा समर्थित **1.25 बिलियन डॉलर** के एक फण्ड को गठित करने की प्रक्रिया में है। इस फण्ड के द्वारा **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** में ईक्विटी और **मेजेनाइन निवेश** किया जाएगा।

मेजेनाइन पूंजी/निवेश क्या है?

- मेजेनाइन पूंजी, किसी व्यवसाय को बिना किसी गारंटी के ऋण के रूप में पूंजी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- यदि उक्त व्यवसाय अपना ऋण देने से चूक जाता है तो ऋणदाता वारंट या सौदे में निर्मित विकल्पों का प्रयोग करके अपने ऋण को स्वामित्व हिस्सेदारी में परिवर्तित कर सकता है।
- **उदाहरण के लिए-** राम अपनी सोडा कम्पनी का विस्तार करना चाहता है। अपना शेयर विक्रय करने के बजाए राम एक मेजेनाइन निवेशक से धन प्राप्त करता है। यदि राम ऋण वापस चुकाने में असफल हो जाता है तो ऋणदाता को अपने ऋण को उचित स्वामित्व वाली हिस्सेदारी में परिवर्तित करने और ऋण को पुनः प्राप्त करने के लिए इस हिस्सेदारी को अन्य पार्टी को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है।
- मेजेनाइन निवेश का लाभ यह है कि यह अति द्रुत समय में उपलब्ध होता है, लेकिन जैसा कि यह बिना देरी के पूरा होता है, इसलिए उस धन पर ब्याज की दर विशिष्ट रूप से उच्चतर होती है।

9.22. 76 जीवन रक्षक औषधियों पर सीमा शुल्क छूट की समाप्ति

सुर्खियों में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने 76 औषधियों पर से सीमा शूल्क छूट की समाप्ति की घोषणा की है। इस सूची में 10 एच.आई.वी. औषधि तथा कम से कम चार कैन्सर औषधि शामिल हैं, परंतु निर्णय से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हीमोफीलिया के रोगी हैं।

सरकार का रूख:

- यह स्वदेशी औषधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम है। हमारे घरेलू बाजार के लिए भारतीय दवा कम्पनियाँ इन दवाओं के विनिर्माण के लिए पूर्णतया सक्षम हैं।
- यह माना जा रहा है कि शुल्क छूट की समाप्ति से वस्तुतः *मेक इन इंडिया* को बढ़ावा मिलेगा।

निर्णय का प्रभावः

- हालांकि ये ज्यादा खर्चीला साबित हो सकता है तथा उन रोगियों को प्रभावित कर सकता है जो पहले से ही ऐसे चिकित्सीय उपचार हेतु उच्च कीमत का भुगतान कर रहे हैं।
- आयातित सक्रिय दवा सामग्रियां (ए.पी.आई.) भी स्थानीय स्तर पर निर्मित जेनेरिक दवाओं की लागत में वृद्धि करेंगे।
- अधिकांश भारतीयों को **स्वास्थ्य देखभाल पर आने वाली लागत को अपनी क्षमता से बाहर जाकर व्यय** करना पड़ता है और कोई भी वृद्धि उन्हें प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।
- कुछ औषधियां जो हटाई गई हैं, या तो वे भारत में उत्पादित नहीं होती हैं या स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं होती हैं।
- हाल ही में लायी गयी बहुत-सी जीवन-रक्षक औषधियां, जो पेटेन्ट के लिए विचाराधीन है, उन्हें सीमा शुल्क छूट प्रदान नहीं किया गया है।

9.23. निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण एन्युटी मॉडल (BOT ANNUITY) - रेलवे

[एन्युटी मॉडल की पृष्ठभूमि के लिए कृपया हमारे जनवरी 2016 और अप्रैल 2015 के अंक को संदर्भित करें]

रेलवे ने निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण एन्युटी मॉडल के तहत तीन परियोजनाओं को घोषित करने का निर्णय लिया है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत निम्न स्टेशनों के बीच तीसरी लाईन का निर्माण प्रस्तावित है:

- नागपुर और वर्धा (दोनों महाराष्ट्र में),
- काजीपेट (तेलंगाना) और बल्हारशाह (महाराष्ट्र) और
- भद्रक और नेरगुंडी (दोनों उड़ीसा में)।

विद्यमान मॉडल के साथ समस्याएं :

- विद्यमान सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत, जिसे निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण कहा जाता है, निर्माणकर्ता को ज्यादातर जोखिम यथा- वित्तीय, संचालन और अनुरक्षण और राजस्व के जोखिमों को वहन करना पड़ता है।
- अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण वर्तमान परियोजनाओं को उनके ऋण की अदायगी में कठिनाई आ रही है।

रेल परियोजनाओं के लिए निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण एन्युटी मॉडल:

- निजी निर्माणकर्ता बोली लगाने के समय ही प्रस्तावित राजस्व की 80 प्रतिशत राजस्व गारन्टी प्राप्त कर लेंगे।
- निर्माणकर्ता 80 से 120 प्रतिशत के बीच राजस्व का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त करेंगे और भारतीय रेलवे इसमें से कोई हिस्सा नहीं लेगा।
- जब वास्तविक राजस्व 120 प्रतिशत से अधिक होता है, केवल तब अतिरिक्त प्राप्ति को एक चरणबद्ध रूप से भारतीय रेलवे के साथ साझा किया जाता है।

9.24. सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के संदर्भ में सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सम्पूर्ण देश में **लगभग 100 प्रतिशत (99.9 प्रतिशत) राशन कार्डों** का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।
- **42 प्रतिशत से अधिक राशन कार्डों** को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया गया है। लाभार्थियों के आवंटन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए 77,000 राशन दुकानों में बिक्री उपकरण को अधिष्ठापित कर दिया गया है।
- ये उपाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और रिसाव रहित बनाने में सहायता करेंगे।
- यह डिजिटल भारत पहल की ओर एक अग्रवर्ती कदम है।

9.25. कर नीति परिषद और कर नीति अनुसंधान इकाई

कर प्रशासन सुधार आयोग (टी.ए.आर.सी) की पहली रिपोर्ट के बाद सरकार ने **कर नीति परिषद (टैक्स पॉलिसी काउंसिल-टी.पी.सी)** और **कर नीति अनुसंधान इकाई (टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट-टी.पी.आर.यू)** का सृजन करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कर नीति परिषद का सृजन किया गया है:

- कर नीति के मुद्दे पर और अंतःविषयी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता के लिए सतत और सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- यह कर नीति अनुसंधान इकाई से आने वाले सभी अनुसंधान निष्कर्षों पर नज़ररखेगी
- कराधान के लिए व्यापक नीतिगत उपायों का सुझाव देगी और प्रकृति में परामर्शदायी होगी, जो कराधान के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णयों की पहचान करने में सरकार की सहायता करेगी।

कर नीति अनुसंधान इकाई :

- अभी तक, दो बोर्ड अर्थात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कर नीति अनुसंधान इकाई और कर नीति और विधायन शाखा में स्वतंत्र रूप से कर नीति और संबंधित कानूनों पर विचार किया करते थे। दोनों बोर्ड की अनुशंसाओं में सुसंगतता का अभाव होता था और अनुशंसायें अक्सर वित्त मंत्री तक अलग-अलग चैनलों के माध्यम से पहुँचती थीं।
- उपरोक्त समस्या का समाधान करने के लिए, कर प्रशासन सुधार आयोग ने अनुशंसा की कि **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए** साझा कर नीति और विश्लेषण इकाई द्वारा समर्थित कर परिषद की स्थापना की जानी चाहिए।

VISION IAS

- ऊपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार ने **कर नीति अनुसंधान इकाई** का सृजन किया है जिसमें बोर्ड के अधिकारियों के साथ ही सांख्यिकीविद, कर कानून विशेषज्ञ, और प्रचालन अनुसंधान विशेषज्ञ और सामाजिक शोधकर्ताओं जैसे कर प्रशासक, अर्थशास्त्री, और अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित हैं।
- प्रत्येक कर प्रस्ताव के लिए टी.पी.आर.यू विश्लेषण तैयार करेगा जिसमें निम्न तीन बिंदु सम्मिलित होंगे: -
  - प्रस्ताव के पीछे विधायी उद्देश्य, यानी, इस प्रस्ताव को क्यों तैयार किया जा रहा है और नीति उद्देश्य क्या है।
  - प्रस्ताव के माध्यम से कर संग्रह में अनुमानित वृद्धि या कमी; तथा
  - प्रस्ताव के माध्यम से संभावित सकारात्मक या नकारात्मक आर्थिक प्रभाव (कर संग्रह पर प्रभाव के अतिरिक्त)।

9.26. वर्दीधारी सेवाएं: महिलाएं

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि गर्भावस्था के कारण महिलाओं को स्थायी रूप से सेना चिकित्सा कोर में सम्मिलित होने से नहीं रोका जा सकता है।
- न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कहा कि बच्चे को जन्म देने और रोजगार ग्रहण करने के बीच विकल्प चुनने के लिए विवश करना महिला के प्रजननात्मक अधिकारों के साथ ही उसके रोजगार के अधिकार में हस्तक्षेप है और इस प्रकार की कार्रवाई के लिए "आधुनिक भारत में कोई स्थान नहीं है"।
- सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय का तर्क था कि यदि कोई महिला सशस्त्र सेवा में भर्ती होने की तिथि के समय गर्भवती है, तो वे उक्त महिला को सेवा में भर्ती होने की अनुमति नहीं दे सकते और उसे बच्चे को जन्म देने के बाद पुनः प्रारंभ से पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

अन्य बलों में इसी प्रकार की परिपाटियां:

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस जैसे बलों में, वर्दीधारी लड़ाकू महिला चिकित्सकों को बच्चे के जन्म के बाद हीं सेवा में सम्मिलित होने की अनुमति है।
- गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश भी प्रावधान करते हैं कि
  - महिलाओं को उन सभी सेवाओं, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है, के लिए गर्भावस्था के दौरान भी सेवा के लिए रिपोर्ट करने हेतु फिट माना जाना चाहिए।
  - जबकि शारीरिक प्रशिक्षण वाली सेवाओं के मामलों में, रिक्ति वरिष्ठता के संरक्षण के साथ-साथ सुरक्षित रखी जानी चाहिए - और इस प्रकार की महिलाओं को छह सप्ताह के बाद सेवा में सम्मिलित होने के लिए सक्षम होना चाहिए।

9.27. भारत का पहला जेंडर पार्क

यह पार्क लैंगिक मुद्दों से निपटने के लिए साझा मंच के रूप में राज्य सरकार, शिक्षाविदों और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की एक पहल है।

संस्था के उद्देश्य:

- **महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का** सृजन करना तथा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों में उद्यमिता पर बल देना।
- केरल के समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के **इतिहास का अनुसंधान और प्रलेखन** आरंभ करना।
- विभिन्न विभागों / एजेंसियों / नागरिक समाज के आंदोलनों द्वारा आरंभ की गई महिलाओं के विकास की गतिविधियों को मजबूत करना।
- लिंग असमानताओं को कम करने में **वैश्विक ज्ञान और अनुभवों को साझा** करने के लिए वातावरण का सृजन करना।
- इसमें राज्य सरकार की 2015 की लैंगिक और ट्रांसजेंडर नीतियों के अनुसार **सभी तीन लिंगों से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित** किया जाएगा।

9.28. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध

सुर्खियों में क्यों?

- शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से न्यायालय को इस विषय पर सूचित करने के लिए कहा कि वह किस प्रकार इंटरनेट पर **चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की योजना** बना रही है।
- यह प्रश्न देश में पोर्नोग्राफी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।

सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

- केंद्र चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर **अंकुश लगाने के लिए उपाय और साधन सुझाने** के लिए शपथ पत्र दायर करे।
- न्यायालय ने कहा कि **कला और अश्लीलता के बीच स्पष्ट रेखा खींचने की आवश्यकता है** और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- **पोर्नोग्राफी के विषय में मापदंडों का निर्णय किया जाना है।** हालांकि इसे पहले से ही अन्य मामलों में उल्लेखित किया गया है जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में परिकल्पित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता "निरपेक्ष"नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
- न्यायालय ने केंद्र से वयस्क और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने पर **विशेषज्ञों से सलाह और राष्ट्रीय महिला आयोग से सुझाव लेने** के लिए कहा।

सरकार का रूख:

- सरकार के अनुसार इंटरपोल और सीबीआई जैसी एजेंसियां विशेष रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं।
- सरकार ने यह भी कहा कि वह सभी पोर्नोग्राफी का विनियमन नहीं कर सकती है (और न ही करेगी) बल्कि केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्लॉक करेगी।
- अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, क्योंकि वे किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।

VISION IAS

पोर्न पर प्रतिबंध लगाना कठिन क्यों है?

- पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए सरकार सामान्यत: विशेष वेबसाइट के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यू.आर.एल.) तक पहुँच को सीमित/प्रतिबंधित करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता पर निर्भर रहती है। यह तरीका सामान्यत: अप्रभावी रहा है क्योंकि इस प्रकार की अधिकांश वेबसाइटें बस अपना यू.आर.एल. बदलकर संचालन करना जारी रखती हैं।

- भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम तथाकथित "अश्लील सामग्री" के उत्पादन या प्रसारण का निषेध करता है, हांलांकि पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने वाला स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है।
- यदि अपराधी आई.टी. अधिनियम के अधीन दोषी ठहराया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए तीन साल की सजा हो सकती है।

9.29. पुनर्वास योजना का पुनर्गठन

- मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति या किसी भी प्रकार के बलात श्रम में फंसें बच्चों, ट्रांसजेंडर और अन्य लोगों को मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने सहायता राशि को 20,000 रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए करते हुए मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए **पुनर्वास योजना में बड़े सुधार** का प्रस्ताव किया है।
- इसके साथ ही, त्रिस्तरीय पुनर्वास वित्त पोषण योजना आरंभ करने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है।
- इस योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए ट्रांसजेंडर या दिव्यांग व्यक्ति को 3 लाख रूपए, महिलाओं या बच्चों को 2 लाख रूपए और वयस्क पुरुषों को 1 लाख रूपए मिलेंगे।
- धन का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, नियत मासिक जमा के रूप में मुक्त कराए गए व्यक्तियों के बैंक खातों में पुनर्वास राशि का एक बड़ा भाग जमा किया जाएगा।
- नई प्रणाली के अंतर्गत कलेक्टर मुक्त कराए गए मजदूरों पर दृष्टि रखने में सक्षम होंगे क्योंकि उन्हें प्रत्येक महीने पैसे की जमा पर्ची पर हस्ताक्षर करना होगा।

बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

- वर्तमान में, कार्यकारी मजिस्ट्रेट बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करने और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, **1976** के अंतर्गत मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तथा उक्त अपराधों की अविलंब सुनवाई का संचालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत **3** वर्ष की अवधि तक के लिए कारावास और **20000** रुपये तक का जुर्माना सम्मिलित है।

9.30. सूर्योदय परियोजना (SUNRISE PROJECT)

- एड्स के उपचार के लिए भले ही सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि कर दी है फिर भी **इंजेक्शन से नशा करने वाले** लोग (आई.यू.डी.) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एचआईवी-एड्स के प्रसार के लिए मुख्य कारक बने हुए हैं।
- **पंचवर्षीय सूर्योदय परियोजना** का शुभारंभ किया गया है जिसका लक्ष्य **20** प्राथमिकता प्राप्त जिलों में आई.यू.डी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में एच.आई.वी. के निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाना है।
- रोग नियंत्रण केंद्र जो कि अमेरिकी सरकार की एक संस्था है, इस कार्यक्रम में सहायता के दृष्टिकोण से कुछ नवोन्मेषी रणनीतियों को अपनाएगी, जैसे- दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षित सुई व सीरिंज की उपलब्धता बढ़ाना, एचआईवी का समुदाय आधारित परीक्षण आदि।
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बजट में **15** प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- सरकार ने इसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनाने का निर्णय लिया है जिसमें समस्त निधि केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी।

9.31. एन.पी.सी.डी.सी.एस. (NPCDCS) के साथ होम्योपैथी/योग का एकीकरण

- आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के अमरावती के निकट कृष्णा जिले के गुडिवाडा में 'कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) के साथ 'होम्योपैथी / योग का एकीकरण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित तत्वों के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिक रोकथाम प्रदान करके गैर संचारी रोगों (एन.सी.डी) के बोझ में कमी लाने में सहायता करना है-
  - स्वास्थ्य शिक्षा (योग सहित स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना),
  - गैर संचारी रोगों के संबंध में जल्द पहचान / निदान के लिए जनसंख्या की सामयिक स्क्रीनिंग
  - गैर संचारी रोगों के पूर्व प्रबंधन तथा उपचार के लिए होमियोपैथी को सहायक या एकल रूप में प्रयोग करना।

9.32. रोहिंग्या समुदाय पर रिपोर्ट

निष्कर्षों का सार-संक्षेप:

- रोहिंग्या संकट क्षेत्रीय मुद्दा बन गया है जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देश सम्मिलित हैं।
- लगभग 40,000-50,000 शरणार्थियों के भारत में बसने की सूचना है।
- बांग्लादेश के रोहिंग्या बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए जम्मू, हैदराबाद और दिल्ली में शरण लेने को वरीयता देते हैं।
- "शरणार्थी परिवारों" का विघटन और उससे जुड़ा मानसिक आघात प्रमुख मुद्दे हैं

भारत का दृष्टिकोण:

- ऐसे समय में जब शरणार्थी संकट पूरे यूरोप में फैल रहा है, भारत भी रोहिंग्या से जुड़े इसी प्रकार के शरणार्थी संकट से पीड़ित हो सकता है।
- भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन या उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है और न ही इसके पास राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण ढांचा है
- शरणार्थी मुद्दों के प्रति भारत सरकार के निवर्तमान दृष्टिकोण के परिणामस्वरुप भारत में विभिन्न शरणार्थी समूहों के बीच संरक्षण और सहायता के अलग-अलग मानक विद्यमान हैं।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2013

सीमा पार से अवैध आव्रजन किस प्रकार से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है? इस पर अंकुश लगाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करें, इस प्रकार के आव्रजन को गति देने वाले कारकों को दर्शाएं।

9.33. जानबूझकर बैंक का कर्ज ना चुकाने वाले (WILFUL DEFAULTERS)

- संसद की वित्त पर स्थायी समिति ने अनुशंसा की है कि सरकारी बैंक **अपने संबंधित शीर्ष 30 दबावयुक्त खातों (Stressed Account) के नाम सार्वजनिक करें जिसमें जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित होने वाले सम्मिलित हैं।**
- यह **निवारक** के रूप में कार्य करेगा और वसूली या आगे ऋणों की स्वीकृति देने के लिए प्रवर्तकों से संबंधित विभिन्न पक्षों से डाले जाने वाले दबाव और होने वाले हस्तक्षेप का सामना करने के लिए बैंकों को सक्षम बनाएगा।
- समिति ने आरबीआई अधिनियम और अन्य कानूनों और दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की भी अनुशंसा की है।

पृष्ठभूमि:

- जानबूझकर **डिफॉल्टर घोषित होने वाले** लोग/कम्पनियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल 64,335 करोड़ रुपये या कुल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का 21 प्रतिशत दबाए बैठे हैं।
- बैंक अपने द्वारा संवितरित ऋणों पर दबाव के प्रारंभिक संकेतों पर ध्यान देने में "स्पष्ट रूप से विफल" रहे हैं।
- बैंकिंग उद्योग में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में तीव्र वृद्धि मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स में अधिक देखी गई है।
- बैंकों के दबावयुक्त ऋण पोर्टफोलियो में चिंताजनक वृद्धि की ओर विभिन्न रिपोर्ट संकेत करती हैं (सितम्बर, 2014 में 5.91 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 6.8 लाख करोड़ रूपए)।

अन्य अनुशंसाएं:

- समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि बड़े ऋण पोर्टफोलियो की स्थिति पर निरंतर दृष्टि रखने और प्राप्त निष्कर्षों पर सरकार और संसद को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायित्व वाली समितियों को ऐसी सूचना/रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया जाए।
- प्रवर्तकों द्वारा लिए गए ऋण को पूर्व स्वीकृति के बिना कई असंबद्ध व्यवसायों की ओर मोड़ दिया जाता है, यह ऋण के दुरुपयोग को परिलिक्षित करता है, अत: समिति ने कहा कि उसका मानना है कि विशिष्ट वर्ग के उधारकर्ताओं/कर्जदारों के लिए फोरेंसिक लेखापरीक्षण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

9.34. भारतीय बासमती चावल

- हाल ही में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (आई.पी.ए.बी) द्वारा पारित किए गए निर्णय के अनुसार, हिमालय की तलहटी में गंगा के मैदानी इलाकों, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी यू.पी. तथा जम्मू और कठुआ जिले सम्मिलित हैं, के क्षेत्रों में उगाए गए बासमती चावल को अब जी.आई. (भौगोलिक संकेतक) टैग जारी किया जाएगा।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 22 कहता है कि जब तक भौगोलिक संकेतक मूल देश में संरक्षित नहीं किया जाता है, पारस्परिक संरक्षण का विस्तार करने के लिए अन्य देशों पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- यह कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और पंजीकृत जी.आई. के दुरुपयोग को रोकता है।
- इसके साथ ही, जी.आई. से निर्यात को बढ़ावा देने और उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है।

भारत में जी.आई. की पृष्ठभूमि:

- भारतीय संसद ने दिसंबर 1999 में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम) पारित किया जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं के जी.आई. का पंजीकरण और साथ ही संरक्षण प्रदान करना था।
- इस अधिनियम का कार्यान्यावन पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक द्वारा किया जाता है, जो भौगोलिक संकेत का भी नियंत्रक है।

भौगोलिक संकेत (जी.आई.) क्या है?

जी.आई. टैग एक ऐसा संकेत है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए निश्चित किया जाता है। यह स्थान का नाम है जिसे उत्पत्ति और गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या उत्पाद के अन्य लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: - शैम्पेन।

इसे कृषि, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जी.आई. टैग प्राप्त करने के लिए उत्पाद को उस क्षेत्र में उत्पादित, प्रसंस्करित या तैयार किया जाना होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि उत्पाद की विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा हो।

VISION IAS

9.35. भारत नेट परियोजना

सुर्खियों में क्यों?

- ट्राई (TRAI) ने भारत नेट परियोजना के लिए निर्माण-स्वामित्व-संचालन-हस्तांतरण (BOOT) या निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (BOT) के रूप में सरकारी निजी सहभागिता मॉडल की संस्तुति की है।
- भारत नेट परियोजना, भारत में सभी परिवारों को, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, 2017 तक ब्रॉडबैंड (2-20 Mbps) के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य रखती है। यह 2011 में आरम्भ किये गये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन) का नवीन संस्करण है जिसके तहत 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना था।
- एन.ओ.एफ.एन की स्थापना, प्रबंधन और संचालन के लिए, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल) के रूप में एक विशेष उद्देश्य वाहन (Special Purpose Vehicle) की स्थापना दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत की गई है।
- बी.एस.एन.एल, रेलटेल और पावर ग्रिड 70:15:15 के अनुपात में परियोजना का कार्यान्वयन करेंगे।

पी.पी.पी. की आवश्यकताः

- ग्रामीण ब्रॉडबैंड प्रावधान सरकारी विफलता (परियोजना के कार्यान्वयन के विलम्ब) के साथ-साथ बाजार विफलता की ओर उन्मुख हो सकता है।
- ट्राई निजी क्षेत्र की कंपनियों को न केवल विकास में सम्मिलित करना चाहता है बल्कि ऑप्टिक फाईबर केबल (ओ.एफ.सी.) नेटवर्क के कार्यान्वयन में भी सम्मिलित करना चाहता है।

9.36. अवेयर (AWARE) परियोजना

- **एटमोस्फेरिक रेडियेशन मेजरमेंट वेस्ट अंटार्कटिक रेडियेशन एक्सपेरीमेंट (अवेयर)** परियोजना अंर्टाकटिका में मैकमर्डो (McMurdo) स्टेशन पर स्थित है।
- अंटार्कटिका में मौसम पैटर्न के मिड-ट्रॉपिक्स तथा ट्रॉपिक्स लैटिच्युड पर प्रभाव संबंधी अध्ययन कार्य अमेरिका द्वारा किया जा रहा है।
- अंटार्कटिका में पृथ्वी की 90 प्रतिशत बर्फ विद्यमान है और अगर यह पिघल जाती है तो यह पूरे विश्व में समुद्र के जल स्तर को बढ़ा सकती है। पृथ्वी मॉडल प्रणाली को और विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र की जलवायु में होने वाले संभावित परिवर्तनों के संबंध में सटीक पूर्व अनुमान लगाया जा सके।

अंटार्कटिका का महत्व

- **वायुमंडलीय परिसंचरण**
  (a) भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच ताप प्रवणता दक्षिणी गोलार्द्ध में वायुमंडलीय परिसंचरण को वस्तुतः तीन उत्तर-दक्षिण प्रणालियों के रूप में संचालित करती हैः ध्रुवीय सेल (Polar cell), मध्य-अंक्षाश फेरल सेल (Ferrel Cell) और उष्णकटिबंधीय हेडली सेल (Hedley Cell)। ये सभी सेल गतिक रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं।
  (b) ध्रुवीय प्रदेशों का गर्म होने से ध्रुवीय और फेरल सेल की सीमा की अवस्थिति बदल जाती है। उष्णकटिबंधीय परिसंचरण की शक्ति भी परिवर्तित हो जाती है।
- **वर्षण में वृद्धि**
  (a) अंटार्कटिका में बनने वाले बादलों में परिवर्तन के कारण अंटाकर्टिका का मौसम गर्म होने लगता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध फेरल सेल कमजोर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यह कारक हेडली सेल को सशक्त बना देता है। इसके फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों पर वर्धित गुप्त ऊष्मा मुक्त होने के कारण अधिक वर्षण होता है।
- **भूमंडलीय तापन :** वैश्विक तापन के कारण वायुमंडल में सामान्यतः हेडली सेल में विस्तार होना अपेक्षित हो जाता है। अतः मेघीय गुणों में परिवर्तन से अंटार्कटिक का गर्म होना जलवायु के लिए एक सकारात्मक प्रभाव है।
- **ग्लोबल हीट सिंकः** अंटार्कटिका ग्लोबल हीट सिंक के रूप में कार्य करता है क्योंकि वहां सौर्यिक विकिरण नहीं पंहुचता है, परंतु यह अंतरिक्ष में अधिक उर्जा छोड़ती है। इसमें होने वाला परिवर्तन वैश्विक जलवायु को प्रभावित करेगा।
- **वायु प्रणालीः** अंटार्कटिका की वायु प्रणाली, दक्षिणी महासागर के उत्तरी अक्षांशो से गर्म वायु को पूर्वी अंटार्कटिका के अंदरुनी हिस्सों में पहुँचने से रोकती है। इससे यह ठंडा, एकाकी निर्जन प्रदेश बना रहता है और अंतरिक्ष में ऊर्जा विमुक्त करता है।

9.37. शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल का शोधन

महत्वः

- **जल समस्या का समाधान:** भारत में विशेषकर शहरों में जल संकट खतरनाक दर से बढ़ रहा है। 2013 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दिल्ली में 302 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का वार्षिक अभाव है।
- **पर्यावरणीय प्रभावः** अनुपचारित अवशिष्ट जल धाराओं को प्रदूषित करता है और पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- **वैकल्पिक साधनों के साथ समस्याएः** भू-जल दोहन के वर्तमान तरीके पर निर्भरता संधारणीय नहीं है।
- इस परिप्रेक्ष्य में अपशिष्ट जल शोधन एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान कर सकता है।

भारत में अपशिष्ट जल शोधनः

- भारत में दो प्रक्रार के शोधन हैं- वाहितमल शोधन (Sewage Treatment) और बहिःस्राव शोधन (Effluent Treatment)।

(a) **वाहितमल शोधनः** इसके अंतर्गत ऐसे जल का शोधन किया जाता है जिसमें मानव जनित अपशिष्ट सम्मिलित होते हैं।

(b) **बहिःस्राव शोधनः** इसके अंतर्गत औद्योगिक ईकाईयों द्वारा जनित अपशिष्ट सम्मिलित होते हैं।

- मानदंड और दिशा-निर्देश मुख्यतः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

वर्तमान अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली से जुड़े मुद्देः

- **निम्न क्षमताः** कुल अपशिष्ट जल का केवल लगभग 31 प्रतिशत ही शोधित किया जाता है और इसमें भी अंतर-शहरी भिन्नता पाई जाती है।
- शोधन संयंत्रों का **तकनीकी रूप से** पिछड़ापन।
- **प्रतिस्पर्धी कीमत न मिलनाः** इस कारण यह क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित नहीं कर पाता।
- **निम्नस्तरीय शोधन गुणवत्ताः** शोधित जल की निम्न गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग कुछ सीमित उद्देश्यों जैसे- निम्न स्तरीय औद्योगिकी प्रयोजन तथा बागवानी आदि के लिए ही किया जाता है।
- **कमजोर वितरण नेटवर्कः** शोधित जल के परिवहन के लिए वितरण नेटवर्क की स्थिति दयनीय है।

समाधानः

- शोधन के लिए नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास की अविलम्ब आवश्यकता है।
- ऐसी प्रणालियों का निर्माण करना जो स्थानीय और विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हों।
- अपशिष्ट जल शोधन को समर्पित एक विशिष्ट नीति।

9.38. विमानन सुरक्षा बल

सुर्खियों में क्यों?

- कालीकट विमानपत्तन (एअरपोर्ट) पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मियों के बीच हाल ही में हाथापाई हुई थी।
- विमानपत्तनों की सुरक्षा संबंधी कार्मिक आवश्यकता के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एक समर्पित सुरक्षा बल का प्रस्ताव दिया गया है। इस समर्पित सुरक्षा बल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल कहा जाएगा।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का उड्डयन सुरक्षा समूह 53 विमानपत्तनों की सुरक्षा कर रहा है।

आवश्यकता क्यों है?

- उड्डयन सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा की तुलना में एक उच्च तकनीकी कार्य है।
- उड्डयन सुरक्षा का कार्य, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) के शिकागो सम्मेलन के संलग्नक 17 में वर्णित मानकों के अनुसार किया जाना है।
- विमानपत्तनों को सुरक्षा प्रदान करने में संलग्न विभिन्न अभिकरणों के बीच वर्तमान समन्वय प्रणाली की प्रभाविता पर प्रश्न चिन्ह लगा है।
- पिछले 3 वर्षों से नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) के अंतर्गत, सुरक्षा आयुक्त (नागरिक उड्डयन) का पद रिक्त है।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.